



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122025-268946
CG-DL-E-31122025-268946

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 850]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 2025/पौष 9, 1947

No. 850]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2025/PAUSHA 9, 1947

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 936(अ).—जबकि, संसद द्वारा मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) (उक्त संहिता) लागू किए जाने के बादs, मजदूरी संहिता (केंद्रीय) नियम, 2020 का मसौदा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 432(अ), दिनांक 7 जुलाई, 2020 के तहत प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त संहिता की धारा 67 के तहत आवश्यक आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और जबकि, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 4604 (अ), दिनांक 18 दिसंबर 2020 और का.आ. 5322 (अ), दिनांक 21 नवंबर, 2025 के तहत, उक्त संहिता के सभी उपबंधों को लागू कर दिया गया है।

और जबकि, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के गठन से संबंधित उपबंधों को 18 दिसंबर, 2020 को लागू किए जाने के आलोक में, मजदूरी संहिता (केंद्रीय सलाहकार बोर्ड) नियम, 2021 को 1 मार्च, 2021 को अलग से प्रकाशित किया गया था।

अब इसलिए, निम्नलिखित मसौदा नियम, जिन्हें सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 24 के साथ पठित केंद्र सरकार मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है और निम्नलिखित के स्थान पर-

- (i) मजदूरी संदाय (कार्यविधि) नियम, 1937;
- (ii) मजदूरी संदाय (नामांकन) नियम, 2009;
- (iii) न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय) नियम, 1950;
- (iv) न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय सलाहकार बोर्ड) नियम, 2011;
- (v) विभिन्न श्रम कानून नियम, 2017 के अंतर्गत रजिस्टर रखने के सहज अनुपालन में, जिस सीमा तक समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976(1976 का 25) की धारा 13, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948(1948 का 11) की धारा 29 और धारा 30 तथा मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये नियम बनाए गए हैं और तदनुसार इन्हें लागू किया गया है;
- (vi) बोनस संदाय नियम, 1975;
- (vii) समान पारिश्रमिक नियम, 1976; और
- (viii) समान पारिश्रमिक नियम, 1991 संबंधी केंद्रीय सलाहकार समिति;
- (ix) मजदूरी संदाय (प्रक्रिया) अनुसूचित नियोजनों को लागू करने के लिए नियत, 1962;
- (x) मजदूरी संदाय (खान) नियम, 1956;
- (xi) अवितरित मजदूरी भुगतान (खान) नियम, 1989;
- (xii) मजदूरी संदाय (हवाई परिवहन सेवाएँ) नियम, 1968;
- (xiii) अवितरित मजदूरी भुगतान (हवाई परिवहन सेवाएँ) नियम, 1988;
- (xiv) मजदूरी संदाय (रेलवे) नियम, 1938;
- (xv) मजदूरी संदाय (राष्ट्रीय रक्षा कोष और रक्षा बचत योजना के लिए कटौतियाँ) नियम, 1972;
- (xvi) मजदूरी संदाय (अतिरिक्त कटौतियों की वसूली का तरीका) नियम, 1966;
- (xvii) मजदूरी संहिता (केंद्रीय सलाहकार बोर्ड) नियम, 2021; और
- (xviii) मजदूरी संहिता (केंद्रीय सलाहकार बोर्ड) संशोधन नियम, 2025;

केंद्र सरकार द्वारा मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4), न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11), बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (1965 का 21) और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए नियम, जैसा भी मामला हो, जिन्हें मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 69 द्वारा निरस्त किया गया है, सिवाय उन मामलों के जो ऐसे निरस्त होने से पहले किए गए या नहीं किए गए थे, उन्हें उक्त धारा 67 के उप-धारा (1) के अनुसार, सभी प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए यहाँ सूचित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदा अधिसूचन पर उस तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तारीख को इस अधिसूचना के साथ सरकारी राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी;

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो उसे श्री नितेश भसीन, अवर सचिव (wagecell@nic.in), भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजा जा सकता है।

उक्त मसौदा अधिसूचना के संबंध में ऊपर बताई गई अवधि समाप्त होने से पहले किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, सीमा एवं प्रारम्भ** - (1) इन नियमों को मजदूरी संहिता (केंद्रीय) नियम, 2025 कहा जाए।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण भारत में है।

(3) वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं**:- (1) इन नियमों में जब तक कि विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) “प्राधिकारी” से अभिप्रेत धारा 45 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी है;

(ख) “अपीलीय प्राधिकारी” से अभिप्रेत धारा 49 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अपीलीय प्राधिकारी है;

(ग) “अपील” से अभिप्रेत धारा 49 की उप-धारा (1) के अंतर्गत की गई अपील है;

(घ) “संहिता” से अभिप्रेत मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) है;

(ङ) “समिति” से अभिप्रेत धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त समिति है;

(च) “दिन” से अभिप्रेत मध्य रात्रि से प्रारम्भ होने वाले 24 घंटे की अवधि है;

(छ) “परिवार” का अर्थ किसी कर्मचारी के निम्नलिखित सभी अथवा किन्हीं संबंधियों से है, नामतः-

(क) पति/पत्नी;

(ख) कर्मचारी पर आश्रित कोई अल्प वयस्क कानूनी अथवा दत्तक पुत्र;

(ग) कोई बच्चा जो पूरी तरह से कर्मचारी की आय पर आश्रित हो और जो-

i. 21 वर्ष की आयु पूरी करने तक शिक्षा प्राप्त कर रहा हो; और

ii. कोई अविवाहित पुत्री;

(घ) कोई बच्चा जो किसी शारीरिक अथवा मानसिक विकृति अथवा चोट के कारण अशक्त हो और जो कर्मचारी की आय पर पूरी तरह आश्रित हो, जब तक उसकी अशक्तता बनी रहती है;

(ङ) आश्रित माता-पिता (महिला कर्मचारी के ससुर एवं सास सहित) जिनकी सभी स्रोतों से मिलाकर आय केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जा सकने वाली आय से अधिक न हो;

- (ज) “फॉर्म” से अभिप्रेत इन नियमों में संलग्न फॉर्म है;
- (झ) “अत्यधिक कुशल व्यवसाय” से अभिप्रेत वह व्यवसाय है जिसमें इसके निष्पादन में विशिष्ट स्तर की उत्कृष्टता की मांग होती है और एक पर्याप्त अवधि के लिए गहन तकनीकी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा व्यावहारिक व्यावसायिक अनुभव के माध्यम से अर्जित क्षमता अपेक्षित होती है और साथ ही कर्मचारी से यह अपेक्षा होती है कि ऐसे व्यवसाय के निष्पादन में शामिल अपने मत या निर्णय के लिए सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार करे;
- (ञ) “निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता” से अभिप्रेत धारा 51 की उप-धारा (1) के अंतर्गत, अधिसूचना के द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति है;
- (ट) “भौगोलिक क्षेत्र” से अभिप्रेत वह क्षेत्र है जिसे केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो।
- (ठ) “पंजीकृत ट्रेड यूनियन” से अभिप्रेत वह ट्रेड यूनियन है जो औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) के अंतर्गत पंजीकृत है;
- (ड) “अनुसूची” से अभिप्रेत इन नियमों की अनुसूची है;
- (ढ) “धारा” से अभिप्रेत इस संहिता की धारा है;
- (ण) “अर्ध कुशल व्यवसाय” से अभिप्रेत वह व्यवसाय है जिसमें इसके निष्पादन में जॉब पर अनुभव द्वारा प्राप्त कौशल का उपयोग अपेक्षित होता है और कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण अथवा मार्गदर्शन में इसका उपयोग किये जाने लायक होता है और इसमें अकुशल व्यवसाय का पर्यवेक्षण भी शामिल है;
- (त) “कुशल व्यवसाय” से अभिप्रेत वह व्यवसाय है जिसमें इसके निष्पादन में जॉब पर अनुभव के द्वारा अथवा तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से कुशलता और सक्षमता जरूरत होती है और जिसके निष्पादन में पहल करने और विवेक की आवश्यकता होती है;
- (थ) “अकुशल व्यवसाय” से अभिप्रेत वह व्यवसाय है जिसमें इसके निष्पादन में केवल प्रचालन अनुभव के उपयोग की आवश्यकता होती है और इसमें कोई अतिरिक्त कौशल शामिल नहीं होती है;
- (2) इन नियमों में यहां पर प्रयुक्त जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों को परिभाषित नहीं किया गया है उनका क्रमशः वही अर्थ लिया जाएगा जो इस संहिता में दिया गया है।

अध्याय II

न्यूनतम मजदूरी

3. मजदूरी की न्यूनतम दर की गणना करने की रीति. - (1) धारा 6 की उप-धारा (5) के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित मापदंड * को ध्यान में रखते हुए दैनिक आधार पर न्यूनतम मजदूरी नियत की जाएगी, नामतः-

- मानक श्रमिक वर्ग परिवार जिसमें कमाने वाले कामगार के अलावा उसकी पत्नी या उसका पति और दो बच्चे शामिल हैं; जो तीन व्यस्क उपभोग इकाइयों के समान है;
- प्रतिदिन प्रति उपभोग इकाई हेतु निवल 2700 कैलोरी की खपत;

- (iii) प्रति मानक श्रमिक वर्ग परिवार के लिए प्रति वर्ष 66 मीटर कपड़ा;
- (iv) आवासीय किराया व्यय जो भोजन और वस्त्र व्यय का 10 प्रतिशत होगा;
- (v) ईंधन, बिजली, और व्यय की अन्य विविध मदें जो न्यूनतम मजदूरी की 20% होंगी;
- (vi) बच्चों की शिक्षा का व्यय, चिकित्सा आवश्यकताएं, मनोरंजन और अन्य आकस्मिक व्यय जो न्यूनतम मजदूरी का 25 प्रतिशत होगा;

(2) जब एक दिन के लिए मजदूरी की दर नियत की जाती है, तब एक घंटे की दर नियत करने के लिए ऐसी राशि को आठ से भाग और एक महीने के लिए मजदूरी की दर नियत करने के लिए छब्बीस से गुणा किया जाएगा, और ऐसे भाग और गुणा में आधे या आधे से अधिक गुणनखंड को अगले अंक में पूर्णांकित किया जाएगा और आधे से कम गुणनखंड को नजरअंदाज किया जाएगा। पांच दिन के कार्य सप्ताह के मामले में इस प्रकार परिकल्पित न्यूनतम मजदूरी की घंटा-वार दर का उपयोग उस दिन के लिए न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के लिए किया जाएगा।

4. मजदूरी की न्यूनतम दर के निर्धारण के लिए मानदंड- (1) धारा 6 के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करते समय, केन्द्र सरकार निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगी:

- (i) भौगोलिक क्षेत्र,
- (ii) रोजगार के क्षेत्र में अनुभव, और
- (iii) अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल की श्रेणियों के अंतर्गत कार्य करने के लिए अपेक्षित कौशल का स्तर।

परन्तु केन्द्र सरकार इस संहिता के अधीन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और भत्ते निर्धारित नहीं करेगी।

(2) केंद्रीय सरकार, कौशल वर्गीकरण, कार्य की कठिनाता, जोखिमकारी व्यवसाय अथवा प्रक्रियाएं एवं भूमिगत कार्य और ऐसी अन्य कार्य-वर्गीकरण के संबंध में केंद्रीय सरकार को सलाह देने के प्रयोजनार्थ, एक तकनीकी समिति गठित करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, नामतः-

- (i) रोजगार महानिदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार - अध्यक्ष;
- (ii) संयुक्त सचिव - श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार में वेतन प्रभाग के प्रभारी - सदस्य;
- (iii) मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) - सदस्य;
- (iv) संयुक्त सचिव - कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार में कौशल विकास संबंधी कार्य प्रभारी - सदस्य;
- (v) केंद्रीय सरकार द्वारा यथा नामित वेतन निर्धारण हेतु दो तकनीकी विशेषज्ञ - सदस्यगण; और
- (vi) नियोक्ताओं के दो प्रतिनिधि तथा कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि;
- (vii) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार में निदेशक / उप सचिव, जो वेतन प्रभाग का कार्य देख रहे हैं- सदस्य सचिव।

(3) केंद्रीय सरकार, उप-नियम (2) में संदर्भित तकनीकी समिति की सलाह पर, कर्मचारियों के व्यवसाय को अनूसूची ड में विनिर्दिष्ट व्यवसायों को संशोधित करके, हटाकर अथवा कोई भी प्रविष्टि जोड़कर चार वर्गों में अर्थात् अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल वर्गों में वर्गीकृत करेगी।

(4) उप-नियम (2) में संदर्भित तकनीकी समिति उप नियम(3) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार को सलाह देते समय यथा संभव व्यवसायों के राष्ट्रीय वर्गीकरण अथवा राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे अथवा व्यवसायों की पहचान करने के लिए तत्समय बनाए जा रहे अन्य समान ढांचे को ध्यान में रखेगी।

5. परिवर्ती मंहगाई भत्ते के पुनरीक्षण के लिए समय-अंतराल - निर्वाह भत्ते की लागत और रियायती दर पर आवश्यक वस्तुओं के संबंध में रियायत के नकद मूल्य की गणना हर वर्ष एक बार 1 अप्रैल से पहले और फिर 1 अक्टूबर से पहले श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के श्रम ब्यूरो द्वारा औद्योगिक कामगारों के लिए प्रकाशित औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर विचार करते हुए न्यूनतम मजदूरी के संबंध में कर्मचारियों को देय परिवर्ती मंहगाई भत्ते को संशोधित करने के लिए की जाएगी।

6. एक सामान्य कार्य दिवस के निर्धारण के लिए कार्य घंटों की संख्या - (1) कार्य के घंटों की संख्या, जो एक या अधिक निर्दिष्ट अंतरालों सहित एक सामान्य कार्य दिवस का गठन करेगी, समय-समय पर जारी किए गए सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार होगी।

(2) किसी कर्मचारी के कार्य की अवधि इस प्रकार व्यवस्थित की जाएगी कि विश्राम के अंतराल सहित, समय-समय पर जारी किए गए सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार घंटों की संख्या से अधिक नहीं होगा।

7. विश्राम का साप्ताहिक दिन— (1) इस नियम के उपबंधों के अधीन, एक कर्मचारी को हर सप्ताह एक दिन या एक दिन से अधिक के विश्राम की अनुमति दी जाएगी, जैसा भी मामला हो, (इसके बाद "विश्राम दिनों" के रूप में संदर्भित) जो छह दिन के सप्ताह के मामले में आमतौर पर रविवार होगा और छह दिन से कम सप्ताह में शनिवार और रविवार शामिल होंगे, लेकिन नियोक्ता किसी भी कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग के लिए सप्ताह के किसी भी अन्य दिन को विश्राम के दिनों के रूप में तय कर सकता है।

बशर्ते कि छह दिन के कार्य सप्ताह में या छह दिनों से कम के कार्य सप्ताह जैसा भी मामला हो, ऐसे कर्मचारियों के लिए सप्ताह के शेष दिनों का भुगतान किया जाएगा।

बशर्ते कि एक कर्मचारी इस उप-नियम के तहत विश्राम दिनों के लिए हकदार होगा यदि उसने छह दिन के सप्ताह के मामले में एक ही नियोक्ता के तहत कम से कम छह दिनों की निरंतर अवधि के लिए और छह दिन से कम कार्य सप्ताह के मामले में कार्य दिवसों की निर्धारित संख्या की निरंतर अवधि के लिए काम किया है, जैसा भी मामला हो।

बशर्ते कि कर्मचारी को विश्राम दिनों के रूप में तय किए गए दिनों के बारे में और परिवर्तन के प्रभावी होने से पहले विश्राम दिनों में किसी भी बाद के परिवर्तन के बारे में, रोजगार के स्थान पर एक विशिष्ट स्थान पर उस आशय के नोटिस के प्रदर्शन द्वारा सूचित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण- इस उप-नियम के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट सप्ताह में कम से कम छह दिनों की निरंतर अवधि

या कार्य दिवसों की निर्धारित संख्या की गणना के प्रयोजन के लिए,

- (क) कोई भी दिन जिस पर एक कर्मचारी को काम के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे केवल उपस्थिति के लिए भत्ता दिया जाता है और उसे काम प्रदान नहीं किया जाता है,
- (ख) कोई भी दिन जिस पर किसी कर्मचारी को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) के तहत मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाता है, और
- (ग) नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को छह दिनों की अवधि में या सप्ताह के कार्य दिवसों की निर्धारित संख्या के दौरान, जैसा भी मामला हो, विश्राम दिनों से ठीक पहले को वेतन के साथ या बिना वेतन के दी गई कोई भी छुट्टी या अवकाश,

उन दिनों के रूप में माना जाएगा जिन पर कर्मचारी ने काम किया है।

(2) किसी भी ऐसे कर्मचारी को विश्राम के दिन काम करना अपेक्षित या काम करने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि उसने विश्राम दिन के तुरंत पहले या बाद में सप्ताह के कार्यदिवसों में से किसी एक पूरे एक दिन का प्रतिस्थापित विश्राम दिन न लिया है अथवा लेगा।

यह उपबंध किया जाता है कि कोई भी प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी को पूरे विश्राम दिन के बिना लगातार दस दिन से अधिक काम करना पड़े।

(3) इस नियम के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार जहां कोई भी कर्मचारी विश्राम के दिन काम करता है और उसे विश्राम दिन के पहले या बाद कार्यदिवसों में किसी भी दिन प्रतिस्थापित विश्राम दिन दिया जाता है तब विश्राम दिन को, काम के साप्ताहिक घंटों की गणना के प्रयोजनार्थ उस सप्ताह में गिना जाएगा जिसमें प्रतिस्थापित विश्राम दिन आया है।

(4) कर्मचारी को विश्राम दिन के लिए अगले पूर्ववर्ती दिन के लिए लागू दर पर परिकल्पित मजदूरी दी जाएगी; और जहां पर वह विश्राम के दिन काम करता है और उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिन दिया गया है तब उसे समयोपरि दर से और विश्राम दिन के लिए अगले पूर्ववर्ती दिन के लिए लागू दर से मजदूरी दी जाएगी:

बशर्ते कि छह दिन के सप्ताह के मामले में जहां-

- (i) संहिता के अंतर्गत यथा अधिसूचित कर्मचारी की मजदूरी की न्यूनतम दर, मजदूरी की न्यूनतम मासिक दर को छब्बीस से भाग करके निकाली गई; अथवा
- (ii) कर्मचारी की मजदूरी की वास्तविक दैनिक दर मजदूरी की मासिक दर को छब्बीस से भाग करके निकाली गई है और ऐसी मजदूरी की वास्तविक दैनिक दर कर्मचारी की अधिसूचित न्यूनतम दैनिक दर से कम नहीं होगी,

तब विश्राम दिन के लिए कोई मजदूरी देय नहीं होगी; और

- (iii) कर्मचारी ने विश्राम के दिन काम किया है और उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिन दिया गया है तब उसे केवल उसी विश्राम दिन के लिए समयोपरि दर पर देय मजदूरी के बराबर राशि दी जाएगी जिस दिन उसने काम किया है;

और, यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है कि क्या इस उपबंध के प्रावधानों के अनुसार मजदूरी की दैनिक दर निकाली गई है, तब क्षेत्राधिकार रखने वाले मुख्य श्रम आयुक्त(केंद्रीय) अथवा उप श्रम आयुक्त (केंद्रीय), इस संबंध में उन्हें किए गए आवेदन पर, संबंधित पक्षों को अपने लिखित अभ्यावेदनों के लिए अवसर देने के पश्चात उसका निर्णय करेंगे।

यह भी उपबंध किया जाता है कि यदि कोई कर्मचारी मात्रानुपाती दर प्रणाली से संचालित होता है, तब उस विश्राम दिन के लिए जिसके लिए वह कार्य करता है, मजदूरी समयोपरि दर और जहां प्रतिस्थापित विश्राम दिन जो विश्राम दिन के तुरंत अगले दिन आता है, उसकी दर से प्राप्त करेगा।

स्पष्टीकरण- इस उप-नियम में 'अगला पूर्ववर्ती दिन' से अभिप्रेत वह अंतिम दिन है, जिस दिन कर्मचारी ने काम किया है, जो विश्राम दिन या प्रतिस्थापित विश्राम दिन के पहले, जैसी भी स्थिति हो, आता है; और जहां प्रतिस्थापित विश्राम दिन, विश्राम दिन के तुरंत अगले दिन आता है तब अगला पूर्ववर्ती दिन से अभिप्रेत वह अंतिम दिन होगा जिस दिन कर्मचारी ने काम किया है और जो विश्राम दिन के पहले था।

(5) इस नियम के प्रावधान अधिक अनुकूल शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई है तो, नहीं डालेंगे, जिसमें कर्मचारी किसी अन्य विधि के अंतर्गत अथवा किसी पंचाट, अनुबंध अथवा सेवा की संविदा की शर्त के अंतर्गत हकदार है, और ऐसी दशा में, कर्मचारी केवल पूर्वकथित अनुकूल शर्तों का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनार्थ, 'सप्ताह' से अभिप्रेत शनिवार रात्रि की अर्ध रात्रि से शुरू होकर सात दिन की अवधि है।

8. रात्रि पाली- जहां पर कर्मचारी रोजगार में पाली में काम करता है जो अर्ध रात्रि के पश्चात भी चलती है, तब, -

- नियम के प्रयोजनार्थ पूरे दिन के लिए विश्राम दिन से अभिप्रेत 7, इस मामले में, उसकी पाली समाप्त होने के समय से शुरू होकर लगातार चौबीस घंटे की अवधि है; और
- ऐसे मामले में अगला दिन ऐसी पाली के समाप्त होने के समय से शुरू होकर चौबीस घंटे की अवधि का होगा, और अर्ध रात्रि के बाद के घंटों को, जिसके दौरान ऐसे कर्मचारी ने काम किया है, पूर्व दिवस में गिना जाएगा।

9. धारा 13 की उप-धारा (2) के प्रयोजनार्थ सीमा एवं शर्तें.- यदि कर्मचारी -

- आपातस्थिति में कार्यरत है जिसका पूर्वानुमान नहीं किया या उसे रोका नहीं सकता था;

- (ख) प्रारम्भिक या पूरक प्रकृति के कार्यों में लगा हुआ है जिसे अनिवार्य रूप से संबंधित रोजगार में सामान्य कार्य के लिए निर्धारित बाहरी सीमाओं पर कराया जाना चाहिए;
- (ग) जिसका रोजगार अनिवार्य रूप से अनिश्चित है;
- (घ) ऐसे कार्य में लगा हुआ है जिसे तकनीकी कारणों से ड्यूटी समाप्त होने से पूरा किया जाना है; और
- (ङ) ऐसे कार्य में लगा हुआ है, जिसे प्राकृतिक शक्तियों की अनियमित क्रिया पर कभी-कभी निर्भर होने के सिवाय नहीं किया जा सकता था;

कार्यघंटों की संख्या जो एक या एक से अधिक निर्दिष्ट अंतराल सहित एक सामान्य कार्य दिवस का गठन करेगी और कर्मचारी के कार्यघंटों का प्रसार नियम 6 के तहत समय-समय पर जारी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट घंटों की संख्या से अधिक हो सकता है।

10. लम्बी मजदूरी अवधि.- धारा 14 के अंतर्गत मजदूरी की न्यूनतम दर के प्रयोजनार्थ लम्बी मजदूरी अवधि एक महीना होगी।

अध्याय III

निर्वाह मजदूरी

11. निर्वाह मजदूरी नियत करने की रीति.-(1) केंद्रीय सरकार, धारा 9 की उप-धारा (1) के अंतर्गत न्यूनतम निर्वाह का निर्धारण करने के उद्देश्य से नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (i) में यथा विनिर्दिष्ट मानक श्रमिक वर्ग परिवार के लिए भोजन, वस्तुओं, आवास और केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अन्य विचारित उपयुक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए, धारा 42 की उप-धारा (1) में संदर्भित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड (यहां इसके पश्चात बोर्ड के रूप में संदर्भित) से परामर्श करेगी।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत परामर्श से बोर्ड की प्राप्त सलाह को केंद्रीय सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों को उनसे परामर्श करने के लिए परिचालित किया जाएगा।

(3) उप-नियम (2) में संदर्भित बोर्ड की सलाह और उप-नियम में संदर्भित परामर्श से राज्य सरकारों से प्राप्त मतों पर उप-नियम (1) के अंतर्गत निर्वाह मजदूरी नियत करने से पहले विचार किया जाएगा।

(4) केंद्रीय सरकार उप-नियम(1) के अंतर्गत नियत निर्वाह मजदूरी को सामान्यतया पांच वर्ष से अनधिक अंतराल पर संशोधित और बोर्ड के परामर्श से आवधिक रूप से निर्वाह लागत में भिन्नता को समायोजित कर सकती है।

अध्याय IV
मजदूरी का भुगतान

12. —धारा 10 के उपबंध के खंड (ii) के अंतर्गत परिस्थितियां.—कर्मचारी धारा 10 के अंतर्गत पूर्ण सामान्य कार्य दिवस के लिए मजदूरी प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा यदि वह तत्समय लागू अन्य किसी श्रम कानून के अंतर्गत ऐसी मजदूरी का हकदार नहीं है।

13. धारा 18 की उप-धारा (4) के अंतर्गत वसूली.— जहां धारा 18 की उप-धारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत कुल कटौतियां कर्मचारी की मजदूरी के 50 प्रतिशत से अधिक है, तब अधिकता को अग्रणीत किया जाएगा और उत्तरवर्ती मजदूरी अवधि या अवधियों, जैसी भी स्थिति हो, से ऐसी किस्तों में वसूल की जाएगी ताकि किसी भी माह में वसूली उस माह में कर्मचारी की मजदूरी की पचास प्रतिशत से अधिक न हो।

14. धारा 19 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकारी.— जिस उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय)के पास संबंधित कर्मचारी के कार्य स्थल का क्षेत्राधिकार है, वह धारा 19 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी होगा।

15. धारा 19 की उप-धारा (2) के अंतर्गत सूचना प्रदर्शित करने की रीति.— धारा 19 की उप-धारा (2) में संदर्भित सूचना को कार्य स्थल के परिसर में, जहां पर रोजगार किया जाता है, प्रमुख स्थलों पर वास्तविक अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में हिन्दी, अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा में उस स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा जिससे कि प्रत्येक संबंधित कर्मचारी सूचना की विषय-वस्तु को आसानी से पढ़ सके और सूचना की एक प्रति क्षेत्राधिकार रखने वाले निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजी जाएगी।

16. धारा 19 की उप-धारा (3) के अंतर्गत कार्यविधि.— नियोक्ता नियम 14 में संदर्भित जुर्माना लगाने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उसमें विनिर्दिष्ट विस्तृत विवरणों की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में अथवा लिखित रूप में उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) को देगा, जो स्वीकृति को प्रदान या इंकार करने से पहले संबंधित कर्मचारी और नियोक्ता को सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा और मामलों को सूचना प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर निपटान करेगा, जिसके न होने पर इसे संस्वीकृत माना जाएगा।

17. कटौती की सूचना.— (1) जहां नियोक्ता धारा 20 की उप-धारा (2) के उपबंध के अनुसरण में कोई भी कटौती करता है, तब वह ऐसी कटौती की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में अथवा लिखित रूप में ऐसी कटौती के कारणों स्पष्ट करते हुए ऐसी कटौती की तारीख से 10 दिन के अंदर क्षेत्राधिकार रखने वाले निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को देगा।

(2) निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता उप-नियम (1) के अंतर्गत ऐसी सूचना प्राप्त होने के पश्चात ऐसी सूचना की जांच करेगा और यदि वह यह पाता है कि उसमें दिए गया स्पष्टीकरण संहिता के किसी भी प्रावधान या

उसके अधीन बनाए गए नियम के उल्लंघन में है, तब वह नियोक्ता के विरुद्ध ऐसी सूचना की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर समुचित कार्रवाई शुरू करेगा।

18. धारा 21 की उप-धारा (2) के अंतर्गत कटौती की प्रक्रिया:- यदि कोई नियोक्ता कर्मचारी के वेतन से धारा 21 की उप-धारा (1) के अंतर्गत नुकसान अथवा हानि के लिए कटौती करना चाहता है, तो वह -

- (i) कर्मचारी को उसकी निगरानी के लिए उसे सौंपे गए सामान के नुकसान अथवा हानि अथवा धन के नुकसान के लिए जिसके लिए वह उत्तरदायी है तथा किस प्रकार से ऐसे नुकसान अथवा हानि के लिए प्रत्यक्ष रूप से उस कर्मचारी की उदासीनता अथवा चूक उत्तरदायी है, केमूल्य के बारे में लिखित में कर्मचारी को विस्तारपूर्वक सूचित करेगा; और
- (ii) कर्मचारी को स्पष्टीकरण देने का अवसर देगा तथा तत्पश्चात् किसी नुकसान अथवा हानि के लिए यदि कोई कटौती की जाती है, तो ऐसी कटौती करने की तारीख से 15 दिन के भीतर इसकी सूचना कर्मचारी को दी जाएगी।

19. धारा 23 के अंतर्गत अग्रिम वसूली के संबंध में शर्तें - निम्नलिखित की वसूली -

(i) धारा 23 के खण्ड (ख) के अंतर्गत नियोजन प्रारम्भ होने के पश्चात् कर्मचारी को दिया गया अग्रिम धन; अथवा

(ii) जैसा भी मामला हो, किसी कर्मचारी को वेतन का अग्रिम जो उसने धारा 23 के खण्ड (ग) के अंतर्गत अर्जित नहीं किया है, नियोक्ता द्वारा निर्धारित किशतों में संबंधित कर्मचारी के वेतन से नियोक्ता द्वारा की जाएगी, ताकि कोई एक किशत अथवा सभी किशतें उस वेतन अवधि में नियम 13 में निर्दिष्ट उच्चतम सीमा के अध्यक्षीन कर्मचारी के वेतन के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी तथा ऐसी वसूली का विवरण प्रपत्र-IV में रखे गए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

20. धारा 24 के अंतर्गत कटौती - केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित भवन निर्माण अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए स्वीकृत ऋणों और उन पर देय ब्याज की वसूली हेतु कटौतियां ऐसे ऋणों को स्वीकृत करने की सीमा तथा इन पर देय ब्याज दर को विनियमित करने वाले समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए निदेश अथवा जारी परिपत्र के अध्यक्षीन होंगी।

अध्याय V

बोनस का भुगतान

21. छठे लेखा वर्ष के लिए सेट ऑन अथवा सेट ऑफ की गणना - छठे लेखा वर्ष के लिए सेट ऑन अथवा सेट ऑफ, जैसा भी मामला हो, की गणना धारा 26 की उप-धारा (7) के खण्ड (i) के अंतर्गत अनुसूची 'क' में वर्णित ढंग से पांचवे तथा छठे लेखा वर्ष से संबंधित आबंटन योग्य सरप्लस सेट ऑन अथवा सेट ऑफ की अधिकता अथवा कमी, यदि कोई हो, जैसा भी मामला हो, को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।

22. सातवे लेखा वर्ष के लिए सेट ऑन अथवा सेट ऑफ की गणना - सातवें लेखा वर्ष के लिए सेट ऑन अथवा सेट ऑफ, जैसा भी मामला हो, की गणना धारा 26 की उप-धारा (7) के खण्ड (ii) के अंतर्गत अनुसूची 'क' में वर्णित ढंग से पांचवे, छठे एवं सातवें लेखा वर्ष से संबंधित आबंटन योग्य सरप्लस सेट ऑन अथवा सेट ऑफ की अधिकता अथवा कमी, यदि कोई हो, जैसा भी मामला हो, को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।

23. धारा 32 के खण्ड (क) के अंतर्गत सकल लाभों की गणना - किसी नियोक्ता द्वारा किसी प्रतिष्ठान से लेखा वर्ष के संबंध में प्राप्त किए गए सकल लाभों की गणना बैंकिंग कम्पनी के मामले अनुसूची 'ख' में विनिर्दिष्ट ढंग से की जाएगी।

24. धारा 32 के खण्ड (ख) के अंतर्गत सकल लाभों की गणना - किसी नियोक्ता द्वारा किसी प्रतिष्ठान से लेखा वर्ष के संबंध में प्राप्त किए गए सकल लाभों की गणना बैंकिंग कम्पनी के मामले अनुसूची 'ग' में विनिर्दिष्ट ढंग से की जाएगी।

25. धारा 34 के खण्ड (ग) के अंतर्गत अतिरिक्त राशियों की कटौती - नियोक्ता के संबंध में अनुसूची 'घ' में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त राशियों की कटौती धारा 34 के खण्ड (ग) के अंतर्गत पूर्व शुल्कों के रूप में सकल लाभ से की जाएगी।

26. धारा 36 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अग्रनयन करने का ढंग - किसी लेखा वर्ष में जहां आबंटन योग्य सरप्लस धारा 26 के अंतर्गत प्रतिष्ठान में कर्मचारियों को भुगतने अधिकतम बोनस की राशि से अधिक हो जाता है, तो वह अधिक राशि को, उस लेखा वर्ष में प्रतिष्ठान में नियोजित कर्मचारियों के कुल वेतन के बीस प्रतिशत की सीमा के अध्यक्षीन, अनुसूची 'क' में वर्णित अनुसार ढंग से बोनस के भुगतान के प्रयोजनार्थ प्रयोग किए जाने के लिए चौथे लेखा वर्ष सहित आगामी लेखा वर्ष और इसी प्रकार आगे के लेखा वर्षों में सेट ऑन करने के लिए अग्रेषित किया जाएगा।

27. धारा 36 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अग्रनयन करने का ढंग - किसी लेखा वर्ष में जहां कोई सरप्लस उपलब्ध नहीं है अथवा उस वर्ष में आबंटन योग्य सरप्लस धारा 26 के अंतर्गत प्रतिष्ठान में कर्मचारियों को भुगतान योग्य न्यूनतम बोनस की राशि से कम हो जाता है, तथा नियम 26 के अंतर्गत अग्रणीत कोई राशि अथवा पर्याप्त राशि नहीं है तथा सेट ऑन नहीं है जिसे न्यूनतम बोनस के भुगतान के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जा सकता है, वहां, ऐसी न्यूनतम राशि अथवा कमी, जैसा भी मामला हो, को अनुसूची 'क' में वर्णित ढंग के अनुसार चौथे लेखा वर्ष सहित आगामी लेखा वर्ष तथा उसके बाद के वर्षों में सेट ऑफ करने के लिए अग्रेषित किया जाएगा।

अध्याय VI

केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड

क. धारा 42 की उप-धारा (10) के अंतर्गत केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया-

28. बोर्ड का गठन (1) बोर्ड में केन्द्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले धारा 42 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) एवं (ख) में निर्दिष्टानुसार नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति तथा इसी उप-धारा के खण्ड (ग) और (घ) में निर्दिष्टानुसार स्वतंत्र व्यक्ति एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

(2) धारा 42 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) में संदर्भितानुसार नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों की संख्या बारह होगी तथा इसी उप-धारा के खण्ड (ख) में संदर्भित कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों की संख्या भी बारह होगी।

(3) केन्द्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले धारा 42 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट स्वतंत्र व्यक्तियों में निम्नलिखित शामिल होंगे, नामतः-

- (i) अध्यक्ष;
- (ii) दो संसद सदस्य;
- (iii) चार सदस्य जिनमें से प्रत्येक वेतन एवं श्रम संबंधी मुद्दों के क्षेत्र में व्यावसायिक होगा।
- (iv) एक सदस्य जो औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 7क के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा गठित औद्योगिक न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी है अथवा रह चुका है; और
- (v) दो सदस्य जिनमें से प्रत्येक धारा 42 की उप-धारा (4) में संदर्भित राज्य सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष होगा, जहां तक संभव हो, उसे राज्यों से रोटेशन आधार पर लिया गया हो।

(4) धारा 42 के खण्ड (घ) में संदर्भित राज्य सरकारों के पांच प्रतिनिधियों में प्रत्येक ऐसे राज्य के राज्य श्रम विभाग के प्रधान सचिव अथवा सचिव अथवा आयुक्त होंगे जिनका निर्धारण केन्द्र सरकार रोटेशन आधार पर समय-समय पर करे।

(5) केन्द्र सरकार, बोर्ड के सदस्य नामित करते समय, इस बात का ध्यान रखेगी कि उप-नियम (2) के अंतर्गत स्वतंत्र सदस्यों के संख्या बोर्ड के कुल सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई से अधिक न हो तथा बोर्ड के सदस्यों में एक-तिहाई महिलाएं होंगी।

29. बोर्ड के अतिरिक्त कार्य - धारा 42 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट कार्यों के अतिरिक्त, यह बोर्ड केन्द्र सरकार द्वारा संदर्भ मांगने पर सरकार को निम्नलिखित के संबंध में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण से संबंधित मुद्दों पर परामर्श देता है -

- (i) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता 2020 (2020 का 37) की धारा 2 के खण्ड (zzm) में परिभाषानुसार श्रमजीवी पत्रकारों; और
- (ii) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता 2020 (2020 का 37) की धारा 2 के खण्ड (zze) में परिभाषानुसार बिक्री संवर्धन कर्मचारी।

30 बोर्ड की बैठक :- अध्यक्ष, नियम 32 के उपबंधों के अध्यक्षीन, किसी भी समय जब वह उचित समझे, बोर्ड की बैठक बुला सकता है:

परंतु न्यूनतम आधे सदस्यों से लिखित में मांग प्राप्त होने पर, अध्यक्ष ऐसी मांग प्राप्त होने की तारीख के तीस दिन के अंदर बैठक बुलाएंगे।

31. बैठक का नोटिस - अध्यक्ष प्रत्येक बैठक की तारीख, समय एवं स्थान का निर्धारण करेंगे तथा उक्त विवरण को शामिल करते हुए बैठक में की जाने वाली कार्यसूची के साथ लिखित नोटिस ऐसी बैठक की निर्धारित तारीख से कम-से कम पन्द्रह दिन पहले पंजीकृत डाक एवं इलैक्ट्रॉनिक ढंग से प्रत्येक सदस्य को भेजा जाएगा:

परंतु आकस्मिक बैठक के मामले में, प्रत्येक सदस्य को केवल सात दिन का नोटिस भी दिया जा सकता है।

32. अध्यक्ष के कार्य:- अध्यक्ष

(i) बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे:

परंतु किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सदस्य अपने में से उस बैठक की अध्यक्षता करने हेतु मतों के बहुमत से सदस्य का चुनाव करेंगे;

(ii) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यसूची का निर्धारण करेंगे;

(iii) जहाँ बोर्ड की बैठक में किसी मुद्दे का निर्णय मतदान द्वारा करना हो, वहाँ मतदान आयोजित कराएंगे और बैठक में क में गुप्त मतदान की गणना करेंगे या कराने का प्रबंध करें।

33. गणपूर्ति - किसी बैठक में कोई कार्य नहीं किया जाएगा यदि न्यूनतम एक-तिहाई सदस्य तथा नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों दोनों का न्यूनतम एक-एक प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है;

परंतु यदि किसी बैठक में एक-तिहाई सदस्यों से कम सदस्य उपस्थित हैं, तो अध्यक्ष उस बैठक को मूल बैठक की तारीख से अधिकतम सात दिन के लिए स्थगित कर सकते हैं तथा ऐसी स्थगित बैठक में कार्य का निपटान वैध हो जाएगा चाहे उपस्थित सदस्यों की संख्या कुछ भी हो:

परंतु ऐसी स्थगित बैठक की तारीख, समय एवं स्थान सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से अथवा पंजीकृत डाक से सूचित किया जाए।

34. बोर्ड के कार्य का निपटान - बोर्ड के सभी कार्यों पर बोर्ड की बैठक में विचार किया जाएगा तथा उपस्थित सदस्यों तथा मतदान करने वालों के बहुमत द्वारा कार्यों का निर्णय लिया जाएगा तथा बराबर मत होने पर, अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा;

परंतु अध्यक्ष, यदि उचित समझें, तो निदेश दे सकते हैं कि किसी मामले के संबंध में निर्णय आवश्यक दस्तावेजों के परिचालन तथा सदस्यों का लिखित मत प्राप्त करके किया जाएगा:

इसके साथ-साथ शर्त यह है कि पूर्ववर्ती परंतुक के अंतर्गत किसी मामले में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा जब तक कि न्यूनतम दो-तिहाई सदस्य इसका समर्थन न करें।

35. मतदान का तरीका - बोर्ड में मतदान सामान्यतः हाथ उठाकर किया जाएगा परंतु यदि सदस्य बैलेट द्वारा मतदान की मांग करता है अथवा यदि अध्यक्ष ऐसा निर्णय लेते हैं, तो मतदान गुप्त बैलेट द्वारा अध्यक्ष द्वारा यथानिर्धारित ढंग से कराया जाएगा।

36. बैठकों कार्यवाहियां - (1) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम दर्शाते हुए, बैठक के तुरंत बाद हर हाल में अगली बैठक से सात दिन पहले प्रत्येक सदस्य तथा केन्द्र सरकार को अग्रेषित की जाएंगी।

(2) बोर्ड की प्रत्येक बैठकों की कार्यवाहियों की अगली बैठक में आवश्यक समझे जाने वाले संशोधनों, यदि कोई हो, के साथ पुष्टि की जाएगी।

37. गवाहों को आहूत करना एवं दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण (i) अध्यक्ष, यदि अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान अपेक्षित हो तो किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में प्रस्तुत होने तथा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए आहूत कर सकता है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जिसे बुलाया जाता है तथा जो बोर्ड के समय गवाह के रूप में प्रस्तुत होता है, वह अपने द्वारा किए गए खर्च के लिए सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने वाले गवाहों को देय भत्ते के भुगतान के लिए उस समय प्रवृत्त स्केल के अनुसार भत्ता का पात्र होगा।

38. समितियों की नियुक्ति - केन्द्र सरकार धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत इस खंड में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए जितनी यह आवश्यक समझे, उतनी समितियां गठित कर सकती है।

ख. धारा 42 की उप-धारा (11) के अंतर्गत बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल

39. बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल :- (1) अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य का कार्यकाल, जैसा भी मामला हो, धारा 42 की उप-धारा(1) के अंतर्गत उसकी नियुक्ति अथवा नामांकन, जो भी मामला हो, की तारीख से की तारीख से सामान्यतः दो वर्ष का होगा:

परंतु ऐसे अध्यक्ष अथवा सदस्य, दो वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति होने के बावजूद अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति अथवा नामांकन, जैसा भी मामला हो, तक अपने पद पर बने रहेंगे।

(2) आकस्मिक स्थिति को भरने के लिए नियुक्ताओं अथवा कर्मचारियों के प्रतिनिधि अथवा स्वतंत्र व्यक्ति को बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित व्यक्ति जिसके स्थान पर उनको नामित किया गया है, उस सदस्य के शेष कार्यकाल की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे।

(3) बोर्ड के आधिकारिक सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनका स्थान उनके जैसे अन्य आधिकारिक सदस्यों द्वारा न ले लिया जाए।

(4) उप-नियम (1), (2), एवं (3) में शामिल किसी बात के बावजूद बोर्ड के सदस्य केन्द्र सरकार की इच्छा तक अपने पद पर बने रहेंगे।

40. यात्रा भत्ता- अध्यक्ष तथा बोर्ड का प्रत्येक सदस्य, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में उसके द्वारा की गई किसी भी यात्रा के लिए, केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' अधिकारी पर लागू दरों तथा शर्तों के अधीन, यात्रा एवं ठहराव भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

41. अधिकारी एवं स्टाफ - केन्द्र सरकार, बोर्ड के कार्य संचालन के लिए आवश्यक समझे जाने पर, भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे के नहीं एक सचिव तथा अन्य अधिकारी और कर्मचारी बोर्ड को उपलब्ध करा सकती है।

42. बोर्ड के सदस्यों के पुनर्नामांकन हेतु पात्रता - एक निवर्तमान सदस्य बोर्ड की सदस्यता के लिए पुनर्नामांकन हेतु पात्र होगा परंतु वह कुल दो कार्यकाल के लिए सदस्य रह सकता है।

43. बोर्ड के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का त्यागपत्र - (1) बोर्ड का सदस्य, अध्यक्ष के अतिरिक्त, अध्यक्ष को लिखित में नोटिस देकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है तथा अध्यक्ष केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर त्यागपत्र दे सकते हैं।

(2) त्यागपत्र इसकी स्वीकृति की सूचना की तारीख के 30 दिन की समाप्ति जो भी पहले हो, से प्रभावी होगा।

(3) जब बोर्ड में कोई रिक्ति होती है अथवा बोर्ड की सदस्यता में रिक्ति होने की संभावना होती है, तो तत्काल अध्यक्ष इसकी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को देंगे तथा केन्द्र सरकार, तब, संहिता के उपबंधों के अनुसार रिक्तियों को भरने हेतु उपाय करेगी।

44. सदस्यता का समाप्त होना - यदि बोर्ड का कोई सदस्य, अध्यक्ष को पूर्व सूचना दिए बिना, तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित हो जाता है, तो वह बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा।

45. अयोग्यता - (1) एक व्यक्ति बोर्ड का सदस्य होने तथा सदस्य के रूप में नामित होने के लिए अयोग्य हो जाएगा-

- (i) यदि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित/पागल घोषित कर दिया जाता है; अथवा
- (ii) यदि वह अनुन्युक्त दिवालिया है; अथवा

- (iii) यदि संहिता के प्रारम्भ होने के पहले अथवा बाद में उसे नैतिक अधमता के अपराध का दोषी पाया गया है।
- (2) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या अयोग्यता उप-नियम (1) के अंतर्गत हुई है या नहीं, तो इस पर केन्द्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय VII

बकाया का भुगतान, दावे, आदि।

46. धारा 44 की उपधारा (1) के खंड (क) के तहत भुगतान- (1)(क) प्रत्येक कर्मचारी भुगतान से पहले प्रपत्र -VII में घोषणा करेगा, जिसमें किसी व्यक्ति को नामित किया जाएगा जिसे यह अधिकार दिया जाएगा कि उस कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी जमा पूंजी उसे देय होगी।

(ख) यदि नामित करते समय कर्मचारी का अपना परिवार है तो यह नामांकन उसके पति/पत्नी अथवा उसके परिवार के एक या उसके अधिक सदस्यों के साथ उसकी पति/पत्नी के पक्ष में किया जाएगा;

बशर्ते कि अपने परिवार के सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में परिवार रखने वाले कर्मचारी द्वारा किया गया नामांकन अमान्य होगा;

यह प्रावधान भी किया जाता है कि कर्मचारी द्वारा विवाह के बाद अपने पति/पत्नी के लिए नया नामांकन किया जाएगा और ऐसे विवाह से पहले किए गए किसी नामांकन को अमान्य समझा जाएगा।

(ग) जिस मामले में नामांकन किसी अवयस्क के पक्ष में पूर्णतः या अंशतः किया जाता है उसमें कर्मचारी अपने परिवार के किसी प्रमुख व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जो उस अवयस्क नामिति का अभिभावक होगा अथवा जहां परिवार में कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है तो वह अपने विवेकानुसार किसी अन्य व्यक्ति को अवयस्क नामिति का अभिभावक नियुक्त कर सकता है।

(घ) यदि कर्मचारी एक से अधिक सदस्य को नामित करता है तो वह नामांकन में अपने विवेकानुसार प्रत्येक नामित व्यक्तियों को देय राशि अथवा हिस्से का उल्लेख करेगा ताकि उसकी संपूर्ण जमापूंजी की राशि का भुगतान किया जा सके।

(2) जब संहिता के अंतर्गत कर्मचारी को देय कोई राशि उसकी मृत्यु अथवा उसका ठिकाना नहीं पता होने के कारण उसको देनी बकाया है, तथा इस राशि के कर्मचारी को देय होने की तारीख से तीन माह की समाप्ति तक कर्मचारी के नामिति को यह राशि भुगतान नहीं की जा सकी, तो नियोक्ता द्वारा यह राशि क्षेत्राधिकार वाले उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के पास जमा की जाएगी, जो उसके पास राशि जमा कराने की तारीख के दो माह के अंदर कर्मचारी द्वारा नामित व्यक्ति की पहचान का पता लगाकर उस राशि का वितरण करेगा।

47. धारा 44 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अंतर्गत असंवितरित बकाया जमा करना- (1) जहाँ इस संहिता के अंतर्गत किसी कर्मचारी को देय कोई राशि कर्मचारी द्वारा नामांकन नहीं करने के कारण अथवा अन्य किसी कारण से असंवितरित रह जाती है, तथा इस राशि के देय होने की तारीख से छह माह की

समाप्ति तक कर्मचारी के नामिति को इस राशि का भुगतान नहीं किया जा सका, तो नियोक्ता द्वारा ऐसी सम्पूर्ण राशि छह माह की उक्त अवधि के अंतिम दिन से पन्द्रह दिन की समाप्ति से पहले उस क्षेत्राधिकार वाले उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के पास जमा की जाएगी।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित राशि नियोक्ता द्वारा उस क्षेत्राधिकार वाले उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के पास बैंक अंतरण अथवा भारत में किसी अनुसूचित बैंक से उस उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के पक्ष में जारी रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाएगी।

48. धारा 44 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अंतर्गत असंवितरित देयों के निपटान का तरीका- (1) नियम 29 के उप-नियम (1) में संदर्भित राशि (एतदुपरांत इस नियम में राशि के रूप में संदर्भित) संबंधित क्षेत्राधिकार वाले उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के पास जमा राशि उसी के पास रहेगी तथा वह उसे केन्द्र अथवा राज्य सरकार प्रतिभूतियों में निवेशित अथवा किसी अनुसूचित बैंक में सावधि जमा के रूप में रखेगा।

(2) संबंधित क्षेत्राधिकार के उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) जितनी, जल्दी संभव हो सके, राशि से संबंधित विवरणों के साथ, जिसे सूचनार्थ उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) पर्याप्त समझे, नोटिस बोर्ड पर न्यूनतम पन्द्रह दिन के लिए नोटिस पर्दशित करेगा तथा क्षेत्र में जिसमें असंवितरित वेतन अर्जित किए गया था, उसमें सामान्यतः समझी जाने वाली भाषाओं में परिचालित हो रहे किन्हीं दो समाचारपत्रों में भी इस नोटिस को प्रकाशित करेगा।

(3) उप-नियम (4) के उपबंध के अध्यक्षीन, संबंधित क्षेत्राधिकार वाला उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) नामिति अथवा उस व्यक्ति को जिसने उस राशि का दावा किया है, जैसा भी मामला हो, तथा जिसके पक्ष में उस उप-मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) ने सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात राशि भुगतान करने को निर्णय किया है, राशि जारी करेगा।

(4) यदि यह असंवितरित राशि सात वर्ष में लिए अदावाकृत रहती है, तो इसका निपटान इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा यथा-निर्देशित ढंग से किया जाएगा।

अध्याय VIII

प्रपत्र, रजिस्टर एवं वेतन पर्ची

49. एकल आवेदन का प्रपत्र - 1(i) धारा 45 की उप-धारा (5) के अंतर्गत प्रपत्र-II में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ इस प्रपत्र में एकल आवेदन मैनुअल अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर किया जा सकता है।

(2) यदि धारा 45 की उप-धारा (5) के अंतर्गत किए गए आवेदन पर विचार किया जाता है तो प्राधिकारी नियोक्ता को प्रपत्र VIII में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजेगा कि वह इस नोटिस में निर्धारित तारीख को सभी संबंधित दस्तावेजों और गवाहों यदि कोई हों, के साथ उसके समक्ष उपस्थित हो और निर्धारित की गई तारीख की सूचना आवेदक को देगा।

(3) यदि नियोक्ता अथवा उसका प्रतिनिधि निर्धारित तारीख को उपस्थित नहीं होता है तो प्राधिकारी आवेदन पर सुनवाई करेगा और उस पर एक पक्षीय निर्णय देगा।

(4) यदि आवेदक अथवा उसका प्रतिनिधि अग्रिम रूप से कोई तर्क संगत कारण दिए बिना निर्धारित तारीख को उपस्थित नहीं होता है तो प्राधिकारी आवेदन पर सुनवाई करेगा और उस पर एक पक्षीय निर्णय देगा।

50. अपील:- (1) धारा 45 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिकारी द्वारा पारित आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति धारा 49 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रपत्र-III में अपीलकर्ता द्वारा वर्णित दस्तावेजों के साथ इस प्रपत्र में संबंधित क्षेत्राधिकार वाले अपीलीय प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा अपील कर सकता है।

यह प्रावधान किया जाता है कि किसी नियोक्ता द्वारा की गई कोई किसी अपील को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक अपील करते समय अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकारी के पास दवा की गई राशि जमा नहीं करता है।

(2) यदि धारा 49 की उप धारा (1) के अंतर्गत किसी अपील पर विचार किया जाता है तो अपीलीय प्राधिकारी प्रतिवादी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा पंजीकृत डाक द्वारा प्रपत्र viii में नोटिस देगा कि वह उसके समक्ष नोटिस में निर्धारित तारीख को उपस्थित हो और इस प्रकार निर्धारित तारीख के संबंध में अपीलकर्ता को सूचित करेगा।

(3) अपीलीय प्राधिकारी अपीलकर्ता और प्रतिवादी के साथ सुनवाई करने के बाद आदेश द्वारा अपील पर निर्णय लेगा।

51. रजिस्टर इत्यादि का प्रपत्र -(1) सभी प्रतिष्ठानों का प्रत्येक नियोक्ता, जिन पर संहिता लागू होती है, धारा 50 की उप-धारा (1) के तहत, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या भौतिक रूप में इन नियमों में संलग्न प्रारूपों में निम्नलिखित रजिस्टर बनाए रखेगा:

- i) प्रपत्र I में कर्मचारी रजिस्टर,
- ii) फॉर्म IV में क्षति और हानि के लिए वेतन, ओवरटाइम, अग्रिम, जुर्माना और कटौती का रजिस्टर, तथा
- iii) प्रपत्र IX में उपस्थिति रजिस्टर-सह-मस्टर रोल।

(2) धारा 19 की उपधारा (8) में निर्दिष्ट सभी जुर्माने और उनकी सभी प्राप्तियां नियोक्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से या इन नियमों के साथ संलग्न फॉर्म - IV में भौतिक रूप में रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज की जाएंगी, और उक्त उप-धारा (8) में निर्दिष्ट प्राधिकरण में संदर्भित क्षेत्राधिकार वाले उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) होगा।

(3) धारा 21 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी कटौतियों और सभी प्राप्तियों को नियोक्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से या इन नियमों के साथ संलग्न फॉर्म IV में भौतिक रूप में रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

(4) इन नियमों के तहत बनाए रखने के लिए आवश्यक रजिस्ट्रों को उनमें की गई अंतिम प्रविष्टि की तारीख के बाद पांच साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।

52. वेतन पर्ची - प्रत्येक नियोक्ता वेतन के भुगतान के समय अथवा उससे पहले धारा 50 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रपत्र V में अपने कर्मचारियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अथवा फिजिकल रूप से वेतन पर्ची जारी करेगा।

53. धारा 53 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जाँच कराने का तरीका-(1) जब धारा 53 की उप-धारा (1) के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी के समक्ष (एतदुपरांत इस नियम में अधिकारी के रूप में संदर्भित) उक्त उप-धारा में संदर्भित अपराधों के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अधिकारी अथवा पीड़ित कर्मचारी अथवा औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक संघ अथवा

किसी निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा शिकायत दायर की जाती है, तो शिकायतकर्ता द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात अधिकारी का मत है कि अपराध किया गया है, तो यह अपराधी को प्रस्तुत होने के लिए तारीख का निर्धारण करते हुए शिकायत में विनिर्दिष्ट पते पर समन जारी करता है।

(2) यदि अपराधी जिसे उप-नियम (1) के अंतर्गत समन जारी किया गया है, प्रस्तुत होता है अथवा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो अधिकारी उसे उसके खिलाफ शिकायत किए गए अपराध का उल्लेख करेगा और यदि अपराधी दोष स्वीकार करता है तो अधिकारी संहिता के उपबंधों के अनुसार उस पर शास्ति लगाएगा और यदि अपराधी दोष स्वीकार नहीं करता है, तो अधिकारी शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत गवाहों के शपथ पर साक्ष्य लेगा तथा इस तरह लाए गए गवाहों से प्रश्न पूछने (जिरह) का अवसर उपलब्ध कराएगा। यह अधिकारी गवाहों के शपथ पर बयान तथा जिरह को बचाव का अवसर देगा तथा उसके लिखित में रिकार्ड करेगा और दस्तावेजी साक्ष्यों को रिकार्ड में लेगा।

(3) अधिकारी, शिकायतकर्ता के साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात, दोषी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत गवाहों के शपथ पर बयान लेने के पश्चात शिकायतकर्ता द्वारा जिरह की जाएगी तथा अधिकारी द्वारा बचाव में दिए गए दस्तावेजी साक्ष्यों को रिकार्ड में लिया जाएगा।

(4) अधिकारी पक्षकारों को सुनने तथा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करके संहिता के उपबंधों के अनुसार शिकायत पर निर्णय लेगा।

54. धारा 56 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अपराध के संघटन का तरीका - (1) कोई दोषी व्यक्ति यदि धारा 56 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अपराध का शमन चाहता है, तो वह उक्त उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित राजपत्रित अधिकारी को प्रपत्र VI में इलैक्ट्रॉनिक रूप से अथवा फिजिकल रूप से आवेदन पर कर सकता है।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित राजपत्रित अधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर स्वयं सुनिश्चित करेगा कि यह अपराध संहिता के अंतर्गत शमनयोग्य है या नहीं और यदि अपराध शमनयोग्य है तथा दोषी व्यक्ति शमन के लिए सहमत हो जाता है, संहिता के अंतर्गत ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने की पचास प्रतिशत राशि पर अपराध की सुलह कर लेता है जिसका ऐसे अधिकारी द्वारा जारी शमन आदेश के 30 दिनों के भीतर दोषी व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाना है।

(3) जहां अभियोजन चलाने के पश्चात उप-नियम (2) के अंतर्गत अपराध में सुलह की गई है, वहां, वह अधिकारी अपने द्वारा जारी किए गए ऐसे आदेश को प्रति धारा 56 की उप-धारा (6) के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई हेतु धारा 53 की उप-धारा (1) में संदर्भित अधिकारी को भेजेगा।

अध्याय IX

विविध

55. वेतन का भुगतान - जहां कर्मचारी किसी प्रतिष्ठान में ठेकेदार के माध्यम से नियोजित हैं, वहां, वह कम्पनी अथवा फर्म अथवा संघ अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो उस प्रतिष्ठान का मालिक है, ठेकेदार को इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों के वेतन के संबंध में उसे देय राशि का भुगतान करेगा।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजनार्थ शब्द "फर्म" का वही अर्थ होगा जो इसका अर्थ भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) में है।

56. श्रमजीवी पत्रकारों के लिए तकनीकी समिति - केंद्र सरकार, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता 2020 (2020 का 37) की धारा 2 के खण्ड (zzm) में यथा परिभाषित श्रमजीवी पत्रकारों के

लिए संहिता के अंतर्गत न्यूनतम वेतन का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ ऐसे निर्धारण के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करने हेतु धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत एक तकनीकी सलाहकार समिति गठित कर सकती है।

57. न्यूनतम बोनस के भुगतान हेतु उत्तरदायित्व:- जहां किसी प्रतिष्ठान में, कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम से नियोजित किए जाते हैं तथा ठेकेदार धारा 26 के अंतर्गत उनको न्यूनतम बोनस का भुगतान करने में असफल हो जाता है, वहां, कंपनी अथवा फर्म अथवा संघ अथवा धारा 43 के परंतुक में यथा संदर्भित अन्य कोई व्यक्ति, कर्मचारियों अथवा किसी पंजीकृत श्रमिक संघ अथवा संघों जिनके कर्मचारी सदस्य हैं, द्वारा ऐसी असफलता की लिखित सूचना दिए जाने पर तथा इसकी पुष्टि करने पर कर्मचारियों को इस न्यूनतम बोनस का भुगतान करेगा।

58. वार्षिक विवरणी:- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता 2020 (2020 का 37) के अंतर्गत बनाए गए नियमों में किसी प्रतिष्ठान, जिस पर यह संहिता लागू होती है, के प्रत्येक नियोक्ता द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए निर्धारित प्रपत्र के संबंधित कॉलमों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से विवरणी दाखिल की जाएगी। ऐसी विवरणी की एक प्रति श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अग्रेषित की जाएगी।

[फा. सं. पी-11023/03/2025-डब्ल्यू सी]

आलोक मिश्रा, संयुक्त सचिव

प्रपत्र I (नियम 33 देखें) कर्मचारी रजिस्टर	
संस्थान का नाम	
नियोक्ता का नाम	
मालिक का नाम	
नियोक्ता का पैन/टैन	
1.	कर्मचारी कोड
2.	नाम
3.	उपनाम
4.	लिंग
5.	पिता/माता/पति/पत्नी का नाम
6.	जन्म तिथि
7.	जन्म स्थान
8.	राष्ट्रीयता
9.	शिक्षा स्तर
10.	ज्वाइनिंग तिथि
11.	पदनाम
12.	श्रेणी (HS/S/SS/US)*
13.	रोजगार का प्रकार (P/T/FT/T/B)**
14.	पोस्टिंग का विवरण
15.	वेतन
16.	पदोन्नति
17.	मोबाइल नंबर
18.	यूनिवर्सल खाता संख्या (UAN)
19.	पैन
20.	नामांकित व्यक्ति
21.	(नामांकन फॉर्म के आधार पर भरा जाना है)
22.	परिवार का विवरण
23.	ईपीएस/एनपीएस
24.	ईएसआईसी आईपी नंबर
25.	आधार
26.	बैंक खाता संख्या
27.	बैंक
28.	शाखा (आईएफएसएससी)
29.	वर्तमान पता
30.	स्थायी पता
31.	सर्विस बुक नंबर
32.	निकास तिथि
33.	निकास का कारण
34.	पहचान चिह्न
35.	फोटो
36.	नमूना हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

*(अत्यधिक कुशल/कुशल/अर्ध-कुशल/अकुशल)

** (स्थायी/अस्थायी/निश्चित अवधि/प्रशिक्षु/बदली)

प्ररूप-II

[नियम 31 देखें]

[धारा 45 की उप-धारा (5) के अधीन एकल आवेदन]

मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 45 की उप-धारा(1) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष

..... के लिए क्षेत्र.....

आवेदन संख्या20----- का

क, ख, ग (संख्या का उल्लेख करें) और ----- अन्य ----- आवेदक

(संबंधित कर्मचारियों या रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ या निरीक्षक-सह-सुकारक के माध्यम से)

पता -----

और

----- क्ष, त्र, ज

पता -----

के बीच

इस आवेदन में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया है:

(1) आवेदक जिनका (जिनके)नाम संलग्न अनुसूची में दिए गए हैं, -----में शामिल (कार्य की प्रकृति जो मजदूरी संहिता, 2019 द्वारा कवर होती है/ हैं) श्री/ मैसर्स ---
----- के ----- (स्थापन) में ---- से -----तक ----- (श्रेणी) के रूप में नियुक्त किया गया था / है।

(2) प्रतिवादी मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 2 (1) के अर्थ में नियोक्ता है/ हैं

(3) (क) आवेदक(आवेदकों) को ----- से -----तक की अवधि के लिए ---- रुपये प्रति दिन की दर से इस संहिता के अधीन कर्मचारी (यों) की उनकी श्रेणी (यों) के लिए विनिर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी की दरों से कम मजदूरी का भुगतान किया गया है।

(ख) आवेदक (कों) को ----- से ----- तक विश्राम के साप्ताहिक दिनों के लिए ----- रुपये प्रति दिन के मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।

(ग) आवेदक (कों) को ----- से ----- तक की अवधि के लिए अतिकालिक दर (रों) पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।

(घ) आवेदक (कों) को ----- से ----- तक की अवधि के लिए मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।

(ङ) आवेदक (कों) के मजदूरी से जो कटौती की गई है वह इस संहिता का उल्लंघन है। कटौती का ब्यौरा जिसका ब्यौरा इस आवेदन के साथ संलग्न उपाबंध में दर्शाया गया है।

(च) आवेदक (कों) को लेखा वर्ष ----- के लिए न्यूनतम बोनस का भुगतान नहीं किया गया है।

(4) आवेदक प्रत्येक रकम पर स्वयं द्वारा मांगी गई अनुतोष की रकम निम्नानुसार आकलित करता/करते हैं:

(क) ----- रुपये

(ख) ----- रुपये

(ग) ----- रुपये

कुल ----- रुपये

(5) अतः आवेदक अनुरोध करता/करते हैं कि मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 45(2) के अधीन निम्नलिखित के लिए निदेश जारी किया जाए;

(क) संहिता के अधीन देय मजदूरी और वास्तव में भुगतान किए गए मजदूरी के बीच के अंतर का भुगतान ।

(ख) विश्राम के दिवसों के लिए प्रतिपूर्ति का भुगतान ।

(ग) अतिकालिक दरों पर मजदूरी का भुगतान

(घ) ----- रुपये का प्रतिकर

(6) आवेदक एतद्वारा यह घोषणा करता है /करते हैं कि इस आवेदन में उल्लिखित तथ्य उसकी जानकारी , विश्वास और सूचना के अनुसार सत्य हैं।

तारीख

नियुक्त किए गए व्यक्ति(यों) या किसी पंजीकृत व्यवसाय संघ द्वारा
सम्यक् प्राधिकृत या निरीक्षक-सह-सुकारक के
हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान.

टिप्पण: आवेदक, यदि आवश्यक हो, तो इस आवेदन के साथ ब्यौरों से संबंधित उपाबंध संलग्न कर सकता है/सकते हैं।

प्ररूप III

(नियम 32 देखें)

मजदूरी संहिता, 2019 के अधीन अपील प्राधिकारी के समक्ष
मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 49 (1) के अधीन अपील

क. ख. ग.

पताअपीलकर्ता

बनाम

ग. घ. ड.

पता प्रतिवादी

अपील का ब्यौरा:

1. उस आदेश का विवरण जिसके विरुद्ध अपील की गई है:-

संख्या और तारीख :

प्राधिकारी जिसने प्रश्नगत आदेश जारी किया है

प्रदान की गई रकम :

प्रदान किया गया प्रतिकर, यदि कोई हो :

2. मामले के तथ्य:

(इसमें तथ्यों का कालक्रमानुसार एक संक्षिप्त विवरण दें, जहां तक संभव हो प्रत्येक पैरा में मुद्दे या तथ्य का पृथकतः उल्लेख किया जाए).

3. अपील के आधार :

4. वैसे मामले जिन्हें पहले फाइल नहीं किया गया या जो किसी अन्य न्यायालय या किसी अपील प्राधिकारी के पास लंबित न हो।

अपीलकर्ता यह और घोषणा करता है कि उसने इस मामले के संबंध में जिसमें यह अपील की गई है, पहले कोई अपील, रिट याचिका या वाद किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी के समक्ष दायर नहीं किया है और न ही ऐसी कोई अपील, रिट याचिका या वाद उनमें से किसी के पास लंबित है।

5. चाहा गया अनुतोष

उपर उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता निम्नलिखित अनुतोष प्रदान करने का अनुरोध करता है :-

[नीचे चाहा गया अनुतोष का उल्लेख करें

6. संलग्नकों की सूची:

1.

2.

3.

4.

.....

तारीख:

स्थान :

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग के लिए

फाइल करने की तारीख

या

डाक द्वारा प्राप्त करने की तारीख

रजिस्ट्रीकरण संख्या

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रपत्र-IV (नियम 19 और नियम 33 देखें)														
वेतन, ओवरटाइम, अग्रिम, जुर्माना और क्षति एवं हानि के लिए कटौतियों का रजिस्टर														
संस्थान का नाम														
नियोक्ता का नाम														
मालिक का नाम														
नियोक्ता का पैन/टैन														
प्रतिष्ठान का पंजीकरण क्रमांक (श्रम पहचान क्रमांक (एलआईएन) प्रतिष्ठान का पंजीकरण क्रमांक होगा)														
Sl. No.	कर्मचारी रजिस्टर में क्रमांक/ कर्मचारी कोड	कर्मचारी का नाम	पद	विभाग	मजदूरी भुगतान की अवधि (मासिक/ पाक्षिक/ साप्ताहिक/ दैनिक/ कार्य अवधि के आधार पर)	वेतन अवधि से तक	वेतन अवधि के दौरान काम किए गए दिनों की कुल संख्या	कुल ओवरटाइम घंटे या (पीस वर्कर्स के मामले में) ओवरटाइम उत्पादन	मजदूरी की दर					
									बैसिक	डीए	भत्ता			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
अर्जित मजदूरी की राशि				कटौती								शुद्ध भुगतान		
बैसिक	डीए	भत्ता	अधिक समय तक	कुल अर्जित मजदूरी	ईपीएफ	ईएस आईसी	सोसायटी	आयकर	बीमा	दूसरा	जुर्माने की वसूली		क्षतिपूर्ति/हानि के कारण वसूली	कुल कटौती
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
भुगतान की तिथि	कर्मचारी द्वारा रसीद/बैंक लेनदेन आईडी			जिन कृत्यों और चूकों के लिए जुर्माना लगाया गया है, उनका स्वरूप और तिथि का उल्लेख करें।				लगाए गए जुर्माने की राशि	कर्मचारी की लापरवाही या चूक के कारण नियोक्ता को हुई क्षति या हानि				नियोक्ता/नियोक्ता प्रतिनिधि के हस्ताक्षर*	
(28)	(29)			(30)				(31)	(32)				(33)	

* नोट: यदि रजिस्टर को भौतिक रूप से रखा जाता है तो यह आवश्यक है।

प्ररूप V	
[नियम 34 देखें]	
मजदूरी पर्ची	
जारी करने की तारीख	
स्थापन का नाम	
पता	
अवधि	
1.	कर्मचारी का नाम
2.	पिता / पति/पत्नी का नाम
3.	पदनाम
4.	यूएन
5.	बैंक खाता सं.
6.	मजदूरी अवधि
7.	देय मजदूरी के दर
	क. मूल
	ख. महगांई भत्ता
	ग. भत्ते
8.	कुल उपस्थिति /किए गए कार्य की मात्रा
9.	समयोपरि मजदूरी
10.	देय सकल मजदूरी
11.	कुल कटौती
	क. भविष्य निधि
	ख. ईएसआई
	ग. अन्य
12.	भुगतान किया गया कुल मजदूरी
नियोक्ता / मजदूरी प्रभारी का हस्ताक्षर	

प्ररूप VI
[नियम 36 देखें]

अपराध के कृत्य के लिए धारा 56 की उप-धारा (4) के तहत आवेदन

1. आवेदक का नाम :
2. पिता / पति-पत्नी का नाम :
3. आवेदक का पता :
4. अपराध के विवरण :.....
.....
.....
5. संहिता की धारा जिसके तहत अपराध किया गया है :.....
6. इस संहिता के तहत अपराध के लिए प्रदान किया गया अधिकतम जुर्माना :.....
7. क्या आवेदक के विरुद्ध कोई अभियोजन लंबित है या नहीं
8. क्या यह अपराध पहला अपराध है या आवेदक ने अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया था। यदि हां, तो, पहले अपराध का पूर्ण विवरण दे।
.....
.....
9. कोई अन्य सूचना जो आवेदक प्रदान करना चाहता हो
.....
.....

आवेदक
(नाम और हस्ताक्षर)

दिनांक:

प्ररूप-VII
(नियम 28 देखें)
नामांकन प्ररूप

1. नामांकन करने वाले व्यक्ति का नाम :
(बड़े अक्षरों में)
2. पिता/पति/पत्नी का नाम:
3. जन्म तारीख :
4. लिंग :
5. वैवाहिक स्थिति :
6. पता :
स्थाई :
अस्थाई :

मैं मेरी मृत्यु होने पर नियोक्ता से मुझे देय किसी रकम को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति /व्यक्तियों को एतद्वारा नामित करता/करती हूं/पूर्व में मेरे द्वारा किए गए नामांकन को रद्द करती हूं तथा निम्नलिखित व्यक्ति /व्यक्तियों को एतद्वारा नामित करता/करती हूं।

नामिति /नामितियों के नाम	पता	नामिति का कर्मचारी के साथ संबंध	जन्म तारीख	जमा संचयी रकम के अंश की कुल रकम जो प्रत्येक नामिति को भुगतान की जाए	यदि नामिति नाबालिग है तो संरक्षक का नाम, संबंध तथा पता जो नामिति के नाबालिग रहने के दौरान रकम प्राप्त करे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1. प्रमाणित करता हूं कि मेरा कोई परिवार नहीं है तथा यदि इसके बाद यदि मेरा परिवार होता है तो उपर्युक्त नामांकन को रद्द माना जाए।
2. प्रमाणित किया जाता है कि मेरे पिता/माता मुझ पर आश्रित हैं ।
3. जो लागू न हो उसे काट दिया जाए।

कर्मचारी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

नियोक्ता द्वारा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे स्थापन में नियोजित श्री/श्रीमती /कुमारी----- द्वारा प्रविष्टि / प्रविष्टियों को पढ़कर या मेरे द्वारा उसके समक्ष पढ़ने के पश्चात तथा दोनों मामलों में उसके द्वारा पुष्टि किए जाने पर उसने उपर्युक्त घोषणा और नामांकन पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए हैं /अंगूठा निशान लगाया गया है।

नियोक्ता या स्थापन के अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम

स्थान:

तारीख:

कारखाने/स्थापन का नाम, पता तथा रबर मुहर

प्ररूप VIII

(देखें नियम 49 और नियम 50)

(क) धारा 45 की उपधारा (5) के अधीन प्राधिकारी द्वारा उत्तरदाता को जारी किए जाने वाले नोटिस का प्ररूप

(आवेदन का शीर्षक)

सेवा में

नाम

पता

जबकि- ----- (आवेदक का नाम) ने मजदूरी संहिता, 2019 के अधीन मुझे उपर्युक्त आवेदन किया है, अतः आपको एतद्वारा मेरे समक्ष व्यक्तिगत रूप से या पूर्णतः प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रकट होने के लिए तलब किया जाता है, तथा आवेदन से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आपके द्वारा या आपके द्वारा पूर्ण रूप से प्राधिकृत साथ आए किसी व्यक्ति द्वारा दिए जाने अपेक्षित हैं जो ----- 20 ---- के दिन ----- पूर्वाहन/अपराहन को ऐसे प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो या आवेदन में दावे का उत्तर देने में सक्षम होंगे क्योंकि प्रकट होने हेतु विनिर्दिष्ट दिन आवेदन के अंतिम निपटान के लिए नियत है, अतः आपको उस दिन अपने बचाव में सभी गवाह जिनके साक्ष्य तथा सभी दस्तावेज जिन पर आप आश्रित हैं, को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

इस बात का ध्यान रखा जाए कि ऊपर उल्लिखित दिवस को आपके उपस्थित रहने में असफल रहने पर, आवेदन पर विचार किया जाएगा तथा आपकी अनुपस्थिति में ही निपटा दिया जाएगा।

दिनांक -----

प्राधिकारी के मुहर के साथ हस्ताक्षर

(ख) धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उत्तरदाता को जारी किए जाने वाले नोटिस का प्ररूप

(अपील का शीर्षक)

सेवा में

नाम

पता

इस बात का संज्ञान लें कि मजदूरी संहिता 2019 की धारा 49 के अधीन एक अपील (जिसकी प्रति संलग्न है) इस अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष - ----- (अपील करने वाले का नाम) द्वारा प्रस्तुत की गई है, तथा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इस अपील की सुनवाई हेतु - ----- 20 के ----- का ----- दिन ----- विनिर्दिष्ट किया गया है।

यदि आप व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं या इस अपील में आपकी तरफ से कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होता है, तो आपके अनुपस्थिति में इस अपील पर सुनवाई की जाएगी तथा विनिश्चय लिया जाएगा।

दिनांक ----

प्राधिकारी के मुहर के साथ हस्ताक्षर

प्रपत्र IX (नियम 33 देखें)																						
उपस्थिति रजिस्टर सह हाज़िरी सूची																						
संस्थान का नाम																						
नियोक्ता का नाम																						
मालिक का नाम																						
के महीने के लिए																						
क्र. सं.	कर्मचारी कोड		नाम		पद		बदलाव		कार्यस्थल/अनुभाग/विभाग													
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)													
उपस्थिति की तिथि और समय (7)																						
दिनांक	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
समय	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना
हस्ताक्षर																						

दिनांक	12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		
समय	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	
हस्ताक्षर																					

दिनांक	22		23		24		25		26		27		28		29		30		31	
समय	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना
हस्ताक्षर																				

कुल कार्य दिवसों की संख्या	कुल ओवरटाइम घंटों की संख्या	यदि कार्यस्थल से बाहर कोई दौरा या कार्य सौंपा गया हो, तो उसका संक्षिप्त विवरण।	रजिस्टर धारक के हस्ताक्षर*
(8)	(9)	(10)	(11)

*नोट: यदि रजिस्टर को भौतिक रूप से रखा जाता है तो यह आवश्यक है।

अनुसूची क
[नियम 21, 22, 26 और 27 देखें]

इस अनुसूची में सभी कर्मचारियों को देय वाषिक मजदूरी या मजदूरी के 8.33 प्रतिशत के बराबर बोनस की कुल रकम 1,04,167 मानी गई है। तदनुसार अधिकतम बोनस जिसके लिए सभी कर्मचारी भुगतान के पात्र (सभी कर्मचारियों के वाषिक मजदूरी या मजदूरी का 20 प्रतिशत) अधिकतम बोनस की रकम 2,50,000 रुपये होगी।

वर्ष	बोनस के रूप में आबंटित किए जाने योग्य उपलब्ध अतिरिक्त रकम के 60 प्रतिशत या 67 प्रतिशत, जैसा भी मामला हो, के बराबर रकम	बोनस के रूप में देय रकम	वर्ष का अग्रणीत सैट-ऑन या सैट ऑफ	कुल अग्रणीत सैट - ऑन या सैट ऑफ	
1	2	3	4	5	6
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	वर्ष (का)
1.	1,04,167	1,04,167**	शून्य	शून्य	
2.	6,35,000	2,50,000*	सैट ऑन 2,50,000*	सैट ऑन 2,50,000*	(2)
3.	2,20,000	2,50,000* (वर्ष-2 से 30,000 को शामिल करते हुए)	शून्य	Set on 2,20,000	(2)
4.	3,75,000	2,50,000*	सैट ऑन 1,25,000	सैट ऑन 2,20,000 1,25,000	(2) (4)
5.	1,40,000	2,50,000* (वर्ष-2 से 1,10,000 को शामिल करते हुए)	शून्य	सैट ऑन 1,10,000 1,25,000	(2) (4)
6.	3,10,000	2,50,000*	सैट ऑन 60,000	सैट ऑन शून्य + 1,25,000 60,000	(2) (4) (6)
7.	1,00,000	2,50,000* (वर्ष 4 से 1-25000 तथा वर्ष 6 से 25000 को शामिल करते हुए)	शून्य	सैट ऑन 35,000	(6)
8.	शून्य (नुकसान के कारण)	1,04,167**(वर्ष 6 से 35000 को शामिल करते हुए)	सैट ऑफ 69,167	सैट ऑफ 69,167	(8)
9.	10,000	1,04,167**	सैट ऑफ 94,167	सैट ऑफ 69,167 94,167	(8) (9)
10.	2,15,000	1,04,167** (वर्ष 8 से 69,167 तथा वर्ष 9 से 41,666 के सैट-ऑफ के बाद)	शून्य	सैट ऑफ 52,501	(9)

* अधिकतम.

+ वर्ष 2 के व्यपगत से 1,10,000 रुपये के सैट ऑन से से अंत शेष

** न्यूनतम

अनुसूची ख
सकल लाभ की संगणना
[नियम 23 देखें]

.....को समाप्त होने वाला लेखा वर्ष

मद सं.	विवरण	उप मदों की रकम	मुख्य मदों की रकम	अभ्युक्तियां
		रुपए	रुपए	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
*1.	प्रायिक तथा आवश्यक उपबंध करने के पश्चात् लाभ-हानि लेखा में यथा प्रदर्शित निवल लाभ।			
2.	निम्नलिखित के लिए उपबंधित रकम पीछे जोड़ दे: (क) कर्मचारियों को बोनस (ख) अवमूल्यन (ग) विकास रिबेट आरक्षिति (घ) कोई अन्य आरक्षिति मद संख्या 2 का योग	रुपए.....		पाद टिप्पण (1) देखें पाद टिप्पण (1) देखें
3.	निम्नलिखित को भी पीछे जोड़ दें: (क) कर्मचारियों को पूर्व लेखा वर्ष के लिए संदत्त बोनस (ख) कर्मचारियों को निम्नलिखित के योग के आधिक्य में संदत्त या संदेय उपदान के लिए विकलित रकम, अर्थात्:- (i) किसी अनुमोदित उपदान निधि के लिए संदत्त किए जाने के लिए उपबंधित रकम, यदि कोई है, और (ii) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर या किसी कारणवश उनका नियोजन समाप्त कर दि जाने पर उन्हें संदत्त वास्तविक रकम। (ग) आय कर के लिए अनजेय रकम के आधिक्य में संदाय			पाद टिप्पण (1) देखें पाद टिप्पण (1) देखें

	<p>(घ) (वैज्ञानिक अन्वेषण पर उस पूंजीगत व्यय से भिन्न जिसकी जिसकी कटौती प्रत्यक्ष करों से संबंधित किसी वत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अनुज्ञात है) पूंजीगत व्यय तथा पूंजीगत हानियां (जो पूंजीगत आस्तियों के विक्रय पर हुई हानियों से भिन्न हैं, जिन पर आय कर हेतु अवमूल्यन अनुज्ञात किया गया है।</p> <p>(ड.) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 34क की उप-धारा 92) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रमाणित कोई रकम।</p> <p>(च) भारत के बाहर स्थित किसी व्यवसाय की हानियां या तत्संबंधी व्यय।</p> <p>मद संख्या 3 का व्यय</p>			
4.	<p>निम्नलिखित से भिन्न वह आय, वे लाभ या अधिलाभ (यदि कोई हो) भी जोड़ दें, जो प्रकाशित या प्रकटित आरक्षित खाते में सीधे जमा किए गए हैं -</p> <p>(i) पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत लाभ (जिनमें उन पूंजीगत अस्तियों के विक्रय पर हुए लाभ भी सम्मिलित हैं, जिन पर आय-कर के लिए अवमूल्यन को अनुज्ञात नहीं किया गया है)</p> <p>(ii) भारत के बाहर स्थित किसी कारोबार के लाभ और तत्संबंधी प्राप्तियां</p> <p>(iii) भारत के बाहर विनिधानों से विदेशी बैंककारी कंपनियों की आय</p>	रूप.....		

	मद संख्या 4 का व्यय	रुपए.....		
5.	मद संख्या 1, 2, 3 और 4 का सकल योग	रुपए.....		
6.	<p>निम्नलिखित की कटौती करें:-</p> <p>(क) पूंजीगत प्राप्तियों और लाभ (जो उन आस्तियों के विक्रय से हुए लाभों में भिन्न हैं, जिनपर अवमूल्यन, आय-कर के लिए अनुज्ञात किया गया है।)</p> <p>(ख) भारत से बाहर स्थित किसी व्यवसाय के लाभ तथा तत्संबंधी प्राप्तियां</p> <p>(ग) भारत से बाहर विनिधानों से विदेशी बैंककारी कंपनियों की आय</p> <p>(घ) निम्नलिखित से भिन्न वे व्यय या हानियां (यदि कोई हो) जो प्रकाशित या प्रकटित आरक्षिति में से प्रत्यव्रतः विकसित की गई हैं:-</p> <p>(i) पूंजीगत व्यय तथा पूंजीगत हानियां (जो उन पूंजीगत आस्तियों के विक्रय पर हुई हानियों से भिन्न है, जिन पर अवमूल्यन, आय-कर के लिए अनज्ञात नहीं किया गया है)</p> <p>(ii) भारत से बाहर स्थित किसी व्यवसाय की हानियां</p> <p>(ड.) विदेशी बैंकारी कंपनियों के मामले में, प्रधान कार्यालय के आनुपातिक प्रशासनिक (उपरिव्यय) जो भारतीय व्यवसाय के हिस्से में आना चाहिए।</p> <p>(च) पूर्व लेखा वर्षों के लिए संदत्त किसी भी प्रत्यक्ष कर के किसी आधिक्य का प्रतिदाय तथा पूर्व लेखावर्षों के लेखे बोनस, अवक्षयण या विकास रिबेट संबंधी कोई उपबंधित अधिमान रकम यदि वह लेखा में पुनः प्रविष्ट की गई है।</p>			<p>पाद टिप्पण (2) देखें</p> <p>पाद टिप्पण (2) देखें</p> <p>पाद टिप्पण (2) देखें</p> <p>पाद टिप्पण (3) देखें</p> <p>पाद टिप्पण (2) देखें</p>

	(छ) बजट संबंधी अनुदानों के माध्यम से किन्हीं विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा समाप्ति किसी निगमित निकाय द्वारा या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से संदत्त नकद साहायिकी, यदि कोई हि। मद संख्या 6 का योग -----	रुपए.....		पाद टिप्पण (2) देखें
7.	बोनस के प्रयोजनों के लिए सकल लाभ (मद संख्या 5(-) ऋण मद संख्या 6)		रुपए.....	

स्पष्टीकरण: मद 3 की उपमद (ख) में, “अनुमोदित उपदान निधि” पद का वही अर्थ है जो उसका आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (5) में है।

* जहां लाभ को कराधान के अध्यक्षीन लाभ और हानि खाते में रखा गया है और आय पर करों के लिए उपबंध को दर्शाया गया है, वहां आय पर करों के लिए वास्तविक उपबंध को लाभ से काट लिया जाएगा।

पाद - टिप्पण

- (1) यदि वे और जिस विस्तार तक वे लाभ और हानि खाते में जमा किए गए हों।
- (2) यदि वे और जिस विस्तार तक वे लाभ और हानि खाते में जमा किए गए हों।
- (3) उस अनुपात में जो भारतीय सकल लाभ का (मद संख्या 7) (उस समेकित लाभ-हानि खाते के अनुसार जो केवल उपर्युक्त मद संख्या 2 में हो यथा समायोजित रूप में है) संकलित विश्व सकल लाभ से है।]

अनुसूची ग
सकल लाभ की संगणना
[नियम 24 देखें]

.....को समाप्त होने वाला लेखा वर्ष

मद सं.	विवरण	उप मदों की रकम	मुख्य मदों की रकम	अभ्युक्तियां
		रूपये	रूपये	
1.	लाभ और हानि खाते के अनुसार निवल लाभ			
2.	निम्नलिखित के लिए वापस शामिल करने का उपबंध करें : (क) कर्मचारियों को बोनस (ख) अवमूल्यन (ग) पूर्ववर्ती लेखा वर्षों के लिए उपबंध सहित (यदि कोई हो) प्रत्यक्ष कर (घ) विकास रिबेट /निवेश भत्ता / विकास भत्ता आरक्षिति (ड.) अन्य कोई आरक्षिति मद संख्या 2 का कुल -----	रूपये-----		पाद टिप्पण (1) देखें पाद टिप्पण (1) देखें
3.	निम्नलिखित को भी पीछे जोड़ दें: (क) पूर्व लेखा वर्षों की बाबत कर्मचारियों को संदत्त बोनस (कक)कर्मचारियों को निम्नलिखित के योग के अधिक संदत्त या संदेय उपदान के संबंध में उनके नामे डाली गई रकम- (i) अनुमोदित उपदान निधि में जमा की गई या उसमें संदाय के लिए उपबंधित रकम, यदि कोई हो, और (ii)कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति पर या किसी कारण से उनके नियोजन की समाप्ति पर वास्तव में संदत्त। (ख) आय-कर के लिए अनुज्ञेय रकम के आधिक्य में चंदा/दान			पाद टिप्पण (1) देखें

	<p>(ग) लेखा वर्ष के दौरान आय-कर अधिनियम की धारा 280घ के उपबंधों के अधीन कोई देय वार्षिकी या दी गई किसी वार्षिकी की संराशीकृत रकम</p> <p>(घ) पूंजीगत व्यय (वैज्ञानिक अनुसंधान पर पूंजीगत व्यय जो प्रत्यक्ष करों के संबंध में उस समय लागू किसी कानून के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय है, को छोड़कर) और पूंजीगत हानि (पूंजीगत परिसंपत्तियों के विक्रय, जिन पर आय-कर या कृषिगत आय-कर के लिए मूल्य हास की अनुमति है, को छोड़कर।)</p> <p>(ड.) भारत के बाहर स्थित किसी व्यापार के संबंध में हानि या व्यय</p> <p>मद संख्या 3 का योग्य----</p>				पाद टिप्पण (1) देखें
		रूपये.....			
4.	<p>निम्नलिखित से भिन्न वह आय, वे लाभ या अधिलाभ (यदि कोई हो) भी जोड़ दें, जो आरक्षित खाते में सीधे जमा किए गए हैं -</p> <p>(i) पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत लाभ (जिनमें उन पूंजीगत परिसम्पत्तियों के विक्रय पर हुए लाभ भी सम्मिलित हैं, जिन पर आय-कर या कृषिगत आय-कर के लिए अवमूल्यन अनुमेय नहीं है)</p> <p>(ii) भारत के बाहर स्थित किसी कारोबार के लाभ और तत्संबंधी प्राप्तियां</p> <p>(iii) भारत के बाहर निवेश से संबंधित विदेशी कंपनियों की आय</p> <p>मद संख्या 4 का कुल योग्य</p>				
		रूपये--			
5.	मद संख्या 1, 2, 3 और 4 का योग्य				
		रूपये.....			
6.	निम्नलिखित की कटौती करें:-				

<p>(क) पूंजीगत प्राप्तियों और लाभ (जो उन परिसम्पतियों के विक्रय से हुए लाभों से भिन्न हैं, जिनपर अवक्षयण, आय-कर या कृषि आय-कर के लिए अनुज्ञात किया गया है)</p> <p>(ख) भारत से बाहर स्थित किसी व्यवसाय से संबंधित लाभ और प्राप्तियां</p> <p>(ग) भारत से बाहर के निवेश से विदेशी संस्थानों की आय।</p> <p>(घ) आरक्षिति में प्रत्यक्षतः नामे डाले गए वे व्यय या हानियां (यदि कोई हो) जो निम्न से भिन्न हैं -</p> <p>(i) पूंजीगत व्यय तथा पूंजी हानियां (जो उन पूंजी परिसम्पतियों के विक्रय पर हुई हानियों से भिन्न हैं, जिन पर अवक्षयण, आय-कर या कृषि आयकर के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है)</p> <p>(ii) भारत से बाहर स्थित किसी व्यवसाय की हानियां</p> <p>(ड.) विदेशी संस्थानों की दशा में प्रधान कार्यालय के आनुपाती प्रशासनिक (उपरिव्यय) जो भारतीय व्यवसाय के हिस्से में आना चाहिए।</p> <p>(च) पूर्व लेखा वर्षों के संदर्भ संदत्त किसी भी प्रत्यक्ष कर का प्रतिदाय तथा पूर्व लेखावर्षों में बोनस, अवक्षयण, कराधान या विकास रिबेट या विकास भत्ता संबंधी यदि कोई अधिमात्रिकरूपयेउपबंधित की गई है तो वह रूपयेलेखा में पुनः प्रवृष्टि की गई हो।</p> <p>(छ) नकद सहायिकी, यदि कोई हो, जिसे विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए सरकार ने या द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित किसी निगमित निकाय ने या किसी</p>			<p>पाद टिप्पण (2) देखें</p> <p>पाद टिप्पण (2) देखें</p> <p>पाद टिप्पण (2) देखें</p> <p>पाद टिप्पण (3) देखें</p> <p>पाद टिप्पण (2) देखें</p>
--	--	--	---

	अन्य अभिकरण के बजट अनुदान के माध्यम से दी है, चाहे वह सीधे या किसी अभिकरण के माध्यम से दी गई हो और उसके आगम ऐसे प्रयोजनों के लिए अरक्षित हों। मद संख्या 6 का योग	रूपये.....		
7.	बोनस के प्रयोजनों के लिए सकल लाभ (मद संख्या 5 में से मद संख्या 6 घटाकर जो आए)	रूपये.....		

स्पष्टीकरण: मद 3 की उपमद (कक) में, "अनुमोदित उपदान निधि" पद का वही अर्थ है जो उसका आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (5) में है।

पद - टिप्पण

- (1) यदि वे और जिस सीमा तक वे लाभ और हानि खाते में जमा किए गए हों।
- (2) यदि वे और जिस सीमा तक वे लाभ और हानि खाते में जमा किए गए हों।
- (3) उस अनुपात में जो भारतीय सकल लाभ का (मद संख्या 7) (उस समेकित लाभ-हानि खाते के अनुसार जो केवल उपर्युक्त मद संख्या 2 में हो यथा समायोजित रूप में है) संकलित विश्व सकल लाभ से है।

अनुसूची घ
[नियम 25 देखें]

मद संख्या	नियोजक की श्रेणी	अतिरिक्त रकमयां जिनकी कटौती की जानी है
(1)	(2)	(3)
1.	बैंकिंग कंपनी से भिन्न कंपनी	<p>(i) उसके अधिमान प्राप्त शेयर पूंजी के संबंध में लेखा वर्ष के लिए संदेय लभांश जो ऐसी वास्तविक दर पर संशोधित हो, जिस पर ऐसे लभांश संदेय है;</p> <p>(ii) लेखा वर्ष के यथा प्रारंभ पर उसकी समादत साम्य शेयर पूंजी का 8.5 प्रतिशत;</p> <p>(iii) लेखा वर्ष के यथा प्रारंभ पर उसके तुलन पत्र में दर्शित उसकी आरक्षितियों का 6 प्रतिशत जिसके अधीन पूर्व लेखा वर्ष से अग्रेणीत कोई लाभ शामिल है; परन्तु जहां नियोजक कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(42) के अर्थ में विदेशी कंपनी है, वहां इस मद के अधीन कुल रुपये जिसकी कटौती की जानी है, वे उस संकलित मूल्य पर 8.5 प्रतिशत होंगी, जो भारत में उस कंपनी की शुद्ध विनिर्दिष्ट परिसंपत्तियों के संदर्भ में उसके चालू देयताओं की रुपये की (जो उस किसी रुपये से भिन्न है, जो चाहे तो उसके प्रधान कार्यालय द्वारा दिए गए किसी आदिदाय रकमयां अन्यथा या कंपनी द्वारा अपने प्रधान कार्यालय को दिए किसी ब्याज की रुपये कंपनी द्वारा प्रधान कार्यालय को देय दर्शाई गई है) कटौती करने के पश्चात है।</p>
2.	बैंकिंग कंपनी	<p>(i) उसकी अधिमान प्राप्त अंशपूंजी की बचत लेखा वर्ष के लिए संदेय लभांश के ऐसी दर पर संबंधित है, जिस पर ये लभांश संदेय है।</p> <p>(ii) लेखा वर्ष के आरंभ पर यथाविद्यमान उसकी प्रदत्त इक्व्यूटी शेयर पूंजी का 7.5 प्रतिशत;</p> <p>(iii) उसके तुलना पत्र में लेखा वर्ष के प्रारंभ पर यथादर्शित उसकी आरक्षित (रिजर्व) का 5 प्रतिशत, जिसके अधीन पूर्व लेखा वर्ष से अग्रेणीत कोई लाभ भी शामिल है।</p> <p>(iv) लेखा वर्ष की बाबत कोई रकम, जो उसके द्वारा -</p> <p>(क) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन किसी आरक्षित निधि को अंतरित की गई है; या</p>

		<p>(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए किसी निदेश या सूचना के अनुसार भारत में किन्हीं आरक्षितियों को अंतरित की गई है,</p> <p>उक्त दोनों में से जो भी अधिक हैं:</p> <p>परन्तु जहां बैंकिंग कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2(42) के अर्थ में विदेशी कंपनी है, वहां इस मद के अधीन कटौती की जाने वाली रकम निम्नलिखित का योग होगी-</p> <p>(i) उसके अधिमान प्राप्त अंशधारियों को लेखा वर्ष के लिए ऐसी रकम पर जिसका उसकी कुल अधिमान प्राप्त अंश पूंजी से वहीं अनुपात है जो भारत में उसके कारोबारी निधियों का उसकी कुल विश्व कारोबारी निधियों से है, उसकी दर से संदेय लाभांश जिस पर ऐसे लाभांश संदेय हैं;</p> <p>(ii) इस रूपयेका 7.5 प्रतिशत, जिसका उसकी कुल समादत्त साधारण अंशपूंजी से वहीं अनुपात है जो भारत में उसकी कुल कारोबारी निधियों का उसकी कुल विश्व कारोबारी निधियों से है;</p> <p>(iii) उस रकम का 5 प्रतिशत, जिसका उसकी कुल प्रकटित आरक्षितियों से वही अनुपात है जो भारत में उसकी कुल विश्व कारोबारी निधियों से है;</p> <p>(iv) कोई रूपये जो लेखा वर्ष के संबंध में उसके द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 11 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii)के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक में जमा की जाती है और जो पूर्वोक्त उपबंध के अधीन इस प्रकार जमा किए जाने के लिए अपेक्षित रकम से अधिक नहीं हैं।</p>
3.	निगम	<p>(i) लेखा वर्ष के यथा प्रारंभ पर उसकी समादत्त पूंजी का 8.5 प्रतिशत;</p> <p>(ii) लेखा वर्ष के यथा प्रारंभ पर उसके कुल तुलन-पत्र में दर्शित उसकी आरक्षितियों का, यदि कोई हों, 6 प्रतिशत जिसके अधीन पूर्व लेखा वर्ष से अग्रणीत कोई लाभ भी है।</p>
4.	सहकारी सोसायटी	<p>(i) लेखा सोसायटी द्वारा अपने स्थापन में निहित उस पूंजी का 8.5 प्रतिशत, जो लेखा वर्ष प्रारंभ पर उसकी लेखा-बहियों से साक्ष्यित है;</p> <p>(ii) ऐसे रूपये जो लेखा वर्ष के संबंध में सहकारी सोसायटियों से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन आरक्षित निधि में अग्रणीत की गई हो।</p>
5.	कोई अन्य नियोजक जो पूर्वोक्त श्रेणियों में से किसी में नहीं आता	<p>उसके द्वारा अपने स्थापन में निवेश की गई पूंजी का 8.5 प्रतिशत जो लेखा वर्ष के प्रारंभ पर उसकी लेखा बहियों से यथा साक्ष्यित है:</p>

		<p>परन्तु जहां ऐसा नियोजक वह व्यक्ति है जिसपर आय-कर अधिनियम का अध्याय 22क लागू होता है, वहां उस अध्याय के उपबंधों के अधीन लेखा वर्ष के दौरान संदेय वार्षिक जमा रकम की भी कटौती की जाएगी:</p> <p>परन्तु यह भी कि जहां ऐसा नियोजक कोई फर्म है, वहां उस लेखा वर्ष के संबंध में उस स्थापन से धारा 6 के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार अवमूल्यन की कटौती के उपरांत उसे व्युत्पन्न सकल लाभों के 25 प्रतिशत के बराबर रकम की भी कटौती उस स्थापन के संचालन में भाग लेने वाले सब भागीदारों के पारिश्रमिक के रूप में की जाएगी किन्तु जहां भागीदारी करार चाहे वह मौखिक या लिखित हो, ऐसे किसी भागीदार को पारिश्रमिक के संदाय के लिए उपबंध कराता है, तथा-</p> <p>(i) जहां ऐसे भागीदारों को संदेय कुल पारिश्रमिक उक्त 25 प्रतिशत से कम है, वहां ऐसी रकम अड़तालीस हजार रुपये से अधिक न हो, जो ऐसे हरेक भागीदार को संदेय है, या</p> <p>(ii) जहां ऐसे भागीदारों को संदेय कुल पारिश्रमिक उक्त 25 प्रतिशत से अधिक है वहां उतने प्रतिशत रुपये या ऐसे हर एक भागीदार को अड़तालीस हजार रुपये की दर से परिकलित रुपये में से, जो भी कम हो, उस रुपये की, परन्तुक के अधीन कटौती की जाएगी:या</p> <p>परन्तु यह भी कि जहां ऐसा नियोजक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार है, वहां-</p> <p>(i) लेखा-वर्ष के संबंध में उस स्थापन से ऐसे नियोजक को धारा-6 के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार अवमूल्यन की कटौती करने के बाद व्युत्पन्न सकल लाभ के 25 प्रतिशत के बराबर रकम की; या</p> <p>(ii) अड़तालीस हजार रुपये की,</p> <p>उक्त दोनों में से जो भी कम हो, कटौती ऐसे नियोजक के पारिश्रमिक के रूप में की जाएगी।</p>
--	--	---

स्पष्टीकरण: मद 3 की मद संख्या 1(iii), 2(iii) और 3(ii) में दी गई 'आरक्षितियों' अभिव्यक्ति के अधीन कोई ऐसी रकम शामिल नहीं है जो-

- (i) किसी ऐसे प्रत्यक्ष कर के संदाय के, जो तुलन पत्र के अनुसार संदेय होगा;
- (ii) धारा 34 के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय किसी अवमूल्यन की पूर्ति के लिए;
- (iii) ऐसे लाभांशों के संदाय, जो घोषित किए गए हैं, लेकिन जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं-

(क) इस स्पष्टीकरण के खण्ड (i) में निर्दिष्ट रुपये से अतिरिक्त ऐसी रकम जो किसी प्रत्यक्ष-कर के संदाय के प्रयोजन के लिए अलग रखी गई है, और

(ख) कोई ऐसी रकम, जो धारा 34 के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार इस रकम से अधिक रकम, जो किसी अवमूल्यन को पूरा करने के लिए अलग रखी गई है ।

अनुसूची ड
(नियम 4 का उपनियम(3) देखें)

क्रम सं.	अकुशल
(1)	(2)
1	ग्वाला
2	चरवाहा
3	क्लीनर (मोटर शेड, ट्रैक्टर, पशु-अहाता, एम.टी.)
4	चारा इकट्ठा करना
5	डेयरी कुली
6	मजदूर (बागबान, डेयरी में फूस के ढेर लगाना, सिंचाई, गोबर के ढेर लगाना, दूध दोहने का कक्ष, राशन कक्ष स्टोर, मलेरिया-रोधी, एम.आर.)
7	चालक (खच्चर, बैल, ऊँट, गधा)
8	गड़ेरिया
9	डेयरी कामगार
10	(स्टोर मजदूर)
11	वाहक (पत्थर)
12	तोड़ना (दस्ती औजारों के इस्तेमाल से)
13	हैल्पर
14	संदेशवाहक (कार्यालय)
15	माली
16	सईस
17	फूस बाँधना और ले जाना
18	स्वीपर
19	गट्ठर तोलना और ले जाना,
20	तुलाईकार (गट्ठर, पल्ली)
21	पानी वाला,
22	सईस
23	ट्रॉली मैन
24	वाल्व कर्मी
25	पहरेदार,
26	लकड़हारा,
27	लकड़हारा (स्त्री)
28	बोरीमैन,
29	कोयला कर्मी
30	कंडेनसर,
31	परिचारक,
32	घासकाटने वाला,
33	मुच्छड़ जमादार,
34	कंडेनसर परिचारक,

35	शन्टर्स
36	टरनर,
37	बजरी फैलानेवाला,
38	कूटने वाली महिला,
39	बेल-महिला
40	चेन कर्मी,
41	बोट मैन,
42	बकेट मैन,
43	श्रमिक (बॉयलर, पशु-अहाता, खेती, सामान्य भार चढ़ाना-उतारना, बंडिंग, कार्टिंग-फर्टिलाइज़र, हार्वेस्टिंग, विविध बीज-अंकुरण, बीज बोना, छाजन, प्रत्यारोपण, बागानों के खरपतवार की छँटाई)
44	क्लीनर (क्रेन, ट्रक, राख के गड्डे के लिए सुलगता कोयला),
45	कार्टमैन,
46	रखवाल (पुल),
47	वाहक (जल),
48	चौकीदार
49	कंक्रीट (हाथ से मिलाने वाला)
50	दफादार,
51	चालक (बैल, ऊंट, गधा, खच्चर),
52	फलैंग मैन,
53	फलैंगमैन (ब्लास्ट ट्रेन),
54	मशीनों पर काम न करने वाला खलासी
55	गैंगमैन,
56	गेटिंगमैन (स्थायी मार्ग),
57	हैंडर मैन, जम्पर मैन,
58	कमीन (महिला कामगार),
59	खलास,
60	पुल
61	इलेक्ट्रिकल,
62	मैरिन,
63	मोपलाह,
64	स्टोर,
65	स्टीम रोड,
66	शेयर,
67	रॉलर सर्वेक्षण,
68	छिद्र काटनेवाला,
69	लॉरी प्रशिक्षु,
70	पेट्रोलमैन,
71	सर्चर,
72	सिग्नल मैन,
73	स्ट्राइकर,

74	वैक्स नियंत्रक,
75	क्लीनर
76	ड्रेसर/ड्रेसिंग मजदूर
77	लोडर
78	संदेशवाहक (पुरुष/महिला)
79	ट्रेमर
80	रखवाल (कॉपर, क्रोमाइट और ग्रेफाइट खानों के अलावा जहाँ यह अर्धकुशल है)
81	कार्यालय चपरासी/चपरासी (बॉक्साइट खानों के अलावा)
82	संवाहक
83	नंबर टेकर
84	ट्रॉली ट्राइपर
85	वाटर कैरियर
86	मृदा कटर
87	सर्वेक्षण खलासी
88	गेट मैन,
89	विखण्डन भंडार
90	लैम्पमैन
91	बेलदार/बेलदार (कैंटीन)
92	कुली
93	रसोइये का सहायक
94	ऑफिस बॉय
95	खदान कामगार
96	जैली बनाने वाला
97	अधि भारित अपसारक
98	अपशिष्ट अपसारक मजदूर
99	उतारने वाला
100	उत्खनन श्रमिक
101	खोदने वाला
102	कसाई
103	परिचारक
104	लॉरी सहायक
105	सतही लोडर
106	लकड़हारा
107	सतही मुकर
108	भूमिगत मुकर
109	स्ट्राइकर (मोपलाह गैंग),
110	टॉल बॉय,
111	टाइल
112	लादने और उतारने में नियोजित व्यक्ति

113	किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले अकुशल प्रकृति के स्वीपिंग और क्लीनिंग तथा अन्य वर्गों में नियोजित व्यक्ति।
114	स्ट्रेचर वाहक
115	परिचर्या अर्दली
116	ट्रॉली रिट्रीवर्स (विमानपत्तन)

क्रम सं.	अर्धकुशल
(1)	(2)
1	सहायक (चौकीदार)
2	परिचारक (बुल-काल्विंग लाइन्स, चौकीदार, चाफ कटर, होस्टल, शुष्क स्टॉक, अनाज भंजक, पम्प, सीकलाइन,
3	अस्तबल, अहाता स्टॉक)
4	सहायक-नलसाज़
5	परिचारक
6	भिस्ति
7	ब्रान्डर
8	बुलमैन
9	बटरमैन
10	कोचमैन
11	मोची
12	खेतिहर
13	दफ्तरी
14	डिलीवरीमैन
15	धोबी
16	ड्रेसर
17	फायरमैन
18	ग्वाला
19	हैल्पर (लुहार)
20	हैल्पर
21	जमादार (स्टैण्ड)
22	जमादार
23	खलासी
24	माली वरिष्ठ
25	मैट/मिस्त्री
26	मजदूर (शिक्षित)
27	नलबन्द
28	ऑयलमैन
29	हलवाला
30	वीटेकर्स

31	पर्यवेक्षक
32	छप्पर
33	वाल्वमैन
34	वाल्वमैन (वरिष्ठ)
35	टिन केबलें लगाने वाला वायरमैन
36	रसोइया
37	डेन्डी
38	फ्राश
39	आरी कामगार
40	हैल्पर (लॉको-क्रेन/ट्रक)
41	मांड़ी (बोटमैन)
42	बेलचावाला
43	मुक्काडेम (धात्विक बुलडोजर चालक खान विनियम, 1961 के अधीन सक्षमता प्रमाण-पत्र के बिना)
44	भिस्ति (मुश्क के साथ)
45	बोटमैन (मुखिया)
46	ब्रेकर,
47	ब्रेकर (पत्थर, चट्टान, पहाड़ी पत्थर, पत्थर धातु)
48	कैनवीवर
49	चेनमैन (मुखिया)
50	चारपाई बुनकर
51	चेकर
52	क्रैकर
53	डॉलीमैन
54	सहायक
55	ड्रिलर
56	सुचालक (त्वचा)
57	उत्खनक
58	फेरोमैन
59	फायरमैन (ईट भट्टा, वाष्प रोड रोलर)
60	द्वारपाल
61	घरामी
62	क्लासमैन
63	ग्रेटर
64	ग्रीजर-सह-फायरमैन
65	ग्राइन्डर
66	हैमरमैन
67	हैल्पर (कारीगर)
68	हैल्पर (आराकस)
69	कीमैन

70	खलासी (मुख्य पर्यवेक्षक, रिक्टर्स-मोपलाह गैंग, पर्यवेक्षी)
71	श्रमिक (पत्थर-काटना)
72	लास्कर
73	माली (मुखिया)
74	स्टॉकर्स और बॉयलरमैन
75	थूमबामैन (फावड़ा कामगार)
76	ट्रॉलीमैन (हैड मोटर)
77	फिटर (सहायक अर्ध-कुशल)
78	मेट (पत्थर)
79	कसाब
80	खलासी (संरचनात्मक)
81	मसालची पी.एम. मेट्स
82	खनिक
83	अप्रशिक्षित मेट/खनन मेट/ धात्विक बुलडोजर चालक खान विनियम, 1961 के अधीन सक्षमता प्रमाण-पत्र के बिना मेट
84	बटलर/रसोइया
85	ब्रेकर (मशीनी उपकरणों के इस्तेमाल से)
86	शिशु-सदन आया/आया/अप्रशिक्षित शिशु-सदन परिचारक
87	सहायक ड्रिलर
88	ऑयलमैन/ऑयलर
89	चौकीदार/वाँचमैन
90	हैल्पर (राजमिस्त्री, बढई, लुहार)
91	टिन्डेल्स
92	टोपाज़
93	टोपकार (बड़ा पत्थर भंजक)
94	ट्रॉली जमादार
95	विंचमैन
96	उपस्थिति-रखवाल
97	सहायक वायरमैन
98	मेट
99	मेट (लुहार, सड़क, बढई)
100	इंजिन ड्राइवर और/या फीडर
101	फिटर
102	गैंग
103	मजदूर राजमिस्त्री
104	स्थायी मार्ग
105	पम्प-चालक, टरनर)
106	मजदूर (हैवी-वेट)
107	चार्ज-मैन
108	मिस्त्री (मुखिया

109	मुकाडम
110	रात्रि-गार्ड
111	रनर (पोस्ट डाक)
112	ऑयलमैन
113	खदान कर्मी
114	खदान परिचारक
115	स्टॉनमैन
116	स्टॉकर
117	थैचर
118	पम्प परिचारक
119	बियरर
120	ब्रेकमैन
121	क्राउल्डरमैन
122	प्रयोगशाला सहायक
123	पॉइन्टसमैन सेनकम्मी
124	पत्थर खान तथा अर्ध-कुशल प्रकृति की किसी भी नाम से पुकारे जाने वाली श्रेणियाँ
125	लैब अटेंडेंट
126	डार्क रूम अटेंडेंट
127	पशु परिचर
128	वरिष्ठ वार्ड अर्दली
129	मशीन के साथ फर्श क्लीनर
130	हाउसकीपिंग जैनिटर
131	सिलेंडर हैंडलर
132	डेलीवरी बॉय
133	लिफ्ट और एस्केलेटर ऑपरेटर
134	वेटर

क्रम सं.	कुशल
(1)	(2)
1	शिल्पकार (श्रेणी-II, III, IV)
2	लुहार
3	लुहार (श्रेणी II)
4	बॉयलरमैन
5	बढ़ई
6	बढ़ई (श्रेणी II) बढ़ई-सह-लुहार
7	चौकीदार
8	चालक/ रोकड़ वाहन चालक
9	चालक (इंजिन ट्रैक्टर, एम.टी. मोटर)
10	इलेक्ट्रीशियन

11	फिटर
12	राजमिस्त्री
13	राजमिस्त्री श्रेणी II
14	मशीन हैंड (श्रेणी-II, III, IV)
15	मशीनरमैन
16	मेट ग्रेड I (वरिष्ठ)
17	मैकेनिक
18	मिल्क राइटर
19	मिस्त्री (मुखिया)
20	मॉउल्डर
21	मस्टर राइटर
22	प्रचालक (ट्यूबवेल)
23	पेन्टर
24	नलसाज़
25	वैल्डर
26	पोशिशसाज़
27	वायरमैन,
28	चिपर
29	चिपर-सह-ग्राइन्डर
30	रसोइया (मुखिया)
31	ड्रिलर
32	ड्रिलर (कुआँ खोदना)
33	चालक (लोको/ट्रक)
34	इलेक्ट्रीशियन (सहायक)
35	मैकेनिक (ट्यूब-वेल)
36	मिस्त्री (स्टेल, ट्यूबवेल, टेलीफोन)
37	मीटर रीडर
38	मौसम अवलोकनकर्ता नवधानी
39	प्रचालक (बैचिंग संयंत्र, सिनेमा परियोजना, क्लैम्प शेल्फ, कम्प्रेसर, ग्रेन, डोरिक, डीज़ल इंजिन, डोजर, ड्रेगलिंग ड्रिल डम्बर, उत्खनक, फॉर्क लिफ्ट जेनेरेटर, ग्रेडर, जैक हैमर और पेयमेन्ट ब्रेकर लोडर, पम्प, पाइल ड्राइविंग, स्क्रैपर, स्क्रीनिंग संयंत्र, शोवल, ट्रैक्टर, वाइब्रेटर, वेट बेचर, रेलवे गार्ड, मरम्मत (बैटरी))
40	शार्पर/स्लोटर
41	स्प्रेयर (अशाल्ट) स्टेशन मास्टर
42	पर्यवेक्षक (सिल्ट)
43	ट्रेड्स-मैन
44	ट्रेन जाँचकर्ता
45	टरनर/मिलर
46	टायरवल्केनाइजर
47	आराकस

48	आराकस (चयन ग्रेड श्रेणी II) सेरंग
49	सेरंगपाइल
50	बॉयलर सहित ड्राइविंग पेनटूमस
51	शैप्समैन
52	पाली-प्रभारी
53	स्प्रेयरमैन
54	स्प्रेयरमैन (सड़क)
55	पत्थर काटनेवाला
56	पत्थर काटनेवाला (चयन ग्रेड ग्रेड II श्रेणी II)
57	स्टॉन चिस्लर
58	स्टॉन चिस्लर (श्रेणी II)
59	स्टॉन ब्लास्टर
60	उप-पर्यवेक्षक (निर्हरक)
61	पर्यवेक्षक
62	पम्प चालक
63	पम्प चालक (चयन ग्रेड), ग्रेड II और III, श्रेणी II)
64	पम्प चालक (चयन ग्रेड, पी.ई., चालक,
65	पम्पमैन
66	पम्पमैन (सहायक)
67	पोलीशर (स्प्रे के साथ) ग्रेड II
68	रतन मैन
69	रिविट कटर (सहायक)
70	रिविटर
71	रिविटर (कटर)
72	सड़क निरीक्षक ग्रेड II, रेलवे प्लेट लेयर
73	रोड बेन्डर
74	हॉलेज प्रचालक
75	औषधालय परिचारक
76	वर्क सकर
77	अभ्रक कटर ग्रेड-I
78	ड्रेसर ग्रेड-I अभ्रक
79	पर्यवेक्षी फायरमैन
80	खानों में केवल फायरमैन
81	कम्प्रेसर चालक
82	पम्प मैन चालक 96, अभ्रक खानों में ग्राइन्डर
83	पर्यवेक्षक (सहायक)
84	दर्जी
85	दर्जी (तोशक)
86	ट्रांसप्रेयर
87	टार मैन

88	लाइन मैन
89	टाइलर श्रेणी-II
90	दीवार (फर्श, छत)
91	टाइलर (चयन ग्रेड)
92	टिन-स्मिथ
93	टिन स्मिथ (चयन ग्रेड, ग्रेड II और III श्रेणी II)
94	वैल सिन्कर
95	सहायक मिस्त्री
96	आर्मेचर वाइन्डर ग्रेड-II और III
97	भण्डारी
98	लुहार
99	लुहार (चयन ग्रेड, ग्रेड II, III श्रेणी II और III)
100	बॉयलरमैन
101	बॉयलरमैन ग्रेड II और III
102	फोरमैन ग्रेड II
103	कार्य (सहायक)
104	ब्रिकलेयर
105	ब्रिकलेयर (चयन ग्रेड II)
106	ब्लास्टर
107	चौकीदार (मुख्य)
108	सुरक्षा गार्ड (अशस्त्र)
109	बढ़ई (चयन ग्रेड, ग्रेड II और III श्रेणी I और III सहायक)
110	बी.आई.एम.मार्ग
111	केबिनेट बनाने वाला
112	केनमैन
113	सेलोटैक्स
114	कटर मेकर चार्गमेन, (द्वितीय श्रेणी और श्रेणी III, बढ़ई साधारण)
115	चेकदर (कनिष्ठ)
116	चिक निर्माता
117	चिक मैन (कनिष्ठ) कंक्रीट मिक्सजयोर मिक्क्षर
118	कंक्रीट मिक्सचर प्रचालक
119	मोची
120	कोरमेकर
121	चालक मोटर वाहन
122	मोटर वाहन चयन ग्रेड
123	मोटर लोरी
124	मोटर लोरी ग्रेड II
125	लोरी ग्रेड II
126	डीजल इंजन
127	डीजल इंजन ग्रेड II

128	मैकेनिकल रोड रोलर आईसी. और सीमेंट मिक्सर आदि.
129	रोड रोलर
130	रोड रोलर ड्राइवर
131	चालक इंजन स्टेटिक स्टोन क्रेशर), ट्रैक्टर बुल डोजर /, स्टीम रोड रोलर, वाटर पंप, मैकेनिकल सहायक, रोड रोलर, मैकेनिकल, स्टीम क्रेन, बुल डॉजर मैकेनिकल, सहित ट्रैक्टर, परिवहन, इंजन स्टेटिक और रोड रोलर बॉयलर परिचर
132	इंजन परिचालक(स्टोन कर्शर मैकेनिकल)
133	डिस्टेम्पर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन (ग्रेड II, श्रेणी II और श्रेणी III)
134	फिटर चयन ग्रेड, ग्रेड II और III) श्रेणी II और III सहायक, पाइप श्रेणी II, पाइप लाइन बंद करने वाले लट्ठे
135	सुदृढीकरण सह-मैकेनिक, मैकेनिक और प्लम्बर)
136	घरामी (प्रमुख)
137	घलेजियर (शीशा जडने वाला)
138	ब्लास्टिंग के लिए होल ड्रिलर
139	जोइनर
140	जोइनर (केबल, केबल ग्रेड II)
141	लाइनमैन (ग्रेड II, III, उच्च तनाव / निम्न तनाव)
142	राजमिस्त्री
143	राज मिस्त्री (चयन ग्रेड, ग्रेड II, III और कक्षा बी मिस्त्री)
144	स्टोन (स्टोन क्लास II, ईट वर्क, स्टोन वर्क)
145	ईट-परत
146	टाइल बिछाना
147	बी.आई.एम. मुक्कदम (प्रमुख)
148	पत्थर काटना
149	साधारण मैकेनिक
150	मैकेनिक
151	मैकेनिक (श्रेणी II, एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग ग्रेड II)
152	डीजल ग्रेड II
153	रोड रोलर ग्रेड II
154	सहायक (रेडियो)
155	राज मिस्त्री(घरामी)
156	मिस्त्री
157	मिस्त्री ग्रेड II, एयर कंडीशनिंग ग्रेड II, पी वे, सर्वे, संतरा कार्य)
158	राज मिस्त्री श्रेणी क
159	माउल्डर (ईट, टाइल)
160	पेंटर (चयन ग्रेड, ग्रेड II और III, श्रेणी II, सहायक लोटर और पालिशगर, पालिशगर, रफ)
161	लेपक
162	लेपक (राजमिस्त्री ग्रेड II)
163	प्लम्बर
164	प्लम्बर (चयन ग्रेड, श्रेणी II, सहायक लोटर और पालिशर, रफ),

165	लेपक
166	प्लास्टर (राजमिस्त्री ग्रेड II)
167	प्लम्बर (चयन ग्रेड, श्रेणी- II, सहायक वरिष्ठ, जूनियर, मिस्त्री ग्रेड II)
168	पाइपलाइन मिस्त्री
169	प्लम्बर - सह - फिटर
170	पालिशर
171	पालिशर(तल)
172	सिरधर लठे मन
173	भूविज्ञानी
174	ट्रेलर्स
175	टर्नर
176	गद्दी लगाने वाला
177	अपोलोस्टर (ग्रेड II और III)
178	पेंटर स्प्रे (श्रेणी II)
179	लकड़हारा
180	लकड़हारा चयन ग्रेड
181	लकड़हारा श्रेणी II
182	वर्क सिरकार
183	वैल्डर
184	एयरविनेह होलेज परिचालक
185	ऑटो इलेक्ट्रीशियन
186	दर्जी
187	कंप्रेसर प्रचालक
188	ब्लास्टर -शॉट /फाइरेर
189	मुख्य रसोइया
190	चार्यमैन
191	कंक्रीट मिक्सर प्रचालक
192	कंप्रेसर परिचर
193	एयर कंप्रेसर परिचर
194	ट्रैक्टर चालक
195	वाहन चालक
196	केमिस्ट और सहायक / केमिस्ट
197	सब-ओवरसियर (अयोग्य)
198	ड्रिलर
199	हैंडहोल ड्रिलर
200	ड्रिल मैकेनिक
201	डाइवर ऑटो
202	बिजली मिस्त्री
203	वायर लैस संचालक सहायक फोरमैन
204	फोरमैन

205	फेरी चालक
206	जारीकर्ता लोको
207	सुपर फोरमैन
208	लहरा संचालक
209	आईएमसीई चालक
210	लोको ड्राइवर
211	लोडर प्रचालक
212	लारनमैन
213	मैकेनिक/ मशीनिस्ट
214	प्रसाविका
215	टिन से मढ़नेवाला
216	सुपरवाइजरी मैकेनिक
217	केवल जिप्सम, बेराइट्स और रॉक फॉस्फेट में पंप परिचर
218	पंप ऑपरेटर / चालक
219	धात्विक खान/ विनियम, 1961 के तहत योग्यता प्रमाण पत्र के साथ खनन मेट
220	कुशल मजदूर
221	टर्नर
222	वरिष्ठ मैकेनिक
223	ड्राफ्टमैन
224	पर्यवेक्षक
225	ड्राफ्ट्स मैन
226	वायरमैन
227	टिम्बर मैन / टिम्बर मिस्त्री विद्युत्
228	स्टोन क्रेशर प्रचालक
229	क्रशर प्रचालक
230	वैल्डर
231	ऑपरेटर
232	कार्य मिस्त्री
233	इंजन चालक
234	खनन इंजन चालक ग्रेड -II
235	इंजनमैन
236	वाल्वमैन
237	कटर
238	विंडिंग इंजन चालक ग्रेड -II
239	सुरक्षा गार्ड (अशस्त्र) / मुख्य चौकीदार
240	फावरा प्रचालक
241	लिम्को लोडर प्रचालक
242	भूतल पर्यवेक्षक
243	डोजर संचालक
244	कंप्रेसर ड्रिलर

245	डम्पर ट्रैक्टर ऑपरेटर सहित
246	बॉयलर मैन (प्रमाण-पत्र सहित)
247	मशीनरी परिचर
248	एयर केडिशन मैकेनिक
249	क्रेच परिचर केवल मैग्नेसाइट, मैंगनीज और मीका माइन्स में
250	फावरा ऑपरेटर
251	पावर और पम्प हाउस प्रचालक
252	खान ग्रेड -I
253	ट्रैक्टर ऑपरेटर 80. टब रिपेयरर 81. खराद मिस्त्री
254	स्टेशनरी इंजन परिचर जेनरेटर ऑपरेटर 84. लोडिंग फोरमैन
255	डीजल मैकेनिक
256	फेरो प्रिंटर सह-अध्यक्ष
257	व्हाइट वॉशिंग और कलर वाशिंग मैन
258	ऑपरेटर न्यूनेट्रिक उपकरण, ऑपरेटर (फिटर)
259	बोरमैन
260	बोरर
261	वायरमैन (ग्रेड II और III, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल)
262	हवाइट वोशर
263	व्हाइट वॉशर (चयन ग्रेड, द्वितीय श्रेणी)
264	वैल्डर (श्रेणी II, ब्रिज कार्य)
265	वैल्डर गैस
266	मुक्कतम (धात्विक खान विनियम, 1961 के तहत क्षमता प्रमाण-पत्र)
267	सुरक्षा गार्ड (अशस्त्र) और अन्य वर्ग जो भी नाम से जो कुशल प्रकृति के हैं
268	सहायक (फार्म)
269	सहायक (कैशियर)
270	पुस्तकालय अध्यक्ष
271	टैलेक्स या टेलीफोन ऑपरेटर
272	हिंदी अनुवादक
273	टैलेक्स या टेलीफोन ऑपरेटर
274	हिंदी अनुवादक
275	लेखा लिपिक
276	लिपिक
277	कंप्यूटर / डाटा एंट्री ऑपरेटर
278	टेलीफोन ऑपरेटर, टाइपिस्ट
279	स्टोर पचिरर
280	एम. सी. लिपिक
281	मुंशी (मैट्रिकुलेट, गैर-मैट्रिकुलेट)
282	स्टोर लिपिक (मैट्रिकुलेट, गैर-मैट्रिकुलेट)
283	स्टोर कीपर
284	स्टोर कीपर ग्रेड I, ग्रेड II, (मैट्रिकुलेट)

285	टाइम कीपर
286	टाइम कीपर (मैट्रिकुलेट नॉन-मैट्रिकुलेट)
287	बुक कीपर
288	कार्य मुंशी
289	कार्य मुंशी (अधीनस्थ)
290	पत्रिका लिपिक
291	टेलर लिपिक
292	दुकान लिपिक
293	टैली लिपिक
294	स्टोर जारीकर्ता
295	औजार धारक
296	कंप्यूटर / डेटा एंट्री ऑपरेटर
297	रिकार्ड धारक
298	अन्वेषक
299	लिपिक/ फ़ाइल लिपिक
300	रजिस्टर कीपर
301	टाइम कीपर
302	मुंशी
303	टाइपिस्ट और अन्य श्रेणी जो भी नाम से पुकारते हैं जो लिपिक प्रकृति के हैं
304	नर्सिंग सिस्टर
305	स्टाफ नर्स श्रेणी 'ख'
306	चिकित्सा सामाजिक कामगार
307	आहारविद्
308	फिजियोथेरेपिस्ट/ थेरेपिस्ट
309	तकनीकी सहायक/ वैज्ञानिक सहायक
310	फार्मासिस्ट
311	रेडियोग्राफर
312	ईसीजी तकनीशियन
313	प्रयोगशाला तकनीशियन
314	एसी ऑपरेटर
315	डेटा प्रविष्टि पर्यवेक्षक
316	डीजी ऑपरेटर
317	किट-नियंत्रण
318	हाउसकीपिंग मशीन ऑपरेटर
319	कार्यकारी हाउसकीपर (रेलवे कोच)
320	टिकट वेंडोर (मेट्रो)
321	एयरलाइंस काउंटर पर काम करने वाले व्यक्ति (विमानपत्तन)
322	बैटरी कार ऑपरेटर (विमानपत्तन)
323	हेड वेटर

क्र.सं.	अत्यधिक कुशल
(1)	(2)
1	आर्टिफिशियल श्रेणी ।
2	लोहार श्रेणी ।
3	बढ़ई श्रेणी ।
4	मशीन
5	हस्त श्रेणी - ।
6	राजमिस्त्री श्रेणी - ।
7	मैकेनिक (वरिष्ठ)
8	पेंटर (ग्रेड I श्रेणी I. स्प्रे) प्लास्टर (राजमिस्त्री) श्रेणी -।
9	प्लम्बर (मुख्या, श्रेणी I)
10	मिस्त्री ग्रेड ।
11	पालिशगर (स्प्रे ग्रेड I)
12	रोड इंस्पेक्टर ग्रेड ।
13	लकड़हारा श्रेणी ।
14	स्टोन कटर ग्रेड ।
15	स्टोन कटर श्रेणी ।
16	स्टोन चिसलर श्रेणी ।
17	स्टोन मेसन श्रेणी स ।
18	उप-ओवरसियर (कुशल)
19	टिलर श्रेणी ।
20	टिनस्मिथ ग्रेड । और श्रेणी ।
21	गद्दी लगाने वाला ग्रेड ।
22	वार्निश करने वाला श्रेणी ।
23	वेल्डर-कम-फिटर और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक
24	वेल्डर (गैस) श्रेणी ।
25	व्हाइट वॉशर श्रेणी ।
26	वायरमैन ग्रेड I, श्रेणी ।
27	लकड़हारा श्रेणी ।
28	चक्की (उपकरण) ग्रेड ।
29	प्रचालक (बैचिंग प्लांट ग्रेड I)
30	लीडर ग्रेड ।
31	पाइल ड्राइविंग ग्रेड ।
32	पंप ग्रेड
33	स्क्रैपर ग्रेड ।
34	स्क्रीनिंग प्लांट ग्रेड ।
35	पंप ग्रेड ।
36	स्क्रैपर ग्रेड ।
37	सुरक्षा गार्ड (सशस्त्र)

38	आर्मेचर विंडर ग्रेड ।
39	लोहार ग्रेड । और श्रेणी ।
40	बॉयलरमैन ग्रेड ।
41	बॉयलरमैन फोरमैन ग्रेड ।
42	ईट परत श्रेणी ।
43	केबल जॉइनर ग्रेड ।
44	बढ़ई ग्रेड । और श्रेणी ।
45	सेलो कटर और डेकोरेटर
46	चार्जमैन श्रेणी ।
47	चेकर (सीनियर) ड्राइवर लॉरी ग्रेड।
48	मोटर लॉरी ग्रेड ।
49	मोटर व्हीकल श्रेणी । और डीजल इंजन ग्रेड ।
50	रोड रोलर ग्रेड ।
51	पंप क्लास इलेक्ट्रीशियन ग्रेड । और श्रेणी । / ग्रेड ।
52	फिटर (ग्रेड I, श्रेणी I)
53	पाइप श्रेणी श्रेणी । (मुख्य)
54	फोरमैन (सहायक) लाइनमैन ग्रेड । राजमिस्त्री (कुशल ग्रेड । श्रेणी I)
55	मस्त रिग
56	मैकेनिक श्रेणी । और श्रेणी II
57	मैकेनिक (डीजल ग्रेड । और रोड रोलर ग्रेड ।
58	एयरकंडिशनिंग ग्रेड । / श्रेणी I, मिस्त्री ग्रेड ।
59	मिस्त्री एयरकंडिशनिंग ग्रेड।)
60	ओवरसियर
61	ओवरसियर (सीनियर और जूनियर)
62	ट्रैगलाइन ग्रेड ।
63	ड्रिल ग्रेड ।
64	डम्पर ग्रेड ।
65	खुदाई ग्रेड ।
66	कांटा लिफ्ट ग्रेड ।
67	जेनरेटर ग्रेड ।
68	रिगर ग्रेड ।
69	रिगर ग्रेड II
70	चार्पर सिटर ग्रेड //
71	फावड़ा और ट्रैगलाइन ट्रैक्टर ग्रेड ।
72	ट्रेड्समैन क्लास ।
73	टर्नर मिलर ग्रेड //
74	कार्य (सहायक) ग्रेड।
75	कंपाउंडर
76	सर्वेयर
77	विडिंग इंजन चालक

78	ऑपरेटर (भारी मिट्टी उठाने वाली बेलचा और बुलडोजर)
79	मूख्य मिस्त्री
80	स्टाफ नर्स श्रेणी 'क'
81	जैक हैमर के अतिरिक्त ड्रिल ऑपरेटर
82	योग्यता प्रमाण पत्र सहित विद्युत पर्यवेक्षक
83	अंडरग्राउंड शिफ्ट बॉस
84	मुख्य मैकेनिक
85	योग्य और अनुभवी वेल्डर
86	मशीन टूल मैकेनिक
87	मैकेनिकल / प्लांट फोरमैन
88	खनन पर्यवेक्षक
89	व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक / शिक्षक
90	मुख्य इलेक्ट्रीशियन
91	लेखापरीक्षक
92	7 साल की सेवा वाले स्टेनो
93	स्टोर प्रभारी
94	शिफ्ट प्रभारी
95	पर्यवेक्षक
96	वॉच और वार्ड के प्रभारी
97	सुरक्षा गार्ड (सशस्त्र)
98	क्रेन ग्रेड ।
99	डीजल इंजन ग्रेड ।
100	डोजर ग्रेड ।
101	क्लैंप शैल ग्रेड ।
102	कंप्रेसर ग्रेड ।
103	ग्रेडर ग्रेड ।
104	ट्रैक्टर ग्रेड ।
105	वाइब्रेटर ग्रेड ।
106	स्क्रीनिंग प्लांट ग्रेड ।
107	बेलचा ग्रेड ।
108	फावड़ा और ड्रैगलाइन
109	टायरवेलकुलर ग्रेड ।
110	सिक््योरिटी गार्ड (सशस्त्र) और अन्य श्रेणियों को जो भी नाम से बुलाया जाता है जो अत्यधिक कुशल प्रकृति के हैं।
111	हाउसकीपिंग पर्यवेक्षक
112	कैश/ एटीएम कस्टोडियन
113	कैश वैन सशस्त्र सुरक्षा गार्ड

****नोट -** किसी कौशल श्रेणी में कार्यरत कर्मचारी को नौकरी के दौरान उच्च कौशल प्राप्त करने की स्थिति में उच्च कौशल श्रेणी में पदोन्नत किया जा सकता है।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th December, 2025

G.S.R. 936(E).—Whereas, subsequent to the enactment of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) (in short the said Code) by Parliament, the draft Code on Wages (Central) Rules, 2020 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide Notification number G.S.R. 432(E), dated 7th July, 2020 inviting objections and suggestions as required under section 67 of the said Code;

And whereas, vide notification number S.O. 4604 (E), dated 18th December 2020 and S.O. 5322 (E), dated 21st November, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), all the provisions of the said Code have been brought into force;

And whereas, in view of the provisions relating to constitution of Central Advisory Board were brought into force on 18th December, 2020, the Code on Wages (Central Advisory Board) Rules, 2021 were published separately on 1st March, 2021;

Now therefore, the following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 67 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) read with section 24 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and in supersession of the –

- (i) The Payment of Wages (Procedure) Rules, 1937;
- (ii) The Payment of Wages (Nomination) Rules, 2009;
- (iii) The Minimum Wages (Central) Rules, 1950;
- (iv) The Minimum Wages (Central Advisory Board) Rules, 2011;
- (v) The Ease of Compliance to Maintain Register under various Labour Laws Rules, 2017 to the extent these rules are made in exercise of the powers conferred by section 13 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976), section 29 and section 30 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and section 26 of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936) and applicable accordingly;
- (vi) The Payment of Bonus Rules, 1975;
- (vii) The Equal Remuneration Rules, 1976; and
- (viii) The Central Advisory Committee on Equal Remuneration Rules, 1991;
- (ix) The Payment of Wages (Procedure) Application to Scheduled employments Rules, 1962;
- (x) The Payment of Wages (Mines) Rules, 1956;
- (xi) The Payment of Undisbursed Wages (Mines) Rules, 1989;
- (xii) The Payment of Wages (Air Transport Services) Rules, 1968;
- (xiii) The Payment of Undisbursed Wages (Air Transport Services) Rules, 1988;

(xiv) The Payment of Wages (Railways) Rules, 1938;

(xv) The Payment of Wages (Deductions for National Defence Fund and Defence Savings Scheme) Rules, 1972;

(xvi) The Payment of Wages (Manner of Recovery of excess Deductions) Rules, 1966;

(xvii) The Code on Wages (Central Advisory Board) Rules, 2021;and

(xviii) The Code on Wages (Central Advisory Board) Amendment Rules, 2025;

made by the Central Government in exercise of the powers conferred by the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936), the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Payment of Bonus Act, 1965 (21 of 1965) and the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976), as the case may be, which are repealed by section 69 of the said Code on Wages, 2019 (29 of 2019), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, are hereby notified, as required by sub-section (1) of said section 67, for information of all persons likely to be affected thereby and the notice is hereby given that the said draft notification will be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published, are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri Nitesh Bhasin, Under Secretary (wagecell@nic.in), Government of India, Ministry of Labour and Employment, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001;

Objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft notification before expiry of the period specified above, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.-(1) These rules may be called the Code on Wages (Central) Rules, 2025.

(2) They extend to the whole of India.

=

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the subject or context otherwise requires, —

- a. “authority” means the authority appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 45;
- b. “appellate authority” means the appellate authority appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 49;
- c. “appeal” means an appeal under sub-section (1) of section 49;
- d. “Code” means the Code on Wages, 2019 (29 of 2019);

- e. “committee” means a committee appointed by the Central Government under clause (a) of sub-section (1) of section 8;
- f. “day” means a period of 24 hours beginning at mid-night;
- (g) “family” means all or any of the following relatives of an employee namely:—
- (a) a spouse;
 - (b) a minor legitimate or adopted child dependent upon the employee ;
 - (c) a child who is wholly dependent on the earnings of the employee, and who is—
 - (i) receiving education, till he attains the age of twenty-one years; and
 - (ii) an unmarried daughter;
 - (d) a child who is infirm by reason of any physical or mental abnormality or injury and is wholly dependent on the earnings of the employee, so long as the infirmity continues;
 - (e) dependent parents (including father-in-law and mother-in-law of a woman employee), whose income from all sources does not exceed such income as may be specified by the Central Government from time to time;
- (h) “Form” means a form appended to these rules;
- (i) “highly skilled occupation” means an occupation which calls in its performance a specific level of perfection and required competence acquired through intensive technical or professional training or practical occupational experience for a considerable period and also requires of an employee to assume full responsibility for his judgment or decision involved in the execution of such occupation;
- (j) “Inspector-cum-Facilitator” means a person appointed by the Central Government, by notification under sub-section (1) of section 51;
- (k) “Geographical Area” means, the areas notified as such by the Central Government from time to time.
- (l) “registered trade union” means a trade union registered under The Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020);
- (m) “Schedule” means a Schedule annexed to these rules;
- (n) “section” means a section of the Code;
- (o) “semi-skilled occupation” means an occupation which in its performance requires the application of skill gained by the experience on job which is capable of being applied under the supervision or guidance of a skilled employee and includes supervision over the unskilled occupation;
- (p) “skilled occupation” means an occupation which involves skill and competence in its performance through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiating and judgment;
- (q) “unskilled occupation” means an occupation which in its performance requires the application of simply the operating experience and involves no further skills.
- (2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Code shall have the meanings respectively assigned to them under the Code.

CHAPTER II Minimum Wages

3. Manner of calculating the minimum rate of wages.—(1) For the purposes of sub-section (5) of section 6, the minimum rate of wages shall be fixed on the day basis keeping in view the following criteria, namely:-

- (i) the standard working class family which includes a spouse and two children apart from the earning employee; an equivalent of three adult consumption units;
- (ii) a net intake of 2700 calories per day per consumption unit;
- (iii) 66 meters cloth per year per standard working class family;
- (iv) housing rent expenditure to constitute 10 per cent of food and clothing expenditure;
- (v) fuel, electricity and other miscellaneous items of expenditure to constitute 20 percent of minimum wage; and
- (vi) expenditure for children education, medical requirement, recreation and expenditure on contingencies to constitute 25 percent of minimum wage;

(2) When the rate of wages for a day is fixed, then, such amount shall be divided by eight for fixing the rate of wages for an hour and multiplied by twenty six for fixing the rate of wages for a month and in such division and multiplication the factors of one-half and more than one-half shall be rounded as next figure and the factors less than one-half shall be ignored. In case of a five day working week, the hourly rate of minimum wages so calculated shall be used to derive the minimum wages for the day.

=

4. Norms for fixation of minimum rate of wages.—(1) While fixing the minimum rates of wages under section 6, the Central Government shall take into account the following:

- (i) geographical area,
- (ii) experience in the area of employment, and
- (iii) level of skill required for working under the categories of unskilled, semi-skilled, skilled and highly skilled.

Provided that the Central Government shall not fix minimum wages and allowances of Central Government employees under this Code.

-

(2) The Central Government shall constitute a technical committee for the purpose of advising the Central Government in respect of skill categorization of occupation, arduousness of work, hazardous occupations or processes and underground work and like other categorization, which shall consist of the following members, namely:-

- i. Director General of Employment, Ministry of Labour and Employment, Government of India- Chairperson;
- ii. Joint Secretary in-charge of Wage Division in the Ministry of Labour and Employment, Government of India, - Member;
- iii. Chief Labour Commissioner (Central) - Member;
- iv. Joint Secretary in-charge of skill development in the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India, - Member;
- v. Two technical experts in wage determination as nominated by the Central Government -Members;
- vi. Two representatives each of employers and employees who are experts in the area of skill development; and - Members

(vii) Director/ Deputy Secretary in the Wage Division in the Ministry of Labour and Employment, Government of India, - Member Secretary.

(3) The Central Government may, on the advice of the technical committee referred to in sub-rule (2), by notification update Schedule E in respect of categorization of occupations into unskilled, semi-skilled, skilled and highly skilled by modifying, adding, or deleting any entry in respect of occupations specified in Schedule E.

(4) The technical committee referred in sub-rule (2) shall while advising the Central Government under sub-rule (3) take into account, to the possible extent, the national classification of occupation or national skills qualification framework or other similar framework for the time being formulated to identify occupations.

5. Interval for revision of variable dearness allowance.—The cost of living allowance and the cash value of the concession in respect of essential commodities at concession rate shall be computed once before 1st April and then before 1st October in every year to revise the variable dearness allowance payable to the employees on the minimum wages considering the Average Consumer Price Index Number for Industrial Workers published by the Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment, Government of India.

6. Number of hours of work which shall constitute a normal working day. —(1) The number of hours of work which shall constitute a normal working day inclusive of one or more specified intervals shall be as per general or special order, issued from time to time.

(2) The period of work of an employee shall be so arranged that inclusive of the intervals of rest, the spread over shall not exceed the number of hours as per general or special order, issued from time to time.

7. Weekly day of rest.— (1) Subject to the provisions of this rule, an employee shall be allowed rest of one day or more than one day as the case may be, every week (hereinafter referred to as “the rest days”) which in case of six day week shall ordinarily be Sunday and in case less of than six day week shall include Saturday and Sunday, but the employer may fix any other days of the week as the rest days for any employee or class of employees.

Provided that in a six-day working week or less than six days working week, as the case may be, the remaining days of the week shall be paid rest days for such employees.

Provided that an employee shall be entitled for the rest days under this sub-rule if he has worked under the same employer in case of six-day week for a continuous period of not less than six days and in case of less than six day working week for a continuous period of the stipulated number of working days as the case may be.

Provided further that the employee shall be informed of the days fixed as the rest days and of any subsequent change in the rest days before the change is effected, by display of a notice to that effect at a conspicuous place in the place of employment.

Explanation.- For the purpose of computation of the continuous period of not less than six days or the stipulated number of working days in a week specified in the second proviso to this sub-rule,

(a) any day on which an employee is required to attend for work but is given only an allowance for attendance and is not provided with work,

(b) any day on which an employee is laid off on payment of compensation under the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), and

(c) any leave or holiday, with or without pay, granted by the employer to an employee in the period of six days or during the stipulated number of working days of a week as the case may be, immediately preceding the rest days,

shall be deemed to be days on which the employee has worked.

(2) Any such employee shall not be required or allowed to work on the rest day unless he has or will have a substituted rest day for a whole day on one of the working days in a week immediately before or after the rest day:

Provided that no substitution shall be made which will result in the employee working for more than ten days consecutively without a rest day for a whole day.

(3) Where in accordance with the foregoing provisions of this rule, any employee works on a rest day and has been given a substituted rest day on any one of the working days before or after the rest day, the rest day shall, for the purpose of calculating the weekly hours of work, be included in the week in which the substituted rest day occurs.

(4) An employee shall be granted, for rest day, wages calculated at the rate applicable to the next preceding day; and where he works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, he shall be paid wages for the rest day on which he worked, at the overtime rate and wages for the substituted rest day at the rate applicable to the next preceding day:

Provided that in case of six-day week where-

- i. the minimum rate of wages of the employee as notified under the Code has been worked out by dividing the minimum monthly rate of wages by twenty- six; or
- ii. the actual daily rate of wages of the employee has been worked out by dividing the monthly rate of wages by twenty-six and such actual daily rate of wages is not less than the notified minimum daily rate of wages of the employee,

then, no wages for the rest day shall be payable; and

- iii. the employee works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, he shall be paid, only for the rest day on which he worked, an amount equal to the wages payable to him at the overtime rate;

and, if any dispute arises whether the daily rate of wages has been worked out in accordance with the provisions of this proviso, the Chief Labour Commissioner (Central) or the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) having territorial jurisdiction may, on application made to him in this behalf, decide the same, after giving an opportunity to the parties concerned to make written representations.

Provided further that in case of an employee governed by a piece-rate system, he shall be paid wages for the rest day on which he works, at the overtime rate and wages for the substituted rest day at the rate applicable to the next preceding day.

Explanation.-In this sub-rule 'next preceding day' means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day or the substituted rest day, as the case may be; and where the substituted rest day falls on a day immediately after the rest day, the next preceding day means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day.

(5) The provisions of this rule shall not operate to the prejudice of more favourable terms, if any, to which an employee may be, entitled under any other law or under the terms of any award, agreement or contract of service, and in such a case, the employee shall be entitled only to more favourable terms aforesaid.

Explanation.-For the purposes of this rule, 'week' shall mean a period of seven days beginning at midnight on Saturday night.

8. Night shifts.—Where an employee in an employment works on a shift which extends beyond midnight, then, -

- a. a rest day for the whole day for the purposes of rule 7 shall, in this case means a period of twenty-four consecutive hours beginning from the time when his shift ends; and
- b. the following day in such a case shall be deemed to be the period of twenty-four hours beginning from the time when such shift ends, and the hours after midnight during which such employee was engaged in work shall be counted towards the previous day.

9. The extent and conditions for the purposes of sub-section (2) of section 13.-In case of employees-

- a. engaged in any emergency which could not have been foreseen or prevented;
- b. engaged in work of the nature of preparatory or complementary work which must necessarily be carried on outside the limits laid down for the general working in the employment concerned;
- c. whose employment is essentially intermittent;
- d. engaged in any work which for technical reasons has to be completed before the duty is over; and
- e. engaged in a work which could not be carried on except at times dependent on the irregular action of natural forces,

the number of hours of work which shall constitute a normal working day inclusive of one or more specified intervals and the spread over of the hours of work of the employee may exceed the number of hours as specified by general or special order, issued from time to time, under Rule 6.

10. Longer wage period.- The longer wage period for the purposes of minimum rate of wages under section 14 shall be by the month.

CHAPTER III Floor Wages

11. Manner of fixing floor wage.—(1) The Central Advisory Board referred to in sub-section (1) of section 42 (hereinafter referred to as the Board) shall be consulted by the Central Government for the purpose of fixing the floor wage under sub-section (1) of section 9, taking into account the minimum living standard including the food, clothing, housing and any other factors considered appropriate by the Central Government from time to time of the standard working class family as specified in clause (i) of sub-rule (1) of rule 3.

(2) The advice of the Board obtained in consultation under sub-rule (1) shall be circulated by the Central Government to all State Governments for consultation with them.

(3) The advice of the Board referred to in sub-rule (2) and the views of the State Governments received in consultation referred to in that sub-rule shall be considered before fixing the floor wage under sub-rule (1).

(4) The Central Government may revise the floor wage fixed under sub-rule (1) ordinarily at an interval not exceeding five years and undertake adjustment for variations in the cost of living periodically in consultation with the Board.

CHAPTER IV Payment of Wages

12. Circumstances under clause (ii) of the proviso to section 10.—An employee shall not be entitled to receive wages for a full normal working day under section 10, if he is not entitled to receive such wage under any other labour law for the time being in force.

13. Recovery under sub-section (4) of section 18.—Where the total deductions authorized under sub-section (2) of section 18 exceed fifty per cent. of the wages of an employee, the excess shall be carried forward and recovered from the wages of succeeding wage period or wage periods, as the case may be, in such installments so that the recovery in any month shall not exceed the fifty per cent. of the wages of the employee in that month.

14. The authority under sub-section (1) of section 19.— The Deputy Chief Labour Commissioner (Central) having jurisdiction over the place of work of the employee concerned shall be the authority for the purposes of sub-section (1) of section 19.

15. The manner of exhibiting the notice under sub-section (2) of section 19.— A notice referred to in sub-section (2) of section 19 shall be displayed in physical form or electronically in Hindi, English and local language at the conspicuous places in the premises of the work place in which the employment is carried on, so that every concerned employee would be able easily to read the contents of the notice and a copy of the notice shall be sent electronically or by registered post to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction.

16. The procedure under sub-section (3) of section 19.—The employer shall give an intimation electronically or in writing specifying therein the detailed particulars for obtaining the approval of the imposition of fine to the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) referred to in rule 14 who shall, before granting or refusing the approval, give opportunity of being heard to the employee and the employer concerned and shall dispose of the matter within Thirty days from the date of receiving such intimation, failing which it shall be deemed to be approved.

17. Intimation of deduction.—(1)Where an employer makes any deduction in pursuance of the proviso to sub-section (2) of section 20, he shall make intimation electronically or by registered post of such deduction to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction within Ten days from the date of such deduction explaining therein the reason of such deduction.

(2) The Inspector-cum-Facilitator shall, after receiving intimation under sub-rule (1), examine such intimation and if he finds that the explanation given therein is in contravention of any provision of the Code or the rules made there under, he shall initiate appropriate action under the Code against the employer within thirty days from the date of receipt of such intimation.

18. Procedure for deduction under sub-section (2) of section 21.—Any employer desiring to make deduction for damages or loss under sub-section (1) of section 21 from the wages of an employee shall,-

- i. explain to the employee in writing the value of damage or loss of goods expressly entrusted to the employee for custody or for loss of money for which

- he is required to account and how such damages or loss is directly attributable to the neglect or default of the employee; and
- ii. give the employee an opportunity to submit any explanation and thereafter, deduction for any damages or loss, if made, shall be intimated to the employee within fifteen days from the date of such deduction.

19. Conditions regarding recovery of advance under section 23.-The recovery of,-

- i. advances of money given to an employee after the employment begins under clause (b) of section 23; or
- ii. advances of wages to an employee not already earned under clause (c) of section 23,

as the case may be, shall be made by the employer from the wages of the concerned employee in installments determined by the employer, so as any or all installments in a wage period, shall not exceed fifty per cent. of the wages of the employee subject to the ceiling specified in rule 13 in that wage period and the particulars of such recovery shall be recorded in the register maintained in Form-IV.

20. Deduction under section 24.-Deductions for recovery of loans granted for house building or other purposes approved by the Central Government and the interest due in respect thereof shall be as per extant instructions or guidelines of the Central Government regulating the extent to which such loans may be granted and the rate of interest that shall be payable thereon.

CHAPTER V Payment of Bonus

21. Calculation of set on or set off for the sixth accounting year.-For the sixth accounting year, set on or set off, as the case may be, shall be made under clause (i) of sub-section (7) of section 26, in the manner illustrated in Schedule A, taking into account the excess or deficiency, if any, as the case may be, of the allocable surplus set on or set off in respect of the fifth and sixth accounting years.

22. Calculation of set on or set off for the seventh accounting year.-For the seventh accounting year, set on or set off, as the case may be, shall be made under clause (ii) of sub-section (7) of section 26, in the manner illustrated in Schedule A, taking into account the excess or deficiency, if any, as the case may be, of the allocable surplus set on or set off in respect of the fifth, sixth and seventh accounting years.

23. Computation of gross profits under clause (a) of section 32.-The gross profits derived by an employer from an establishment in respect of the accounting year shall in the case of banking company, be calculated in the manner specified in Schedule B.

24. Computation of gross profits under clause (b) of section 32.-The gross profits derived by an employer from an establishment in respect of the accounting year in a case other than banking company, be calculated in the manner specified in Schedule C.

25. Deduction of further sums under clause (c) of section 34.-The further sums as are specified in respect of the employer in Schedule D shall be deducted from the gross profit as prior charges under clause (c) of section 34.

26. Manner of carrying forward under sub-section (1) of section 36.- Where for any accounting year, the allocable surplus exceeds the amount of maximum bonus payable to the

employees in the establishment under section 26, then, the excess shall, subject to a limit of twenty per cent. of the total salary or wage of the employees employed in the establishment in that accounting year, be carried forward for being set on in the succeeding accounting year and so on up to and inclusive of the fourth accounting year to be utilised for the purpose of payment of bonus in such manner as illustrated in Schedule A.

27. Manner of carrying forward under sub-section (2) of section 36.- Where for any accounting year, there is no available surplus or the allocable surplus in respect of that year falls short of the amount of minimum bonus payable to the employees in the establishment under section 26, and there is no amount or sufficient amount carried forward and set on under rule 26 which could be utilized for the purpose of payment of the minimum bonus, then, such minimum amount or the deficiency, as the case may be, shall be carried forward for being set off in the succeeding accounting year and so on up to and inclusive of the fourth accounting year in such manner illustrated in Schedule A.

=

CHAPTER VI Central Advisory Board

A. Procedure of Central Advisory Board under sub-section (10) of section 42

28. Constitution of the Board.-(1) The Board shall consist of the persons to be nominated by the Central Government representing employers and employees as specified in clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 42 and the independent persons and representatives of the State Governments as specified in clauses (c) and (d) of that sub-section.

(2) The persons representing employers as referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 42 shall be twelve and the persons representing employees referred to in clause (b) of that sub-section shall also be twelve.

(3) The independent persons specified in clause (c) of sub-section (1) of section 42 to be nominated by the Central Government shall consist of the following, namely:-

(i) the Chairperson;

(ii) two Members of Parliament;

(iii) four members each of whom, shall be a professional in the field of wages and labour related issues;

(iv) one member who is or has been a presiding officer of an Industrial Tribunal constituted by the Central Government under section 44 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020); and

(v) two members, each of whom shall be the Chairperson of such State Advisory Board referred to in sub-section (4) of section 42, to the extent possible, has been taken in rotation from the States.

(4) The five representatives of the State Governments referred to in clause (d) of section 42 shall each be the Principal Secretary or Secretary or Commissioner of the State Labour Department of such States as the Central Government may determine from time to time on rotation basis.

(5) The Central Government shall, while nominating the members of the Board, take into account that the independent members under sub-rule (2) shall not exceed one-third of the total members of the Board and one third of the members of the Board shall be women.

29. Additional functions of the Board.- In addition to the functions specified in sub-section (3) of section 42, the Board on reference by the Central Government advise that Government on the issue relating to the fixation of minimum wages in respect of-

(i) working journalists as defined in clause (zzm) of section 2 of the occupational safety, health and working conditions Code, 2020 (37 of 2020); and

(ii) sales promotion employees as defined in clause (zze) of section 2 of the occupational safety, health and working conditions Code, 2020 (37 of 2020).

30. Meeting of the Board. - The Chairperson may, subject to the provisions of rule 32, call a meeting of the Board at any time he thinks fit:

Provided that on requisition in writing from not less than one half of the members, the Chairperson shall call a meeting within thirty days from the date of the receipt of such requisition.

31. Notice of meetings. - The Chairperson shall fix the date, time and place of every meeting and a notice in writing containing the aforesaid particulars along with a list of business to be conducted at the meeting shall be sent to each member by registered post and electronically at least fifteen days before the date fixed for such meeting:

Provided that in the case of an emergent meeting, notice of seven days only may be given to every member.

-

32. Functions of Chairperson. - The Chairperson shall-

(i) preside at the meetings of the Board:

Provided that in the absence of the Chairperson at any meeting, the members shall elect from amongst themselves by a majority of votes, a member who shall preside at such meeting;

(ii) decide agenda of each meeting of the Board;

(iii) where in the meeting of the Board, if any issue has to be decided by voting, conduct the voting and count or cause to be counted the secret voting in the meeting.

33. Quorum. - No business shall be transacted at any meeting unless at least one-third of the members and at least one representative member each of both the employers and an employee are present:

Provided that, if at any meeting less than one-third of the members are present, the Chairperson may adjourn the meeting to a date not later than seven days from the date of the original meeting and it shall thereupon be lawful to dispose of the business at such adjourned meeting irrespective of the number of members present:

Provided further that the date, time and place of such adjourned meeting shall be intimated to all the members electronically or by a Registered post.

34. Disposal of business of the Board.- All business of the Board shall be considered at a meeting of the Board, and shall be decided by a majority of the votes of members present and voting and in the event of an equality of votes, the Chairperson shall have a casting vote:

Provided that the Chairperson may, if he thinks fit, direct that any matter shall be decided by the circulation of necessary papers and by securing written opinion of the members:

Provided further that no decision on any matter under the preceding proviso shall be taken, unless supported by not less than two-thirds majority of the members.

35. Method of voting.- Voting in the Board shall ordinarily be by show of hands, but if any member asks for voting by ballot, or if the Chairperson so decides, the voting shall be by secret ballot and shall be held in such manner as the Chairperson may decide.

36. Proceedings of the meetings.- (1) The proceedings of each meeting of the Board showing inter alia the names of the members present thereat shall be forwarded to each member and to the Central Government as soon after the meeting as possible, and in any case, not less than seven days before the next meeting.

(2) The proceedings of each meeting of the Board shall be confirmed with such modification, if any, as may be considered necessary at the next meeting.

37. Summoning of witnesses and production of documents.- (1) The Chairperson may summon any person to appear as a witness if required in the course of the discharge of his duty and require any person to produce any document.

(2) Every person who is summoned and appears as a witness before the Board shall be entitled to an allowance for expenses by him in accordance with the scale for the time being in force for payment of such allowance to witnesses appearing before a civil court.

38. Appointment of the committees.- The Central Government may constitute as many committee under clause (a) of sub-section (1) of section 8 as it considers necessary for the purposes specified in that clause.

B. Terms of office of members of the Board under sub-section (11) of section 42

39. Term of office of members of the Board.- (1) The term of office of the Chairperson or a member, as the case may be, shall be normally two years commencing from the date of his appointment or nomination, as the case may be, under sub-section (1) of section 42:

Provided that such Chairperson or a member shall, notwithstanding the expiry of the said period of two years, continue to hold office until his successor is appointed or nominated, as the case may be.

(2) An independent member of the Board nominated to fill a casual vacancy shall hold office for the remaining period of the term of office of the member in whose place he is nominated.

(3) The official members of the Board shall hold office till they are replaced by respective such other official members.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2), and (3), the members of the Board shall hold office during the pleasure of the Central Government.

40. Travelling allowance.-The Chairman and every member of the Board, shall be entitled to draw travelling and halting allowance for any journey performed by him in connection with his duties at the rates and subject to the conditions applicable to a Group A officer of the Central Government.

41. Officers and Staff.- The Central Government may provide a Secretary not below the rank of Joint Secretary to the Government of India, other officers and staff to the Board, as it may think necessary for the functioning of the Board.

42. Eligibility for re-nomination of the members of the Board.- An outgoing member shall be eligible for renomination for the membership of the Board for not more than total two terms.

43. Resignation of the Chairperson and other members of the Board.-(1) A member of the Board, other than the Chairperson, may, by giving notice in writing to the Chairperson, resign his membership and the Chairperson may resign by a letter addressed to the Central Government.

(2) A resignation shall take effect from the date of communication of its acceptance or on the expiry of Thirty days from the date of resignation, whichever is earlier.

(3) When a vacancy occurs or is likely to occur in the membership of the Board, the Chairperson shall submit a report to the Central Government immediately and the Central Government shall, then, take steps to fill the vacancy in accordance with the provisions of the Code.

44. Cessation of membership.- If a member of the Board, fails to attend three consecutive meetings without prior intimation to the Chairperson, he shall, cease to be a member thereof.

45. Disqualification.- (1) A person shall be disqualified for being nominated as, and for being a member of the Board—

(i) if he is declared to be of unsound mind by a competent court; or

(ii) if he is an un-discharged insolvent; or

(iii) if before or after the commencement of the Code, he has been convicted of an offence involving moral turpitude.

(2) If any question arises whether a disqualification has been incurred under sub-rule (1), the decision of the Central Government thereon shall be final.

CHAPTER VII PAYMENT OF DUES, CLAIMS, etc.

46. Payment under clause (a) of sub-section (1) of section 44.-(1)(a) Every employee shall make a declaration in Form-VII, nominating a person conferring the right to receive the amount that may stand in his credit at the event of his death before that amount standing to his credit has become payable or where the amount has become payable, before payment has been made.

(b) If the employee has a family at the time of making nomination, the nomination shall be in favour of the spouse or the spouse in preference followed by one or more members of his family;

Provided that nomination made by an employee having a family in favour of a person other than member of his family shall be invalid;

Provided further that a fresh nomination towards his spouse shall be made by the employee on his marriage and any nomination made before such marriage shall be deemed to be invalid.

(c) Where the nomination is wholly or partly in favour of a minor, the employee may appoint a major person of his family, to be the guardian of the minor nominee or where there is no major person in the family, he may at his discretion, appoint any other person to be a guardian of the minor nominee.

(d) If the employee nominates more than one member, he shall specify in the nomination, the amount or share payable to each of his nominees at his own discretion so as to cover the whole of the amount that may stand to his credit.

(2) Where any amount payable to an employee under the Code is due after his death or on account of his whereabouts not being known, and the amount could not be paid to the nominee of the employee until the expiry of three months from the date the amount had become payable, then, such amount shall be deposited by the employer with the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) having jurisdiction, who shall disburse the amount to the person nominated by the employee after ascertaining his identity within two months of the date on which the amount was so deposited with him.

47. Deposit of the undisbursed dues under clause (b) of sub-section (1) of section 44.

(1) Where any amount payable to an employee under this Code remains undisbursed because either no nomination has been made by such employee or for any other reason, such amounts could not be paid to the nominee of employee until the expiry of six months from the date the amount had become payable, all such amounts shall be deposited by the employer with the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) having jurisdiction before the expiry of the fifteenth day after the last day of the said period of six months.

(2) The amount referred to in sub-rule (1) shall be deposited by the employer with the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) having jurisdiction through bank transfer or through a crossed demand draft obtained from any scheduled bank in India drawn in favour of such Deputy Chief Labour Commissioner (Central).

48. Manner of dealing with the undisbursed dues under clause (b) of sub-section (1) of section 44. —(1) The amount referred to in sub rule (1) of rule 29 (hereinafter in this rule referred to as the amount) deposited with the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) having jurisdiction shall remain with him and be invested in the Central or State Government Securities or deposited as a fixed deposit in a scheduled bank.

(2) The Deputy Chief Labour Commissioner (Central) having jurisdiction will exhibit, as soon as maybe possible, a notice containing such particulars regarding the amount as the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) considers sufficient for information at least for fifteen days on the notice board and also publish such notice in any two local newspapers of vernacular language commonly understood in the area in which undisbursed wages were earned.

(3) Subject to the provision of sub-rule (4), the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) having jurisdiction shall release the amount to the nominee or to that person who has claimed such amount, as the case may be, in whose favour such Deputy Chief Labour Commissioner (Central) has decided, after giving the opportunity of being heard, the amount to be paid.

(4) If the undisbursed amount remains unclaimed for a period of seven years, the same shall be dealt within the manner as directed by the Central Government from time to time in this behalf.

CHAPTER VIII FORMS, REGISTERS AND WAGE SLIP

49. The form of a single application. – (1) A single application, may be filed under sub-section (5) of section 45 in Form-II manually or electronically along with documents specified in the said Form.

(2) Where an application under sub-section (5) of section 45 is entertained, the authority shall serve upon the employer electronically or by registered post a notice in Form VIII to appear before him on the date specified in the notice with all relevant documents and witnesses, if any, and shall inform the applicant of the date so specified.

(3) If the employer or his representative fails to appear on the specified date, the authority may hear and determine the application ex-parte.

(4) If the applicant or his representative fails to appear on the specified date without any reasonable cause shown in advance, the authority may dismiss the application.

50. Appeal.-(1) Any person aggrieved by an order passed by the authority under sub-section (2) of section 45 may prefer an appeal under sub-section (1) of section 49 in Form-III electronically or by registered post, along with documents mentioned by the appellant in the said Form, to the appellate authority having jurisdiction.

Provided that no appeal by an employer shall be admitted unless at the time of preferring the appeal, the appellant has deposited the claim amount with the appellate authority.

(2) Where an appeal under sub-section (1) of section 49 is entertained, the appellate authority, shall serve upon the respondent electronically or by registered post a notice in Form VIII to appear before him on the date specified in the notice and shall inform the appellant of the date so specified.

(3) The appellate authority shall after hearing the appellant and the respondent shall, by order, decide the appeal.

51. Form of register, etc.-(1) Every employer of all establishments to which the Code applies shall maintain under sub-section(1) of section 50, electronically or in physical form in the formats appended to these Rules, the following registers:

- i) Employee Register in Form I,
- ii) Register of Wages, Overtime, Advances, Fines and Deductions for Damage and Loss in Form IV, and
- iii) Attendance Register-cum-Muster Roll in Form IX.

(2) All fines and all realisations thereof referred to in sub section (8) of section 19 shall be recorded in a register to be kept by the employer electronically or in physical form in Form - IV appended to these rules, and the authority referred to in said sub-section(8) shall be the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) having jurisdiction.

(3) All deductions and all realisations referred to in sub section (3) of section 21 shall be recorded in a register to be kept by the employer electronically or in physical form in Form IV appended to these rules.

(4) Registers required to be maintained under these rules shall be preserved for a period of five years after the date of last entry made therein.

52. Wage slip.-Every employer shall issue wage slips, electronically or in physical form to the employees in Form V under sub-section (3) of section 50 on or before payment of wages.

53. Manner of holding enquiry under sub-section (1) of section 53.-(1) When a complaint is filed before the officer appointed under sub-section (1) of section 53 (hereinafter in this rule referred to as the officer) in respect of the offences referred to in said sub-section either by an officer authorized for such purpose by the Central Government or by an employee aggrieved or a registered trade union registered under the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) or an Inspector-cum-Facilitator, the officer, after considering such evidences as produced before him by the complainant, is of the opinion that an offence has been committed, shall issue summons to the offender on the address specified in the complaint fixing a date for his appearance.

(2) If the offender to whom the summons has been issued under sub rule (1) appears or is produced before the officer, he shall explain the offence complained against him and if the offender pleads guilty, the officer shall impose penalty on him in accordance with the provisions of the Code and when the offender does not plead guilty, the officer shall take evidence of the witnesses produced by the complainant on oath and provide opportunity of cross examination of the witnesses so produced. The officer shall record the statement of the witnesses on oath and in cross examination in writing and take the documentary evidence on record.

(3) The officer shall, after the complainant's evidence is complete, provide opportunity of defence to the accused person and the witnesses produced by the accused shall be cross examined after their statements on oath by the complainant and documentary evidence in defence shall be taken on record by the officer.

(4) The officer shall after hearing the parties and considering the evidences both oral and documentary decide the complaint in accordance with the provisions of the Code.

54. Manner of composition of offences under sub-section (1) of section 56.-(1)An accused person desirous of making composition of offence under sub-section (1) of section 56 may make

an application in Form VI electronically or manually to the Gazette Officer notified under said sub-section (1).

(2) The Gazette Officer referred to in sub-rule (1) shall on receipt of such application, satisfy himself as to whether the offence is compoundable or not under the Code and if the offence is compoundable and the accused person agrees for the composition, compromise the offence for a sum of fifty per cent. of the maximum fine provided for such offence under the Code, to be paid by the accused within thirty days of the order of composition issued by such officer.

(3) Where the offence has been compromised under sub-rule (2) after the institution of the prosecution, then, the officer shall send a copy of such order made by him for intimation to the officer referred to in sub-section (1) of section 53 for needful action under sub-section (6) of section 56.

CHAPTER IX MISCELLANEOUS

55. Payment of Wages.-Where the employees are employed in an establishment through contractor, then, the company or firm or association or any other person who is the proprietor of the establishment shall pay to the contractor the amount payable to him or it, in respect of the wages of employees in accordance with the provisions of the Code.

Explanation.-For the purpose of this rule, the expression "firm" shall have the meaning as assigned to it in the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932).

56. Technical Committee for working Journalist.-The Central Government may, for the purpose of fixing minimum wages under the code for the working journalist as defined in clause (zzm) of section 2 of the occupational safety, health and working conditions Code, 2020 (37 of 2020) appoint a technical advisory committee under clause (a) of sub-section (1) of section 8 to recommend the Central Government in respect of such fixation.

57. Responsibility for payment of minimum bonus.- Where in an establishment, the employees are employed through contractor and the contractor fails to pay minimum bonus to them under section 26, then, the company or firm or association or other person as referred to in the proviso to section 43 shall, on the written information of such failure, given by the employees or any registered trade union or unions of which the employees are members and on confirming such failure, pay such minimum bonus to the employees.

58. Annual Return.- The return under these rules shall be filed electronically by every employer of an establishment to which the Code applies in the relevant columns of the Form specified for such purpose in the rules made under the Occupational, Safety Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020). A copy of such return shall also be forwarded electronically to the Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment, Government of India.

[F. No. P-11023/03/2025-WC]

ALOK MISHRA, Jt. Secy.

FORM I (See rule 33)	
EMPLOYEE REGISTER	
Name of the Establishment	
Name of the Employer	
Name of the Owner	
PAN/TAN of the Employer	
Registration Number of the establishment (Labour Identification Number (LIN) shall be the Registration Number of the Establishment)	
1.	Employee Code
2.	Name
3.	Surname
4.	Gender
5.	Father's/Mother's/Spouse Name
6.	Date of Birth
7.	Place of Birth
8.	Nationality
9.	Education Level
10.	Date of Joining
11.	Designation
12.	Category (HS/S/SS/US)*
13.	Type of Employment (P/T/FT/T/B)**
14.	Details of Posting
15.	Pay
16.	Promotion
17.	Mobile Number
18.	Universal Account Number (UAN)
19.	PAN
20.	Nominee (To be filled on the basis of Nomination form)
21.	Details of Family
22.	EPS/NPS
23.	ESIC IP No.
24.	AADHAAR
25.	Bank A/c Number
26.	Bank
27.	Branch (IFSC)
28.	Present Address
29.	Permanent Address
30.	Service Book No.
31.	Date of Exit
32.	Reason for Exit
33.	Mark of Identification
34.	Photo
35.	Specimen Signature/Thumb Impression
36.	Remarks

-

* (Highly Skilled/Skilled/Semi skilled/Unskilled)

** (Permanent/Temporary/Fixed Term/Trainee/Badli)

FORM-II

[See rule 31]

[SINGLE APPLICATION UNDER SUB-SECTION (5) OF SECTION 45]
BEFORE THE AUTHORITY APPOINTED UNDER SUB SECTION (1) OF SECTION 45 OF THE CODE ON
WAGES, 2019 (29 OF 2019)

FOR..... AREA.....

Application No.....of 20.....

Between ABC and (State the number).....other..... Applicant

(Through employees concerned or registered trade union or Inspector- cum- Facilitator

Address.....

And

XYZ.....

Address.....

The application states as follows:

(1) The applicant(s) whose name(s) appear in the attached schedule was/were/has/have been employed fromto..... as.....(category) in.....(establishment) Shri/M/s.....engaged in(nature of work) which is/are covered by the Code on Wages, 2019.

(2) The opponent(s) is/are the employer(s) within the meaning of section 2(l) of the Code on Wages, 2019.

(3) (a)The applicant(s) has/ have been paid wages at less than the minimum rates of wages fixed for their category (categories) of employment(s) under the Code by Rs....Per day for the period(s) from.....to.....

(b) The applicant(s) has/ have not been paid wages at Rs..... Per day for the weekly days of rest from.....to...

(c) The applicant(s) has/ have not been paid wages at overtime rate(s) for the period from.....to....

(d) The applicant(s) has/have not been paid wages for period fromto.....

(e)Deductions have been made which are in contravention of the Code, from the wage(s) of the applicant(s) as per details specified in the annexure appended with this application.

(f) The applicant(s) has/have not been paid minimum bonus for the accounting year

(4) The applicant(s) estimate(s) the value of relief sought byhim/ them on each amount as under:

(a) Rs.....

(b) Rs.....

(c) Rs.....

Total Rs.....

(5) The applicant(s), therefore, pray(s) that a direction may be issued under section 45(2) of the Code on Wages, 2019 for;

(a) payment of the difference between the wages payable under the Code and the wages actually paid,

(b) payment of remuneration for the days of rest

(c) payment of wages at the overtime rates,

(d) compensation amounting to Rs.....

(6) The applicant(s) do hereby solemnly declare(s) that the facts stated in this application are true to the best of his/their knowledge, belief and information.

Dated.....

Signature or thumb-impression of the
employed person(s), or official of a registered
trade union duly authorized or Inspector- cum-
Facilitator.

Note:The applicant(s), if required, may append annexures containing details, with this application.

FORM III

(See rule 32)

APPEAL UNDER SECTION 49(1) OF THE CODE ON WAGES, 2019
BEFORE THE APPELLATE AUTHORITY UNDER THE CODE ON WAGES, 2019

A.B.C

Address.....APPELLANT

Vs.

C.D.E.

Address..... RESPONDENT

DETAILS OF APPEAL:

1. Particulars of the order against which the appeal is made :

Number and date :

The authority who has passed the impugned order:

Amount awarded:

Compensation awarded , if any :

2. Facts of the case :

(Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue or fact).

3. Grounds for appeal :

4. Matters not previously filed or pending with any other Court or any Appellate Authority:

The appellant further declares that he had not previously filed any appeal, writ petition or suit regarding the matter in respect of which this appeal has been made, before any Court or any other Authority or Appellate Authority nor any such appeal, writ petition or suit is pending before any of them.

5. Reliefs sought :

In view of the facts mentioned above the appellant prays for the following relief(s) :—

[Specify below the relief(s) sought]

6. List of enclosures:

1.

2.

3.

4.

.....

Date :

Place :

Signature of the appellant.

For office use

Date of filing

or

Date of receipt by post

Registration No.

Authorized Signatory

FORM-IV (See rule 19 and rule 33)	
REGISTER OF WAGES, OVERTIME, ADVANCES, FINES AND DEDUCTIONS FOR DAMAGE AND LOSS	
Name of the Establishment	
Name of the Employer	
Name of the Owner	
PAN/TAN of the Employer	
Registration Number of the establishment (Labour Identification Number (LIN) shall be the Registration Number of the Establishment)	

Sl. No.	Sr. No. in Employee Register / Employee Code	Name of the employee	Designation	Department	Duration of Payment of wages (Monthly/ Fortnightly/Weekly/ Daily /Piece rated)	Wage Period From-To	Total no. of days worked during the wage period	Total overtime hours worked or overtime production in case of piece workers	Rate of wages		
									Basic	DA	Allowances
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Amount of wages earned					Deductions									Net Payment
Basic	DA	Allowances	Overtime	Total wages earned	EPF	ESIC	Society	Income Tax	Insurance	Others	Recovery of Fine	Recovery on account of Damages/ Losses	Total Deductions	
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)

Date of Payment	Receipt by employee/Bank transaction ID	Nature of acts and omissions for which fine imposed with date	Amount of fine imposed	Damage or loss caused to the employer by neglect or default of the employee	Signature of Employer/ Employer Representative*
(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)

*Note: Required in case register is maintained physically.

FORM V (See rule 34)	
WAGE SLIP	
Date of issue	
Name of the Establishment	
Address	
Period	
1.	Name of employee
2.	Father's/Mother's/Spouse Name
3.	Designation
4.	UAN
5.	Bank Account Number

6.	Wage period	
7.	Rate of wages payable	
	a.	Basic
	b.	DA
	c.	Allowances
8.	Total attendance/unit of work done	
9.	Overtime wages	
10.	Gross wages payable	
11.	Total deductions	
	a.	PF
	b.	ESI
	c.	Others
12.	Net wages paid	
Employer / Pay-in-charge signature		

FORM VI
[See rule 36]

APPLICATION UNDER SUB-SECTION (4) OF SECTION 56 FOR COMPOSITION OF OFFENCE

1. Name of applicant :
2. Father's / Spouse name :
3. Address of the applicant :
4. Particulars of the offence:.....
.....
.....
5. Section of the Code under which the offence is committed
:.....
6. Maximum fine provided for the offence under the Code
:.....
7. Whether prosecution against the applicant is pending or not
.....
8. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to the offence. If yes, then, full details of the prior offence.
.....
.....
9. Any other information which the applicant desires to provide
.....
.....
.....

Dated:

Applicant
(Name and signature)

FORM-VII

(See rule 28)

NOMINATION FORM

1. Name of person making nomination:

(In block letters):

2. Father's/Spouse's Name:

3. Date of Birth:

4. Sex:

5. Marital Status:

6. Address:

Permanent:

Temporary:

I hereby nominate the person(s)/cancel the nomination made by me previously and nominate the person(s) mentioned below to receive any amount due to me from the employer in the event of my death:-

Name of nominee/nominees	Address	Nominee's relationship with the employee	Date of Birth	Total amount of share of accumulations in credit to be paid to each nominee	If the nominee is minor, name, relationship, and address of the guardian who may receive the amount during the minority of nominee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1. Certified that I have no family and if I acquire a family hereafter, the above nomination shall be deemed as cancelled.

2. Certified that my father/mother is/are dependent upon me.

3. Strike out whichever is not applicable.

Signature or the thumb impression of the employee

CERTIFICATE BY EMPLOYER

Certified that the above declaration and nomination has been signed/thumb impressed before me by Shri/Smt/Kuemployed in my establishment after he/she has read the entry/entries or have been read over to him/her by me and got confirmed by him/her in either of the cases.

Signature of the employer or other authorised officer of the establishment and Designation

Place:

Date:

Name and Address of the Factory/Establishment and rubber stamp thereof

FORM VIII

(See rule 31 and rule 32)

(A). FORM OF NOTICE TO THE RESPONDENT TO BE ISSUED BY THE AUTHORITY UNDER SUB-SECTION (5) OF SECTION 45

(Title of the application)

To

Name
Address

Whereas (name of the applicant) has made the above said application to me under the Code on Wages, 2019, you are hereby summoned to appear before me in person or by a duly authorized representative, and required to answer all material questions relating to the application, or shall be, accompanied by some person duly authorized by you and able to answer such question on the.....Day of.....20....at.....AM/PM, to answer the claim in application and as the day fixed for the appearance is appointed for the final disposal of the application, you must be prepared to produce on that day all the witnesses upon whose evidence and the documents upon which you intend to rely in support of your defense.

Take notice that in default of your appearance on the day mentioned here above, the application will be heard and disposed of in your absence.

Date.....

Signature of the authority
with seal

(B). FORM OF NOTICE TO THE RESPONDENT TO BE ISSUED BY THE APPELLATE AUTHORITY UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 49

(Title of the appeal)

To

Name
Address

Take notice that an appeal (copy of which is enclosed) under section 49 of the Code on Wages, 2019 has been presented by_____ (name of appellant) before this appellate authority, and that the ___ day of ___ 20___ has been fixed by this appellate authority for the hearing of the appeal.

If no appearance is made by you in person or by a duly authorized representative to act for you in this appeal, it will be heard and decided in your absence.

Date.....

Signature of the Appellate authority with seal

Form IX (See rule 33)																					
ATTENDANCE REGISTER CUM MUSTER ROLL																					
Name of the Establishment																					
Name of the Employer																					
Name of the Owner																					
Registration Number of the establishment (Labour Identification Number (LIN) shall be the Registration Number of the Establishment)																					
For the Month of																					
Sl. No.	Employee Code	Name		Designation		Shift		Place of work/Section/Department													
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)													
Date and Time of attendance (7)																					
Date	1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	
Time																					
Signature																					

Date	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out
Time										
Signature										
Date	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out
Time										
Signature										

Total number of days worked	Total number of overtime hours worked	Brief details of tour or assignment outside the work place, if any	Signature of Register keeper*
(8)	(9)	(10)	(11)

*Note: Required in case register is maintained physically.

Schedule A

[See rules 21, 22, 26 and 27]

In this Schedule, the total amount of bonus equal to 8.33 per cent of the annual salary or wage payable to all the employees is assumed to be Rs. 1,04,167. Accordingly, the maximum bonus to which all the employees are entitled to be paid (twenty per cent of the annual salary or wage of all the employees) would be Rs. 2,50,000.

Year	Amount equal to sixty per cent. or sixty-seven per cent., as the case may be, of available surplus allocable as bonus	Amount payable as bonus	Set on or Set off of the year carried forward	Total set on or set off carried forward	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Of (year)
1.	1,04,167	1,04,167**	Nil	Nil	
2.	6,35,000	2,50,000*	Set on 2,50,000*	Set on 2,50,000*	(2)
3.	2,20,000	2,50,000* (inclusive of 30,000 from year-2)	Nil	Set on 2,20,000	(2)
4.	3,75,000	2,50,000*	Set on 1,25,000	Set on 2,20,000 1,25,000	(2) (4)
5.	1,40,000	2,50,000* (inclusive of 1,10,000 from year-2)	Nil	Set on 1,10,000 1,25,000	(2) (4)
6.	3,10,000	2,50,000*	Set on 60,000	Set on Nil + 1,25,000 60,000	(2) (4) (6)
7.	1,00,000	2,50,000* (inclusive of 1,25,000 from year-4 and 25,000 from year-6)	Nil	Set on 35,000	(6)
8.	Nil (due to loss)	1,04,167** (inclusive of 35,000 from year-6)	Set off 69,167	Set off 69,167	(8)
9.	10,000	1,04,167**	Set off 94,167	Set off 69,167 94,167	(8) (9)
10.	2,15,000	1,04,167** (after setting off 69,167 from year-8 and 41,666 from year-9)	Nil	Set off 52,501	(9)

* Maximum.

+ The balance of Rs. 1,10,000 set on from year-2 lapses.

** Minimum

Schedule B**COMPUTATION OF GROSS PROFITS**

[See rule 23]

Accounting year ending

Item No.	Particulars	Amount of sub- Items	Amount of main Items	Remarks
		Rs.	Rs.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
*1.	Net Profit as shown in the Profit and Loss Account after making usual and necessary provisions.			
2.	Add back provision for: (a) Bonus to employees (b) Depreciation (c) Development Rebate Reserve (d) Any other reserves Total of Item No.2.....	Rs.....		See foot-note(1) See foot-note(1)
3.	Add back also: (a) Bonus paid to employees in respect of previous accounting years. (b) The amount debited in respect of gratuity paid or payable to employees in excess of the aggregate of - (i) the amount, if any, paid to, or provided for payment to, an approved gratuity fund; and (ii) the amount actually paid to employees on their retirement or on termination of their employment for any reason. (c) Donations in excess of the amount admissible for income-tax . (d) Capital expenditure (other than capital expenditure on scientific research which is allowed as a deduction under any law for the time being in force relating to direct taxes) and capital losses (other than losses on sale of capital assets on which depreciation has been allowed for income tax). (e) Any amount certified by the Reserve Bank of India in terms of sub-section (2) of section 34A of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949). (f) Losses of, or expenditure relating to, any business situated outside India. Total of Item No.3.....	Rs.....		See foot-note(1) See foot-note(1)
4.	Add also income, profits or gains (if any) credited directly to published or disclosed reserves, other than-			

	<p>(i) capital receipts and capital profits (including profits on the sale of capital assets on such depreciation has not been allowed for income-tax);</p> <p>(ii) profits of, and receipts relating to , any business situated outside India;</p> <p>(iii) income of foreign banking companies from investment outside India.</p> <p>Net total of Item No.4.....</p>	Rs.....		
5.	Total of Item Nos.1, 2, 3 and 4...	Rs.....		
6.	<p>Deduct :</p> <p>(a) Capital receipts and capital profits (other than profits on the sale of assets on which depreciation has been allowed for income-tax).</p> <p>(b) Profits of, and receipts relating to any business situated outside India.</p> <p>(c) Income of foreign banking companies from investments outside India .</p> <p>(d) Expenditure or losses (if any) debited directly to published or disclosed reserves, other than -</p> <p>(i) capital expenditure and capital losses (other than losses on sale of capital assets on which depreciation has not been allowed for income-tax);</p> <p>(ii) losses of any business situated</p>			<p>See foot-note (2)</p> <p>See foot-note (2)</p> <p>See foot-note (2)</p>

	<p>outside India.</p> <p>(e) In the case of foreign banking companies proportionate administrative (overhead) expenses of head-office allocable to Indian business.</p> <p>(f) Refund of any excess direct tax paid for previous accounting years and excess provision if any of previous accounting years, relating to bonus, depreciation or development rebate, if written back.</p> <p>(g) Cash subsidy, if any, given by the government or by anybody corporate established by any law for the time being in force or by any other agency through budgetary grants, whether given directly or through any agency for specified purposes and the proceeds of which are reserved for such purposes .</p> <p>Total of Item No. 6</p>			<p>See foot-note (3)</p> <p>See foot-note (2)</p> <p>See foot-note (2)</p>
		Rs.....		
7.	Gross profits for purposes of bonus (Item No. 5 minus Item No. 6)		Rs.....	

Explanation.— In sub-item (b) of Item 3, "approved gratuity fund" has the same meaning assigned to it in clause (5) of section 2 of the Income Tax Act, 1961.

* Where the profit subject to taxation is shown in the Profit and Loss account and the provision made for taxes on income is shown, the actual provision for taxes on income shall be deducted from the profit.

Foot-note:-

- (1) If, and to the extent, charged to Profit and Loss Account.
- (2) If, and to the extent, credited to Profit and Loss Account.
- (3) In the proportion of Indian Gross Profit (Item No. 7) to Total World Gross Profit (as per consolidated profit and loss account adjusted as in Item No. 2 above only)]

Schedule C
COMPUTATION OF GROSS PROFITS

[[See rule 24]
Accounting year ending.....

Item No.	Particulars	Amount. Of sub-Items	Amount. Of main Items	Remarks
		Rs.	Rs.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Net profit as per profit and loss account			
2.	Add back provision for : (a) Bonus to employees (b) Depreciation. (c) Direct taxes, including the provision (if any), for previous accounting years (d) Development rebate / investment allowance / development allowance reserve. (e) Any other reserves Total of Item No.2.....	Rs.....		See foot-note (1) See foot-note (1)
3.	Add back also : (a) Bonus paid to employees in respect of previous accounting years. (aa) The amount debited in respect of gratuity paid or payable to employees in excess of the aggregate of- (i) the amount, if any, paid to, or provided for payment to, an approved gratuity fund; and (ii) the amount actually paid to employees on their retirement or on termination of their employment for any reason. (b) Donations in excess of the amount admissible for income-tax . (c) Any annuity due, or commuted value of any annuity paid, under the provisions of section 280D of the Income Tax Act during the accounting year. (d) Capital expenditure (other than capital expenditure on scientific research which is allowed as a deduction under any law for the time being in force relating to direct taxes) and capital losses (other than losses on sale of capital assets on which depreciation has been allowed for income tax or agricultural income-tax.). (e) Losses of , or expenditure relating to, any business situated outside India. Total of Item No.3.....			See foot-note (1) See foot-note (1)

		Rs.....		
4.	<p>Add also income, profits or gains (if any) credited directly to reserves, other than-</p> <p>(i) capital receipts and capital profits (including profits on the sale of capital assets on which depreciation has not been allowed for income-tax or agricultural income-tax);</p> <p>(ii) profits of, and receipts relating to, any business situated outside India;</p> <p>(iii) income of foreign concerns from investments outside India.</p> <p>Net total of Item No.4.....</p>	Rs.....		
5.	Total of Item Nos. 1,2,3 and 4...	Rs.....		
6.	<p>Deduct :</p> <p>(a) Capital receipts and capital profits (other than profits on the sale of assets on which depreciation has been allowed for income-tax or agricultural income-tax).</p> <p>(b) Profits of, and receipts relating to, any business situated outside India.</p> <p>(c) Income of foreign concerns from investment outside India.</p> <p>(d) Expenditure or losses (if any) debited directly to reserves, other than-</p> <p>(i) capital expenditure and capital losses (other than losses on sale of capital assets on which depreciation has not been allowed for income-tax ; or agricultural income-tax;</p> <p>(ii) losses of any business situated outside India.</p> <p>(e) In the case of foreign concerns proportionate administrative (overhead) expenses of head office allocable to Indian business.</p> <p>(f) Refund of any direct tax paid for previous accounting years and excess provision, if any, of previous accounting years relating to bonus, depreciation, taxation or development rebate or development allowance, if written back.</p> <p>(g) Cash subsidy, if any, given by the government or by any body corporate established by any law for the time being in force or by any other agency through budgetary grants, whether given directly or through any agency for specified purposes and the proceeds of which are reserved for such purposes.</p>			<p>See foot-note (2)</p> <p>See foot-note (2)</p> <p>See foot-note (2)</p> <p>See foot-note (3)</p>

	Total of Item No.6			See-foot-note (2)
		Rs.....		
7.	Gross Profits for purposes of bonus (Item No.5 minus Item No.6)	Rs.....		

Explanation.— In sub-item (aa) of Item 3, "approved gratuity fund" has the same meaning assigned to it in clause (5) of section 2 of the Income Tax Act, 1961.

Foot-note:-

- (1) If, and to the extent, charged to Profit and Loss Account.
- (2) If, and to the extent, credited to Profit and Loss Account.
- (3) In the proportion of Indian Gross Profit (Item No. 7) to Total World Gross Profit (as per consolidated Profit and Loss Account, adjusted as in Item No. 2 above only).

Schedule D

[See rule 25]

Item No.	Category of employer	Further sums to be deducted
(1)	(2)	(3)
1.	Company, other than a banking company.	<p>(i) The dividends payable on its preference share capital for the accounting year calculated at the actual rate at which such dividends are payable;</p> <p>(ii) 8.5 percent of its paid up equity share capital as at the commencement of the accounting year;</p> <p>(iii) 6 percent of its reserves shown in its balance sheet as at the commencement of the accounting year, including any profits carried forward from the previous accounting year :</p> <p>Provided that where the employer is a foreign company within the meaning of section 2 (42) of the Companies Act ,2013 (18 of 2013) , the total amount to be deducted under this item shall be 8.5 percent on the aggregate of the value of the net fixed assets and the current assets of the company in India after deducting the amount of its current liabilities (other than any amount shown as payable by the company to its Head Office whether towards any advance made by the Head Office or otherwise or any interest paid by the company to its Head Office) in India.</p>
2.	Banking company	<p>(i) The dividends payable on its preference share capital for the accounting year calculated at the rate at which such dividends are payable ;</p> <p>(ii) 7.5 per cent of its paid up equity share capital as at the commencement of the accounting year ;</p>

		<p>(iii) 5 percent of its reserves shown in its balance sheet as at the commencement of the accounting year, including any profits carried forward from the previous accounting year;</p> <p>(iv) any sum which, in respect of the accounting year, is transferred by it-</p> <p>(a) to a reserve fund under sub-section (1) of section 17 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949); or</p> <p>(b) to any reserves in India in pursuance of any direction or advice given by the Reserve Bank of India,</p> <p>whichever is higher:</p> <p>Provided that where the banking company is a foreign company within the meaning of section 2 (42) of the Companies Act , 2013 (18 of 2013), the amount to be deducted under this item shall be the aggregate of-</p> <p>(i) the dividends payable to its preference shareholders for the accounting year at the rate at which such dividends are payable on such amount as bears the same proportion to its total preference share capital as its total working funds in India bear to its total world working funds;</p> <p>(ii) 7.5 per cent of such amount as bears the same proportion to its total paid up equity share capital as its total working funds in India bear to its total working funds.</p> <p>(iii) 5 per cent of such amount as bears the same proportion to its total disclosed reserves as its total working funds in India bear to its total world working funds;</p> <p>(iv) any sum which, in respect of the accounting year, is deposited by it with the Reserve Bank of India under sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (2) of section 11 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) , not exceeding the amount required under the aforesaid provision to be so deposited.]</p>
3.	Corporation	<p>(i) 8.5 per cent of its paid up capital as at the commencement of the accounting year;</p> <p>(ii) 6 per cent of its reserves, if any, shown in its balance sheet as at the commencement of the accounting year, including any profits carried forward from the previous accounting year.</p>
4.	Co-operative society	<p>(i) 8.5 per cent of the capital invested by such society in its establishment as evidenced from its books of accounts at the commencement of the accounting year;</p> <p>(ii) such sums as has been carried forward in respect of the accounting year to a reserve fund under any law relating to co-operative societies for the time being in force.</p>

5.	Any other employer not falling under any of the aforesaid categories	<p>8.5 per cent of the capital invested by him in his establishment as evidenced from his books of accounts at the commencement of the accounting year:</p> <p>Provided that where such employer is a person to whom Chapter XXII-A of the income Tax Act applies, the annuity deposit payable by him under the provisions of that Chapter during the accounting year shall also be deducted:</p> <p>Provided further that where such employer is a firm, an amount equal to 25 per cent of the gross profits derived by it from the establishment in respect of the accounting year after deducting depreciation in accordance with the provisions of clause (a) of section 34 by way of remuneration to all the partners taking part in the conduct of business of the establishment shall also be deducted, but where the partnership agreement, whether oral or written, provides for the payment of remuneration to any such partner, and -</p> <p>(i) the total remuneration payable to all such partners is less than the said 25 per cent the amount payable, subject to a maximum of five lakh rupees to each such partner; or</p> <p>(ii) the total remuneration payable to all such partners is higher than the said 25 per cent, such percentage, or a sum calculated at the rate of five lakh rupees to each such partner, whichever is less, shall be deducted under this proviso:</p> <p>Provided also that where such employer is an individual or a Hindu Undivided Family -</p> <p>(i) an amount equal to 25 per cent of the gross profits derived by such employer from the establishment in respect of the accounting year after deducting depreciation in accordance with the provisions of clause (a) of section 34; or</p> <p>(ii) five lakh rupees,</p> <p>whichever is less by way of remuneration to such employer, shall also be deducted.</p>
----	--	---

Explanation.— The expression "reserves" occurring in column (3) against Item Nos. 1(iii), 2(iii) and 3(ii) shall not include any amount set apart for the purpose of-

- (i) payment of any direct tax which, according to the balance-sheet, would be payable;
- (ii) meeting any depreciation admissible in accordance with the provisions of clause (a) of section 34;
- (iii) payment of dividends which have been declared, but shall include,-
 - (a) any amount, over and above the amount referred to in clause-(i) of this Explanation, set apart as specific reserve for the purpose of payment of any direct tax; and
 - (b) any amount set apart for meeting any depreciation in excess of the amount admissible in accordance with the provisions of clause (a) of section 34.

Schedule E*
[see sub-rule (3) of rule 4]

S.No.	UNSKILLED
(1)	(2)
1	Calf boy
2	Cattleman
3	Cleaner (Motor shed, Tractor, Cattle, Yard, M.T)
4	Collecting loose fodder
5	Dairy coolie
6	Mazdoor (Arportculturist Compost, Dairy's Haystaking, Irrigation, Manure, Stacking, Milk-room, Ration room Store, Anti-Malaria, M.R.)
7	Driver (Mule, Bullock, Camel, Donkey)
8	Grazler
9	Dairyman
10	Store-Mazdoor
11	Carrier (Stone)
12	Breaker (using manual appliances)
13	Helper
14	Messenger (Office)
15	Mali
16	Syce
17	Tying and Carrying loose hay
18	Sweeper
19	Weighing and Carrying bales,
20	Weighman (Bales, pally)
21	Waterman
22	Stable man
23	Trolley man
24	Valveman
25	Watchman
26	Wooderman
27	Wooder Woman
28	Borryman
29	Coalman
30	Condenser
31	Attendant
32	Grass Cutter
33	MuchhersJamadars
34	Condenser Attendant
35	Shunters
36	Turner
37	Bajri Spreader
38	Beater Women
39	Bell-Woman
40	Chain Man
41	Boat Man,
42	Bucket Man
43	Labourer (Boiler, Cattle Yard, Cultivation, General Loading and Unloading, Bunding, Carting-Fertilizers, Harvesting, Miscellaneous Seeding, Sowing, Thatching, Transplanting, Weeding Garden)
44	Cleaner (Crane, Truck, Cinder for ash Pit)
45	Cartman
46	Caretaker (Bridge),
47	Carrier (Water)

48	Chowkidar
49	Concrete (Hand Mixer)
50	Daffadar
51	Driver (Bullock, Camel, Donkey, Mule)
52	Flag Man
53	Flagman (Blast Train)
54	Khalasi not attending to machines
55	Gangmen
56	Gatingman (Permanent Way)
57	Handle Man, Jumper Man
58	Kamin (Female Work)
59	Khalas
60	Bridge
61	Electrical
62	Marine
63	Moplah
64	Store
65	Steam Road
66	Share
67	Roller Survey
68	Hole Cutter
69	Lorry Trainees
70	Petrolman
71	Searcher
72	Signal man
73	Strikers
74	Vaks Controller
75	Cleaner
76	Dresser / Dressing Mazdoor
77	Loader
78	Messenger (Male / Female)
79	Trammer
80	Caretaker (except in Copper, Chromite and Graphite mines where it is semiskilled)
81	Office Peon/Peon (except in Bauxite Mines)
82	Carrier
83	Number Taker
84	TrolleyTriper
85	Water Carrier
86	Earth Cutter
87	Survey Khalasi
88	Gate Man,
89	Dismantling stocks
90	Lampman
91	Beldar/Beldar (Canteen)
92	Coolie
93	Cook-helper
94	Office Boy
95	Quarry Worker
96	Jelly Maker
97	Over burden Remover
98	Waste removing mazdoor
99	Unloader
100	Excavating Labour
101	Digger

102	Butcher
103	Attender
104	Lorry Helper
105	Surface loader
106	Wood Cutter
107	Surface Mukar
108	Under Ground Mukar
109	Striker (Moplah gang),
110	Tall Boy,
111	Tile
112	Person employed in loading and unloading
113	Person employed in sweeping and cleaning and other categories by whatever name called which are of unskilled nature
114	Stretcher Bearer
115	Nursing Orderlies
116	Trolley Retriever (Airport)

S.No	SEMI SKILLED
(1)	(2)
1	Assistant (Chowdhary)
2	Attendant (Bull-calving lines, Chowkidar, Chaff cutter, Hostel, Dry Stock, Grain crusher, Pump, Siekline
3	Stable, Yard Stock)
4	Assistant-Plumber
5	Attendant
6	Bhisti
7	Brander
8	Bullman
9	Butterman
10	Coachman
11	Cobbler
12	Cultivator
13	Daftry
14	Deliveryman
15	Dhobi
16	Dresser
17	Fireman
18	Gowala
19	Helper (Blacksmith)
20	Helper
21	Jamadar (stand)
22	Jamadar
23	Khalasi
24	Mali Senior
25	Mate/Mistry
26	Mazdoor (literate)
27	Nalband
28	Oilman
29	Ploughman
30	Vtackers
31	Supervisor
32	Thatcher
33	Valveman
34	Valveman (Senior)

35	Wireman fixing tin cables
36	Cook
37	Dandee
38	Frash
39	Hacksaw man
40	Helper (locco-Crane/Truck)
41	Manjhee (Boatman)
42	Belchawala
43	Muccadam (without competency certificate under Metalliferous Bulldozer Driver Mines Regulations, 1961)
44	Bhisti (with Mushk)
45	Boatman (head)
46	Breaker
47	Breaker (Stone, Rock, Rock Stone, Stone Metal)
48	Canweaver
49	Chainman(Head)
50	Charpoy-Stringer
51	Checker
52	Cracker
53	Dollyman
54	Assistant
55	Driller
56	Driver (Skin)
57	Excavator
58	Ferroman
59	Fireman (Brick Kiln, Steam Road Roller)
60	Gate Keeper
61	Gharami
62	Classman
63	Grater
64	Greaser-cum-Fireman
65	Grinder
66	Hammerman
67	Helper (Artisan)
68	Helper (Sawyer)
69	Keyman
70	Khalasi (Head Survey, Rivertters-Moplah Gang, Supervisory)
71	Labourer (Rock-Cutting)
72	Lascar
73	Mali (Head)
74	Stockers and Boilerman
75	Thoombaman (Spade worker)
76	Trolleyman (Head Motor)
77	Fitter (Assistant Semi-Skilled)
78	Mate (Stone)
79	Kasab
80	Khalasi (Structural)
81	Masalchi P.M. Mates
82	Miner
83	Untrained Mate/ Mining Mate/ Mate without Competency certificate Under Metalliferous Mines Regulations, 1961
84	Butler/Cook
85	Breaker (using mechanical appliances)
86	Crech Ayah/Ayah/Untrained Crech Attendant
87	Assistant Driller
88	Oilman/Oiler
89	Chowkidar/ Watchman

90	Helper (Mason, Carpenter, Blacksmith)
91	Tindals
92	Topas
93	Topkar (Big Stone Breaker)
94	TrolleyJamadar
95	Winchman
96	Attendance-keeper
97	Assistant Wireman
98	Mate
99	Mate (Blacksmith, Road, Carpenter)
100	Engine Driver and/or Feeder
101	Fitter
102	Gang
103	Mazdoor Mason
104	Permanent Way
105	Pump-Driver, Turner)
106	Mazdoor (Heavy-weight)
107	Charge-man
108	Mistri (Head
109	Muccadam
110	Night-guard
111	Runner (Post dak)
112	Oilman
113	Quarry man
114	Quarry Operator
115	Stoneman
116	Stocker
117	Thatcher
118	Pump Attendant
119	Bearer
120	Breakman
121	Crowder Man
122	Laboratory Boy
123	PointsmanSencummy
124	Stone mines and other categories by whatever name called which are of semi-skilled nature
125	Lab. Attendant
126	Dark Room Attendant
127	Animal Attendant
128	Sr. Ward Orderlies
129	Floor Cleaner with machine
130	Housekeeping janitor
131	Cylinder handler
132	Delivery boy
133	Lift and Escalator Operator
134	Waiter

S.No	SKILLED
(1)	(2)
1	Artificer (Class-II, III, IV)
2	Blacksmith
3	Blacksmith (Class II)
4	Boilerman
5	Carpenter
6	Carpenter (Class II) Carpenter-cum- Blacksmith
7	Chowdhary
8	Driver/ Cash Van Driver
9	Driver (Engine Tractor, M.T.Motor)
10	Electrician
11	Fitter
12	Mason
13	Mason Class II
14	Machine hand (Class II, III, IV)
15	Machineman
16	Mate Gr. I (Senior)
17	Mechanic
18	Milk Writer
19	Mistry (Head)
20	Moulder
21	Muster Writer
22	Operator (Tube-well)
23	Painter
24	Plumber
25	Welder
26	Upholsterer
27	Wireman,
28	Chipper
29	Chipper-Cum-Grinder
30	Cook (Head)
31	Driller
32	Driller (Well Boring)
33	Driver(Loco/Truck)
34	Electrician (Assistant)
35	Mechanic (Tube-Well)
36	Mistry(Stell, Tube-Well, Telephone)
37	Meter Reader
38	Meterorogical Observer Navghani
39	Operaor (Batching Plant, Cinema Project,Clamp Shelf, Compressor, Grane, Dorrick, Diesel Engine, Doser,Dragling Drill Dumber, Excavator, Fork Lift Generator, Grader, Jack Hammer and Payment breaker Loader, Pump, Pile Driving,Scrapper, Screening Plant, Shoval, Tractor, Vibrator, Weight Batcher, Railway Guards, Repairer (Battery)
40	Sharper/Slotter
41	Sprayer (Ashalt) Station Master
42	Surveyor (Silt)
43	Trades-Man
44	Train Examiner
45	Turner/Miller
46	Tyre Vulcaniser
47	Sawyer
48	Sawyer (Selection Grade Class II) Serang
49	Serangpile
50	Driving Pantooms with Boiler
51	Shapesman

52	Shift-incharge
53	Sprayman
54	Sprayman (Roads)
55	Stone Cutter
56	Stone Cutter (Selection Grade, Grade II, Class II)
57	Stone Chisler
58	Stone Chisler (Class II)
59	Stone Blasterer
60	Sub-Overseer (Unqualified)
61	Surveyors
62	Pump Driver
63	Pump Driver (Selection Grade, Grade II and III, Class II)
64	Pump Driver (Selection Grade, P.E., Driver)
65	Pumpman
66	Pumpman (Assistant)
67	Polisher (with spray) Grade II
68	Ratan Man
69	Rivet Cutter (Assistant)
70	Rivetter
71	Rivetter (Cutter)
72	Road Inspector Grade II, Railway Plate Layer
73	Rod Bender
74	Haulage Operator
75	Dispensary Attendant
76	Work Sakar
77	Mica Cutter Grade -I
78	Dresser Grade -I Mica
79	Supervisory Fireman
80	Fireman only in Mines
81	Compressor Driver
82	Pump Man Driver 96. Grinder in Mica Mines
83	Surveyors (Assistant)
84	Tailor
85	Tailor(Upholstry)
86	Transprayer
87	Tar man
88	Line Man
89	Tiler Class II
90	Wall(Floor, Roof)
91	Tiler (Selection Grade)
92	Tin-Smith
93	Tin Smith(Selection Grade, Grade II and III, Class II) Tinker
94	Well Sinker
95	Assistant Mistry
96	Armature Winder Grade-II and III
97	Bhandari
98	Blacksmith
99	Blacksmith (Selection Grade, Grade II, III, Class II and III)
100	Boilerman
101	Boilerman Grade II and III
102	Boiler Foreman Grade II
103	Work (Assistant)
104	Brick Layer
105	Bricklayer (Selection Grade, Class II)
106	Blaster
107	Chowkidar (Head)
108	Security Guard (without arms)

109	Carpenter (Selection Grade, Grade II and III, Class I and III Assistant
110	B.I.M. Road
111	Cabinet Maker
112	Caneman
113	Celotex
114	Cutter Maker Chageman, Class II and Class III, Carpenter Ordinary)
115	Checkder (Junior)
116	Chick Maker
117	Chickman (Junior) Concrete Mixure Mixer
118	Concrete Mixure Operator
119	Cobbler
120	Coremaker
121	Driver Motor Vehicle
122	Motor Vehicle Selection Grade
123	Motor Lorry
124	Motor-Lorry Grade II
125	Lorry Grade II
126	Diesel Engine
127	Diesel Engine Grade II
128	Mechanical Road Roller I.C. and Cement Mixer etc.
129	Road Roller
130	Road Roller Driver Grade II
	Driver (Engine Static Stone Crusher, Tractor/Bull Dozer, Steam Road Roller, Water Pump, Mechanical Assistant, Road Roller, Mechanical, Steam Crane, Tractor with Bull Dozer Mechanical,
131	Transport, Engine Static and Road Roller Boiler Attendant
132	Engine Operator (Stone Cursher Mechanical)
133	Distemprrer, Electrician, Electrician (Grade II, Class II and Class III)
	Fitter (Selection Grade, Grade II and III) class II and III Assistant, Pipe class II, Pipe Line ending Bars
134	for
135	reinforcement Cum-mechanic, Mechanic and Plumber)
136	Gharami (Head)
137	Glazier
138	Hole Drillar for Blasting
139	Joiner
140	Joiner (Cable, Cable Grade II)
141	Lineman (Grade II, III, High Tension/Low Tension)
142	Mason
143	Mason (Selection Grade, Grade II, III and Class B Mistry)
144	Stone (Stone Class II, Brick Work, Stone work)
145	Brick-layer
146	Tile Flooring
147	B.I.M Muccadam (Head)
148	Stone cutting
149	Ordinary Machanis
150	Mechanic
151	Mechanic (Class II, Air conditioning, Air conditioning Grade II
152	Diesel Grade II
153	Road Roller Grade II
154	Assistant, Radio)
155	Manson (Gharami)
156	Mistry
157	Mistry Grade II, Air conditioning Grade II, P. Way, Survey, Santras Works)
158	Mason Class A
159	Moulder (Brick, Tile)
160	Painter (Selection Grade, Grade II and III, Class II, Assistant Lotter and Polisher, Polisher, Rough)
161	Plasterer
162	Plasterer (Mason Grade II)

163	Plumber
164	Plumber (Selection Grade, Class II, Assistant Lotter and Polisher, Rough),
165	Plasterer
166	Plasterer (Mason Grade II)
167	Plumber (Selection Grade, Class-II, Assistant Senior, Junior, Mistry Grade II)
168	Plumbing Mistry
169	Plumber-cum-Fitter
170	Polisher
171	Polisher (Floor)
172	Sirdhar Lathe Man
173	Geologist
174	Trailors
175	Turner
176	Upholsterer
177	Upholsterer (Grade II and III)
178	Painter Spray (Class II)
179	Wood Cutter
180	Wood Cutter Section Grade
181	Wood Cutter Class II
182	Work Sircar
183	Welder
184	Airwineh Haulage Operator
185	Auto-electrician
186	Tailor
187	Compressor Operator
188	Blaster/Shot-firer
189	Head cook
190	Chargeman
191	Concrete Mixer Operator
192	Compressor Attendant
193	Air Compressor Attendant
194	Tractor Driver
195	Vehicle Driver
196	Chemist and Assistant/ Chemist
197	Sub- overseer (unqualified)
198	Driller
199	Handhole Driller
200	Drill Mechanic
201	Driver Auto
202	Electrician
203	Wireless Operator Asstt. Foreman
204	Foreman
205	Ferry Driver
206	Issuer Loco
207	Super Foreman
208	Hoist Operator
209	IMCE Driver
210	Loco Driver
211	Loader Operator
212	Linesman
213	Mechanic/ Machinist
214	Mid Wife
215	Tinsmith
216	Supervisory Mechanic
217	Pump Attendant only in Gypsum, Barytes and Rock Phosphates
218	Pump Operator/Driver
219	Mining Mate with competency certificate under Metalliferous Mines \ Regulations, 1961.

220	Skilled Mazdoor
221	Turner
222	Senior Mechanic
223	Pipe Fitter
224	Supervisor
225	Drafts Man
226	Wireman
227	Timber Man/Timber Mistry Elect.
228	Stone Crusher Operator
229	Crusher Operator
230	Welder
231	Operator
232	Work Mistry
233	Engine Driver
234	Mining Engine Driver Grade -II
235	Engineman
236	Valveman
237	Cutter
238	Winding Engine Driver Grade - II
239	Security Guard (Unarmed) /Head Chowkidar
240	Shovel Operator
241	Limco Loader Operator
242	Surface Supervisor
243	Dozer Operator
244	Compressor Driller
245	Dumper Tractor Operator
246	Boiler Man (with Certificate)
247	Machinery Attendant
248	Air-conditions Mechanic
249	Crech Attendant only in Magnesite, Manganese and Mica Mines
250	Power Shovel Operator
251	Power and Pump House Operator
252	Miner Grade - I
253	Tractor Operator 80. Tub Repairer 81. Lathe Mistry
254	Stationery Engine Attendant 83. Generator Operator 84. Loading Foreman
255	Diesel Mechanic
256	Ferro Printer cum-chairman
257	White Washing and Colour Washing Man
258	Operator Pneumatic Tools, Operator (Fitter)
259	Boreman
260	Borer
261	Wireman (Grade II and III, Mechanic, Electrical)
262	White Washer
263	White Washer (Selection Grade, Class II)
264	Welder (Class II, Bridge work)
265	Welder gas
266	Muccatam (with Competency Certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961).
267	Security Guard (without arms)and other cateogires by whatever name called which are of skilled nature
268	Assistant (Farm)
269	Assistant (Cashier)
270	Librarian
271	Telex or Telephone Operator
272	Hindi Translator
273	Telex or Telephone Operator
274	Hindi Translator
275	Accounts Clerk

276	Clerks
277	Computer/Data Entry Operator
278	Telephone Operator, Typist
279	Store Attendant
280	M. C. Clerk
281	Munshi (Matriculate, Non-matriculate)
282	Store Clerk (Matriculate Non-matriculate)
283	Store Keeper
284	Store Keeper Grade I, Grade II, (Matriculate)
285	Time Keeper
286	Time Keeper (Matriculate Non-Matriculate)
287	Book Keeper
288	Work Munshi
289	Work Munshi (Subordinate)
290	Magazine Clerk
291	Teller Clerk
292	Store clerk
293	Tally Clerk
294	Store Issuer
295	Tool Keeper
296	Computer/Date Entry Operator
297	Record Keeper
298	Tracer
299	Clerk/File Clerk
300	Register Keeper
301	Time Keeper
302	Munshi
303	Typist and other categories by whatever name called which are of clerical nature
304	Nursing sister
305	Staff Nurse Grade 'B'
306	Medical Social Worker
307	Dietician
308	Physiotherapist / Therapist
309	Technical Asstt. / Scientific Asst.
310	Pharmacist
311	Radiographer
312	ECG Technician
313	Lab. Technician
314	AC Operator
315	Data Entry Supervisor
316	DG Operator
317	Pest control
318	Housekeeping Machine operator
319	Executive House Keeper (Railway Coach)
320	Ticket Vendor (Metro)
321	Persons working at Airlines counter (Airport)
322	Battery caroperator (Airport)
323	Head Waiter

S.NO	HIGHLY SKILLED
(1)	(2)
1	Artificier Class I
2	Blacksmith Class I
3	Carpenter Class I
4	Machine
5	Hand Class I
6	Mason Class I
7	Mechanic (Senior)
8	Painter (Grade I, Class I, Spray) Plasterer (Mason) Class I
9	Plumber (Head, class I)
10	Mistry Grade I
11	Polisher (with spray Grade I)
12	Road Inspector Grade I
13	Sawyer Class I
14	Stone Cutter Class I
15	Stone Cutter Grade I
16	Stone Chisler Class I
17	Stone Mason Class I
18	Sub-Overseer (Qualified)
19	Tiler Class I
20	Tinsmith Grade I and Class I
21	Upholsterer Grade I
22	Varnisher Class I
23	Welder-Cum-Fitter and Air Conditioning Mechanic
24	Welder (Gas) Class I
25	White Washer Class I
26	Wireman Grade I, Class I
27	Wood Cutter Class I
28	Grinder (Tool) Grade I
29	Operator (Batching Plant Grade I)
30	Leader Grade I
31	Pile Driving Grade I
32	Pump Grade
33	Scrapper Grade I
34	Screening Plant Grade I
35	Pump Grade I
36	Scrapper Grade I
37	Security Guards (with arms)
38	Armature Winder Grade I
39	Blacksmith Grade I and Class I
40	Boilerman Grade I
41	Boilerman Foreman Grade I
42	Brick Layer class I
43	Cable Joiner Grade I
44	Carpenter grade I and Class I
45	Celo Cutter and Decorator
46	Chargeman Class I
47	Checker (Sr) Driver Lorry Grade I
48	Motor Lorry Grade I

49	Motor Vehicle Class I and Diesel Engine Grade I
50	Road Roller Grade I
51	Pump Class Electrician Grade I and Class I/ Grade I
52	Fitter (Grade I, Class I)
53	Pipe Class I (Head)
54	Foreman(Assistant) Line Man Grade I Mason (Skilled Grade I, Class I)
55	Mast Rig
56	Mechanic Class I and Class II
57	Mechanic (Diesel Grade I and Road Roller Grade I
58	Air-conditioning Grade I/Class I, Mistry Grade I
59	Mistry (Air-conditioning Grade I)
60	Overseer
61	Overseer (Senior and Junior)
62	Dragline Grade I
63	Drill Grade I
64	Dumper Grade I
65	Excavator Grade I
66	Fork Lift Grade I
67	Generator Grade I
68	Rigger Grade I
69	Rigger Grade II
70	Charper/Sletter Grade I
71	Shovel and Dragline Tractor Grade I
72	Tradesman Class I
73	Turner/Miller Grade I
74	Work (Assistant) Grade I
75	Compounder
76	Surveyor
77	Winding Engine Driver
78	Operator (Heavy Earth Moving Shovel and Bulldozer)
79	Head Mistry
80	Staff Nurse Grade 'A'
81	Drill Operator other than Jack Hammer
82	Electrical Supervisor with Competency Certificate
83	Underground Shift Boss
84	Head Mechanic
85	Qualified and Experienced Welder
86	Machine Tool Mechanic
87	Mechanical/Plant Foreman
88	Mining Supervisor
89	Vocational Training Instructor/Teacher
90	Head Electrician
91	Accountant
92	Steno with 7 years of service
93	Store Incharge
94	Shift Incharge
95	Supervisor
96	Incharge of Watch and Ward
97	Security Guard (Armed)
98	Crane Grade I
99	Diesel Engine Grade I
100	Dozer Grade I

101	Clamp Shell Grade I
102	Compressor Grade I
103	Grader Grade I
104	Tractor Grade I
105	Vibrator Grade I
106	Screening Plant Grade I
107	Shovel Grade I
108	Shovel and Dragline
109	Tyre vulcanser Grade I
110	Security Guard (with Arms)and other categories by whatever name called which are of Highly-skilled nature
111	Housekeeping Supervisor
112	Cash / ATM Custodian
113	Cash Van Armed Security Guard

***Note** – An employee in a skill category can be elevated to higher skill category in the event of his attaining higher skill while on the job.